



# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए  
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)



राजस्थान सरकार  
वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
<b>अध्याय 1</b> <b>प्रस्तावना</b>		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखा परीक्षित इकाईयों का खाका	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति	1.3	2
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढाँचा	1.4	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.5	4
लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	1.6	4
समीक्षाओं/प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों का प्रति उत्तर	1.7	10
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.8	10
<b>अध्याय 2</b> <b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>वन विभाग</b>		
राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा	2.1	11
<b>माध्यमिक शिक्षा विभाग</b>		
विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना	2.2	39

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>अध्याय 3</b>		
<b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
<b>नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना</b>	<b>3.1</b>	
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग आर्थिक सहायता का अनाधिकृत समायोजन	3.1.1	59
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अनियमित व्यय	3.1.2	60
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग संवेदकों के बिलों से रायल्टी की कम/देरी से कटौती।	3.1.3	63
<b>औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले</b>	<b>3.2</b>	
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग परिहार्य व्यय	3.2.1	65
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मशीनों का अनुपयोगी रहना	3.2.2	67
<b>सतत् एवं व्यापक अनियमितताएँ</b>	<b>3.3</b>	
वित्त विभाग पेंशन का सतत् अधिक भुगतान	3.3.1	70
<b>शासन की विफलता/दृष्टिचूक</b>	<b>3.4</b>	
पर्यावरण विभाग निधियों का विपथन/निरर्थक कार्य	3.4.1	72

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>श्रम विभाग</b>		
यूनिसेफ की सहायता का लाभ नहीं उठाना	3.4.2	75
राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का कार्य चालन	3.4.3	77
<b>चिकित्सा शिक्षा विभाग</b>		
केन्द्रीय निधि का अनुपयोगी रहना	3.4.4	92
<b>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</b>		
निधियों का अनुपयोगी पड़े रहना	3.4.5	94
अनियमित/अधिक भुगतान	3.4.6	95
निधियों का अनुपयोगी रहना	3.4.7	99
<b>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग</b>		
स्वास्थ्य उप केन्द्रों तथा आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण न होना/अपूर्ण रह जाना	3.4.8	101
<b>जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग</b>		
जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने में देरी	3.4.9	103
निष्फल व्यय	3.4.10	106
<b>तकनीकी शिक्षा विभाग</b>		
सम्बद्ध महाविद्यालयों से विकास शुल्क की वसूली का अभाव	3.4.11	108
<b>सामान्य</b>		
लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उत्तर देने का अभाव	3.4.12	109

## प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अध्याय 1 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा, राजस्थान सरकार के राजकोषीय परिचालनों की तुलनात्मक स्थिति, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रेक्षकों का सार एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही, का सारांश उपलब्ध कराता है। अध्याय 2 में 'राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा' तथा 'विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना', पर किये गये निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं। अध्याय 3 में अनुपालन लेखापरीक्षा में पाये गये मुख्य निष्कर्षों की विवेचना की गई है।
3. इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में स्वायत्तशासी निकायों सहित सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर महत्वपूर्ण मामलों को शामिल किया गया है। सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों, आर्थिक क्षेत्र के विभागों, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों, राज्य सरकार के वित्त पर प्रेक्षकों एवं स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में उजागर हुये प्रेक्षकों पर प्रतिवेदनों को भी पृथक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।
4. प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से भी जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके, वर्ष 2011-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक हैं, भी शामिल किए गए हैं।

## अध्याय 1 प्रस्तावना

### 1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों/स्वायत्तशासी निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से संबंधित है। सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों, आर्थिक क्षेत्र के विभागों, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों, राज्य सरकार के वित्त पर प्रेक्षणों एवं स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में उजागर हुए प्रेक्षणों पर प्रतिवेदनों को भी पृथक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों के व्ययों से संबंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी ओर निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ-साथ, यह भी जाँच करती है कि क्या कार्यक्रम/गतिविधियों/विभाग के उद्देश्यों को मितव्ययिता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानसभा के समक्ष लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के महत्वपूर्ण स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, आकार एवं महत्व के अनुसार होने चाहिये। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष प्रत्याशा करते हैं कि ये कार्यपालक को सुधारात्मक उपाय लेने एवं नीति-निर्देश बनाने में समर्थता प्रदान करें, जो कि संगठन के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु उसका मार्ग-दर्शन करेंगे, एवं इस प्रकार उसे अच्छे शासन में भागीदार बनायेंगे।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं व्याप्तियों की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियाँ, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संकलन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में चयनित कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल हैं। अध्याय 3 में सरकारी विभागों एवं स्वायत्तशासी निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण शामिल हैं।

### 1.2 लेखा परीक्षित इकाईयों का खाका

राजस्थान सरकार के अन्तर्गत 90 विभाग, जो कि मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित एवं उनके अन्तर्गत आने वाले उपशासन सचिवों/आयुक्तों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोगित किये जाते हैं,

तथा 267 स्वायत्तशापी निकाय हैं, जिनकी प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा, लेखापरीक्षा की जाती हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान किये गये व्ययों की तुलनात्मक स्थिति तालिका-1 में दी गयी हैं।

तालिका 1 : व्ययों की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विषय	2009-10			2010-11			2011-12		
	आयोजना	आयोजना भिन्न	योग	आयोजना	आयोजना भिन्न	योग	आयोजना	आयोजना भिन्न	योग
राजस्व व्यय									
सामान्य सेवाएँ	101	15,546	15,647	175	16,562	16,737	422	18,287	18,709
सामाजिक सेवाएँ	3,007	13,487	16,494	3,929	13,966	17,895	5,947	15,981	21,928
आर्थिक सेवाएँ	3,179	4,793	7,972	4,649	5,571	10,220	5,780	6,964	12,744
सहायतार्थ अनुदान	-	19	19	-	21	21	267	6	273
योग	6,287	33,845	40,132	8,753	36,120	44,873	12,416	41,238	53,654
पूँजीगत व्यय									
पूँजीगत परिव्यय	5,819	(-) 644 <sup>1</sup>	5,175	5,231	20	5,251	7,103	16	7,119
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	463	35	498	189	73	262	1,051	58	1,109
लोक ऋण की अदायगी			2,945	-	-	3,317	-	-	3,490
आकस्मिकता निधि			-	-	-	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण			1,07,714	-	-	1,16,298	-	-	1,22,320
योग			1,16,332	-	-	1,25,128	8154	74	1,34,038
कुल योग			1,56,464	-	-	1,70,001	20,570	41,312	1,87,692

स्रोत: वर्ष 2011-12 के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

### 1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी हैं। प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशापी निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा

1. ऋणात्मक संख्या राजस्थान राज्य निवेश निधि से ₹ 688 करोड़ हस्तान्तरण के कारण हैं।

सीएजी (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम की धारा 13<sup>2</sup>, 14<sup>3</sup>, 15<sup>4</sup>, 17<sup>5</sup>, 19(2)<sup>6</sup>, 19(3) एवं 20<sup>7</sup> के अन्तर्गत करते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए सिद्धान्त एवं विधियाँ, सीएजी द्वारा जारी मैनुअलों में निर्दिष्ट की गयी हैं।

#### 1.4 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढाँचा



सीएजी के निर्देशों के अंतर्गत, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखापरीक्षा, चार समूहों द्वारा संचालित करता है। वर्ष 2011-12

के दौरान 57 लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशासी निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा) एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना इत्यादि की चयनित इकाईयों की वित्तीय अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गयी।

2. (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्ययों, (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखाओं से संबंधित सभी लेनदेनों एवं (iii) सभी व्यापार निर्माण, लाभ एवं हानि खातों, तुलन पत्र एवं अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।
3. (i) राज्य की समेकित निधि में से अनुदान या ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों, जहाँ ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से ऋण एवं अनुदान वित्तीय वर्ष में ₹ 1 करोड़ से कम नहीं हो, की लेखापरीक्षा।
4. भारत या राज्य की समेकित निधि में से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी प्राधिकरण या निकाय को दिये गये ऋण या अनुदान की लेखापरीक्षा, जिसके द्वारा कार्यविधि की संवीक्षा हेतु स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण स्वयं को सन्तुष्ट करता है कि उन शर्तों की पूर्ति कर ली गयी है, जिनके अन्तर्गत ऐसे अनुदान या ऋण दिये गये थे।
5. भण्डार एवं स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा।
6. सम्बन्धित विधानों के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा बनाये गये नियमों या उनके अंतर्गत संस्थापित किये गये निगमों (कम्पनियों के अलावा) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।
7. राज्यपाल के अनुरोध पर किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, उन शर्तों एवं निबंधनों पर जो कि सीएजी एवं राज्य सरकार के बीच तय की गयी हों।



### 1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, व्ययों, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारों की चिंताओं पर आधारित, विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्तशापी निकायों एवं योजना/परियोजना इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। इस अभ्यास में गत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। इकाईयों से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर जवाब प्रेषित करने हेतु, निवेदन किया जाता है। जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 13,180 इकाईयों में से 1,743 में, 13,654 लेखापरीक्षा दल दिवसों को लेखापरीक्षा के लिए उपयोजित किया गया। लेखापरीक्षा आयोजना में उन इकाईयों/विभागों को आवृत्त किया गया जो कि मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिम के प्रति असुरक्षित थीं।

### 1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में एवं साथ ही चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा) एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना इत्यादि पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिन्होंने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया। इसी प्रकार सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया।

#### 1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में 'राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा' तथा 'विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना' की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल हैं। निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण अंशों की निम्न अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है:

### 1.6.1.1 राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा

राजस्थान में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र (3,42,239 वर्ग किमी) का 4.7 प्रतिशत (16,087 वर्ग किमी) वन आवरण है। भूमि उपयोग स्वरूप, वन भूमि आवरण में कमी एवं मरूस्थल भूमि में वृद्धि को दर्शाता है। वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य ने राजस्थान राज्य वन नीति, वर्ष 2010 में जा कर बनाई।

सरकार द्वारा उठाये गये अपर्याप्त उपायों के कारण संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को लगातार खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने वन नीति में निर्धारित कुल संरक्षित क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र के पाँच प्रतिशत तक की वृद्धि करने में पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया। आगे, सरकार, पहले से ही 'संरक्षित क्षेत्र' के रूप में घोषित क्षेत्र की, प्रभावी ढंग से सुरक्षा करने में सक्षम नहीं रही। क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट का सृजन, इसकी स्थापना के मानदण्डों को पूरा नहीं करते। अनुवांशिक बदलाव रोकने के लिए, एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे से जोड़ कर कोरिडोर सृजित नहीं किये गये। लोगों का संरक्षित क्षेत्र से अपर्याप्त विस्थापन वन्य जीवन के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ था। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर ध्यान नहीं देने के परिणामस्वरूप, मध्यम सघन वनों में कमी तथा अतिक्रमण, खनन और चराई के प्रकरणों में वृद्धि हो रही थी। सभी वन खण्डों को अधिसूचित नहीं किया जाना, राजस्व नक्शे पर वन क्षेत्रों के सीमांकन की कमी एवं वन नक्शों के डिजिटलईजेशन का अभाव आदि ने भी वन भूमि की कानूनी सुरक्षा को प्रभावित किया। सीमावर्ती कर्मचारियों की कमी ने भी वन भूमि एवं वन्य जीवन की सुरक्षा एवं संरक्षण को प्रभावित किया। पारिस्थितिकी विकास अधिभार के रूप में एकत्रित की गई राशि को पारिस्थितिकी विकास गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.1)

### 1.6.1.2 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना

'कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना', विद्यालयों विशेषतया माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदान करने हेतु, भारत सरकार द्वारा घोषित एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। परियोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समूह राजस्थान ने चरण-I में 2,500 तथा चरण- II में 2,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मंजूरी दी। योजना की क्रियान्विति निर्माण-स्वामित्व-परिचालन-हस्तान्तरण (बूट) मॉडल के आधार पर दो चरणों में की गई।

योजना के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार को भेजे गये कम्प्यूटर शिक्षा योजना के अन्तर्गत विद्यालयों के प्रारम्भिक चयन में, पूर्व योजनाओं में आवृत विद्यालयों के दोहराव, आधारभूत ढांचा सुविधाएँ सुनिश्चितता का अभाव, चरण- I के अनुबन्ध में इन्टरनेट के

प्रावधान का अभाव, दोनों चरणों में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर प्रदान करने में विलम्ब तथा चरण- II की निविदाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब, पाया गया। विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना में देरी की गई, चरण- II में विद्यालयों में इन्टरनेट संयोजन प्रदान नहीं किये गये अथवा कार्यशील नहीं थे। फर्मों द्वारा चोरी किये गये हार्डवेयर एवं उपकरणों को पुनः स्थापित नहीं किया गया। सामर्थ्य बढ़ोतरी का कार्य पृष्ठभूमि में रहा, कम्प्यूटर से शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सम्बद्धता नहीं पाई गई। फर्मों द्वारा चरण- II में 'प्रबन्धकीय सूचना व्यवस्था' अन्तरसक्रिय सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना था जो नहीं कराया गया। परियोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समूह को प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजे गये, राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति स्थापित नहीं की गई एवं उपनिदेशक स्तरीय अनुश्रवण समिति स्थापित नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.2)

### 1.6.2 अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

आलोच्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण कमियाँ उजागर की जिन्होंने राज्य सरकार की प्रभावोत्पादकता को प्रभावित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष (18 अनुच्छेद) अध्याय 3 में प्रतिवेदित किये गये हैं। प्रमुख आक्षेप निम्नलिखित श्रेणियों से सम्बन्धित हैं:

#### 1.6.2.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

अच्छे वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हो। यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सहायता करता है तथा अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकता है। इस प्रतिवेदन में नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं करने के ₹ 75.77 करोड़ के प्रकरण सम्मिलित हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा ₹ 63.99 करोड़ की आर्थिक सहायता का सूखा प्रभावित किसानों के बकाया ऋणों के विरुद्ध समायोजन करने से रोक नहीं पाने से उनको तुरन्त सहायता वितरण के सुनिश्चयन में, विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.1.1)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदत्त राशि ₹ 10.25 करोड़ का, प्रशासनिक भवनों (स्वास्थ्य भवनों) के निर्माण व भूमि क्रय हेतु अनाधिकृत विपथन किया गया।

(अनुच्छेद 3.1.2)

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा संवेदकों को पूर्ण भुगतान अनुमत्य करने व ₹ 1.53 करोड़ रॉयल्टी की कम/देरी से कटौती करने पर अदेय लाभ दिया गया। इसके अलावा, अनधिकृत खुदाई के लिए रॉयल्टी का 10 गुणा दण्ड भी नहीं लगाया गया।

(अनुच्छेद 3.1.3)

#### 1.6.2.2 औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

लोक निधियों से व्यय की प्राधिकृति, सार्वजनिक व्यय को करने की औचित्यता एवं दक्षता के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग दर्शित होनी चाहिये। प्राधिकारियों, जो कि व्यय करने के लिए प्राधिकृत हैं, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसी सतर्कता के साथ व्यय करेंगे जैसा कि एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं की धनराशि को व्यय करने में बरतता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यता एवं अतिरिक्त व्यय के ₹ 2.01 करोड़ के प्रकरण दर्शित हुए। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रशिक्षण सुविधाओं को साझेदारी में स्थापित करने की आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना एक निजी संस्थान को ₹ एक करोड़ का अनुदान दिया गया तथा अनुदान द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को अपने कब्जे में नहीं लिये जाने से विभाग राज्य के हित को बचाने में भी विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.1)

योग्य मानव शक्ति को सुनिश्चित किये बिना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने ₹ 1.01 करोड़ की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनों का प्रापण किया, परिणामस्वरूप व्यय निष्फल रहा एवं लाभार्थी मशीनों से होने वाले वांछित लाभों से वंचित रहे।

(अनुच्छेद 3.2.2)

#### 1.6.2.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताएँ

एक अनियमितता यदि वर्ष-दर-वर्ष बाद भी जारी रहती है तो यह सतत् अनियमितता समझी जाती है। यदि यह सम्पूर्ण प्रणाली में विद्यमान रहती है तो यह व्यापक अनियमितता हो जाती है। पिछली लेखापरीक्षा में बताये जाने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होना, न केवल कार्यपालक के गंभीर नहीं होने का सूचक है, बल्कि प्रभावी अनुश्रवण के अभाव का भी सूचक है। इसकी परिणति नियमों/विनियमों के पालन में जानबूझकर किये गये विचलनों को प्रोत्साहित करना है जो परिणामतः प्रशासकीय संरचना को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा में सतत् एवं व्यापक अनियमितताओं का निम्नलिखित प्रकरण विदित हुआ:

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जाँच करने में असफल रहने के कारण पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 93.59 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ, जबकि यह तथ्य पूर्व के प्रतिवेदनों में भी उजागर किये गये थे।

(अनुच्छेद 3.3.1)

#### 1.6.2.4 शासन की विफलता/दृष्टिचूक

सरकार संरचनात्मक ढाँचे तथा सार्वजनिक सेवाओं के उन्नयन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास आदि के क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा ने कुछ दृष्टांत सूचित किये हैं जिनमें सरकार द्वारा सामुदायिक लाभ हेतु सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए निर्माचित की गई निधियाँ अनिश्चयता, प्रशासकीय दृष्टिचूक एवं विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्यवाही के कारण अनुपयोजित/अवरोधित रही या निष्फल/अनुत्पादित सिद्ध हुई। लेखापरीक्षा नमूना जाँच में शासन की विफलता/दृष्टिचूक के सूचित किये गये मामलों में ₹ 78.47 करोड़ की राशि शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने 2005-12 (2010-11 को छोड़कर) के दौरान प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों पर जल उपकरण का केवल 25 प्रतिशत (₹ 7.31 करोड़) ही व्यय किया। इसके अतिरिक्त मानवशक्ति एवं अप्रयोजित निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की प्रगति धीमी रही।

(अनुच्छेद 3.4.1)

श्रम विभाग की निष्क्रियता के कारण यूनिसेफ से ₹ 1.03 करोड़ की सहायता लाभ नहीं उठाया जा सका जिससे उदयपुर के सीमान्त खण्डों में बच्चों के अवैध व्यापार को खत्म करने के यथार्थ उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

(अनुच्छेद 3.4.2)

श्रम विभाग में नियमों को बनाने में लगभग नौ वर्ष की देरी हुई, योजनाओं/गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मानव शक्ति अपर्याप्त थी, नियोक्ताओं तथा लाभार्थियों का पंजीकरण अपूर्ण था, उपकरण या तो संग्रहित नहीं किया गया था या राज्य सरकार के पास पड़ा था, अधिशेष निधियाँ निवेश नहीं की गई, तथा अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सही नहीं थी।

(अनुच्छेद 3.4.3)

भारत सरकार/राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी से कैंसर के इलाज के लिए परिष्कृत उपकरणों की खरीद हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त की गई राशि ₹ 3.51 करोड़ उनके परिचालन की उचित योजना के अभाव में एक/दो से अधिक वर्षों तक अनुपयोगी रही।

(अनुच्छेद 3.4.4)

कमजोर अनुश्रवण के कारण ₹ 3.18 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना सुदृढ़ नहीं हुई तथा राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास जनवरी 2001 से अनुपयोगी पड़ी रही।

(अनुच्छेद 3.4.5)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, प्रस्ताव निवेदन के प्रावधानों (आरएफपी) के अनुसार कार्यवाही एवं सेवा को मापने हेतु उचित विनियामक तंत्र स्थापित नहीं करने से चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, मुम्बई को अदेय लाभ पहुँचाया गया, जिसके परिणामस्वरूप आपात सेवा प्रदाता के असत्यापित दावों का भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.4.6)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चार वर्ष से भी अधिक समय तक ₹ सात करोड़ की केन्द्रीय सहायता उपयोग में लेने में असफल रहा जिसके कारण निर्धारित वन्धीकरण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 3.4.7)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभागों की निर्माण कार्य तथा समय पर सुपुर्दगी में प्रभावी अनुश्रवण में असफलता के कारण स्वीकृत राशि ₹ 13.85 करोड़ जारी होने के बावजूद लाभार्थियों को अभीष्ट लाभ नहीं मिल सका

(अनुच्छेद 3.4.8)

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने मकराना कस्बे में ₹ 19.15 करोड़ की राशि व्यय करने के बाद भी शहरी जल प्रदाय योजना में ढाई वर्षों की देरी की। इसके अतिरिक्त, पैकेज 01 तथा 03 के कार्य देरी से आवंटित करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ की लागत बढ़ी।

(अनुच्छेद 3.4.9)

बांसवाड़ा मल निकास योजना के निष्पादन में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की आयोजना के अभाव के कारण इसे चालू नहीं कर सकने से पिछले 25 वर्षों से लाभार्थियों को मल निकास सुविधा से वंचित रहना पड़ा तथा ₹ 4.81 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.4.10)

तकनीकी शिक्षा विभाग (राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय) में बकाया विकास शुल्क के संग्रहण में आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण का अभाव रहा, जिसके परिणामस्वरूप 157 सम्बद्ध महाविद्यालयों से वर्ष 2006-07 से 2009-10 के विकास शुल्क ₹ 4.24 करोड़ की वसूली विलम्ब/नहीं करने से उन्हें अदेय लाभ दिया गया।

(अनुच्छेद 3.4.11)

### 1.7 समीक्षाओं/प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों का प्रति उत्तर

वित्त विभाग ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर तीन सप्ताह में अपने प्रत्युत्तर देने हेतु सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे। (अगस्त 1969)।

तदनुसार, प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं तीन सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने हेतु निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की संभावना देखते हुये, जिन्हें राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाये। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए प्रधान महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया।

अध्याय 2 एवं 3 में लिये गये 20 अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से चार के प्रत्युत्तर सम्बन्धित विभागों ने प्रेषित नहीं किये। 16 अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

### 1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन), प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कर, जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये गये विभिन्न विभागों से संबंधित अनुच्छेदों/निष्पादन समीक्षाओं पर बकाया एटीएन की समीक्षा में पाया गया कि नवम्बर 2012 को संबंधित विभागों से नौ एटीएन<sup>8</sup> लम्बित थे।

8. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2010-11 के अनुच्छेद 2.3.2.1, 2.4 एवं 2.5 एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010-11 के अनुच्छेद 3.1.1, 3.1.6, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.5 एवं 3.4.6 ।

## अध्याय 2 निष्पादन लेखापरीक्षा

यह अध्याय 'राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा' तथा 'विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना' की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तुत करता है।

### वन विभाग

#### 2.1 राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा

##### कार्यकारी सारांश

वन पृथ्वी पर सबसे अधिक विविधता एवं व्यापक पारिस्थितिक तन्त्र में से हैं। ये मानव जीवन के लिये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये मानव की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे जल, भोजन, आवास, औषधि, ईंधन, चारा एवं इमारती लकड़ी आदि उपलब्ध कराते हैं। ये जैव विविधता जैसे कि जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि को आश्रय एवं सहायता भी प्रदान करते हैं। राजस्थान के वन, वनस्पति एवं जीवों की लगभग 3,000 ज्ञात प्रजातियों से समृद्ध हैं।

राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पांच प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 31 मार्च 2012 तक केवल 2.81 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय मरूउद्यान जैसलमेर एवं बाघ परियोजना सरिस्का को दिसम्बर 2012 तक राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने हेतु अन्तिम अधिसूचना जारी नहीं की गई।

संरक्षित क्षेत्रों, जैसे कि भैंसरोड़गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ परियोजना सरिस्का तथा राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य में जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये पर्याप्त उपाय नहीं किये गये।

सभी वन क्षेत्रों/खण्डों को अधिसूचित किये जाने के अभाव, राजस्व नक्शों पर वन क्षेत्रों के चिन्हिकरण के अभाव, स्तम्भों के द्वारा वन सीमाओं के चिन्हिकरण के अभाव तथा वन नक्शों के डिजिटलईजेशन के अभाव के कारण राज्य सरकार वनों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने में विफल रही।

राज्य सरकार मध्यम सघन वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा में सफल नहीं रही।

जैविक संसाधन और पारम्परिक ज्ञान के प्रलेखन हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने शेष थे।

नमूना जाँच किये गये सात वन्य जीव मण्डलों में वर्ष 2009-12 के दौरान पारिस्थितिक विकास सरचार्ज की एकत्रित की गई राशि ₹ 16.76 करोड़ का पारिस्थितिक विकास गतिविधियों में उपयोग नहीं किया गया।



### 2.1.1 प्रस्तावना


राजस्थान में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र (3,42,239 वर्ग किमी) का 4.7 प्रतिशत (16,087 वर्ग किमी) वन आवरण<sup>1</sup> है। तथापि, भूमि उपयोग स्वरूप, जैसा कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, 2010 में स्वीकार किया गया, वन भूमि आवरण में कमी तथा मरूस्थल भूमि में वृद्धि दर्शाता है। राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु, 'वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972' (वजीसंअ), 'वन संरक्षण अधिनियम, 1980' (वसंअ) एवं 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' (जैविअ) के साथ, एक विस्तृत वैधानिक ढांचा है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यतः प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास के उद्देश्यों हेतु 'राजस्थान राज्य वन नीति 2010' (पॉलिसी) भी अधिसूचित (फरवरी 2010) की गई। तत्पश्चात, वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्ति, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (केराउ) में पानी की कमी की समस्या का समाधान, वन्य जीव सलाहकार मण्डल की बैठकें, धरोहर स्थलों का चयन एवं राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (जैविप्रस) के गठन की कार्यवाही प्रारम्भ करने जैसे अनुकूल कदम उठाये गये।

राजस्थान में तीन<sup>2</sup> राष्ट्रीय उद्यानों<sup>3</sup> (राउ), 25 वन्य जीव अभ्यारण्यों<sup>4</sup>(वजीअ) एवं छः<sup>5</sup> कन्जर्वेशन रिजर्व<sup>6</sup>(करि) को समाविष्ट करते हुये 9,620.04 वर्ग किमी संरक्षित क्षेत्र<sup>7</sup>(संक्षे) नेटवर्क (मार्च 2012) है।

- 
1. पेड़ों के द्वारा आवरित क्षेत्र (इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार)।
  2. रणथम्भौर बाघ परियोजना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान।
  3. एक पर्याप्त पारिस्थितिक/जीव/वनस्पतिय महत्व होने और क्षेत्र में वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य के लिये घोषित; अन्दर रहने वाले लोगों को कोई अधिकार की अनुमति नहीं है।
  4. एक पर्याप्त पारिस्थितिक/जीव/वनस्पति महत्व होने और क्षेत्र में वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य के लिये घोषित; अन्दर रहने वाले लोगों को निश्चित अधिकारों की अनुमति है।
  5. बीसलपुर करि, जोड़बीड़ गठवाला करि, सुन्धामाता करि, गुढा विश्नोइयां करि, शाकम्भरी करि एवं गोगेलाव करि।
  6. सरकार के स्वामित्व वाले, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों से जुड़े क्षेत्र एवं ऐसे क्षेत्र जो संरक्षित क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं; अन्दर रहने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते।
  7. प्रकृति के संरक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार, एक संरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी तन्त्र सेवाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ प्रकृति के दीर्घकालीन संरक्षण की प्राप्ति हेतु स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र, मान्यता प्राप्त, समर्पित और कानूनी या अन्य प्रभावी साधनों के माध्यम से प्रबन्धित क्षेत्र, होता है।

### 2.1.2 संगठनात्मक स्वरूप

विभाग का संगठनात्मक स्वरूप निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:-



### 2.1.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र में, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र से बाहर जैव विविधता के संरक्षण, परियोजनाओं के विकास हेतु वनों के प्रत्यावर्तन प्रक्रिया एवं पारम्परिक पारिस्थितिक ज्ञान व जैव विविधता के संरक्षण हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2009-12 के दौरान किये गये प्रयासों को, सम्मिलित किया गया।

### 2.1.4 लेखापरीक्षा नमूना एवं कार्यप्रणाली

राजस्थान के 55 वन एवं वन्य जीव मण्डलों<sup>8</sup> में से आठ वन्य जीव मण्डलों<sup>9</sup> एवं नौ वन मण्डलों<sup>10</sup> का, जिनमें तीन राष्ट्रीय उद्यान<sup>11</sup> एवं 16 वन्य

8. वन: 42 और वन्य जीव: 13

9. उवसं एवं उप निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर; उमुखजीप्र, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर; उवसं बाघ परियोजना, सरिस्का; उवसं वन्य जीव, कोटा; उप निदेशक, राष्ट्रीय मरुउद्यान, जैसलमेर; उवसं, वन्य जीव चित्तौड़गढ़; उमुखजीप्र, उदयपुर एवं उवसं, जयपुर (मध्य)।

10. उवसं, जयपुर (उत्तर); उवसं, उदयपुर (दक्षिण); मवअ, बांसवाड़ा; मवअ, जोधपुर; उवसं, नागौर; उवसं, भीलवाड़ा; उवसं, श्रीगंगानगर; उवसं, झुन्झुनू और मवअ, झालावाड़ा।

11. रणथम्भौर बाघ परियोजना, केवलादेव राठ और मुकुन्दरा हिल्स राठ।

जीव अभ्यारण्य<sup>12</sup> समाहित हैं, का तीन मापदण्डों: व्यय, जोखिम निर्धारण एवं वनों के भौगोलिक फैलाव, के आधार पर सरल व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि के अनुसार विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रमुख (हॉफ), जयपुर, राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं कृषि तथा पशुपालन निदेशालयों के अभिलेखों की भी समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली में प्रलेखों की समीक्षा, सम्बन्धित सूचनाओं का संग्रहण एवं आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा, अवधि 2009-10 से 2011-12 को आवृत्त करते हुये, फरवरी से जून 2012 के दौरान की गई।

अतिरिक्त शासन सचिव के साथ दिनांक 21 फरवरी 2012 को हुई प्रारम्भिक वार्तालाप बैठक में लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं मापदण्डों की कार्य प्रणाली पर चर्चा हुई। विभागीय प्राधिकारियों के साथ दिनांक 26 अक्टूबर 2012 को अन्तिम वार्तालाप बैठक हुई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हुई एवं प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने के बारे में इंगित किया गया। राज्य सरकार का प्रत्युत्तर अपेक्षित रहा (दिसम्बर 2012)।

### 2.1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में निम्न आंकलन करना था:

- वनों एवं वन्य जीवों को संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के द्वारा सुरक्षा के लिये किये गये उपाय;
- वनों एवं वन्य जीवों की, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क से बाहर, सुरक्षा के लिये किये गये उपाय;
- विकास गतिविधियों के लिये वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालना;
- पारम्परिक पारिस्थितिक ज्ञान और जैव विविधता के संरक्षण हेतु किये गये उपाय तथा
- वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिये मितव्ययतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से राशियों का उपयोग।

---

12. सवाईमानसिंह वजीअ, जवाहर सागर वजीअ, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, सीतामाता वजीअ, बस्सी वजीअ, भैंसरोडगढ़ वजीअ, कुम्भलगढ़ वजीअ, फुलवारी की नाल वजीअ, टाटगढ़ वजीअ, जयसमन्द वजीअ, सज्जनगढ़ वजीअ, बाघ परियोजना सरिस्का, राष्ट्रीय मरुउद्यान, जैसलमेर, जमवारामगढ़ वजीअ, दर्रा वजीअ और नाहरगढ़ वजीअ।

### 2.1.6 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न से व्युत्पन्न किये गये:

- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (वजीसंअ), 1972;
- वन संरक्षण अधिनियम (वसंअ), 1980;
- राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, 2010;
- राजस्थान राज्य वन नीति, (पॉलिसी) 2010;
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (रावकायो), (2002-16) तथा
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 ।

### 2.1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विस्तृत विवरण निम्न अनुच्छेदों में दिया गया है:-

#### 2.1.7.1 संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से वन्य जीवों की सुरक्षा

वजीसंअ, 1972 के प्रावधानों, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया, के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों को गठित एवं विनियमित किया गया। इस अधिनियम के क्रियान्वयन को अन्य अधिनियमों से सम्पूरित किया गया, जैसे-वसंअ 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं जैविअ 2002। राज्यों के वन विभागों पर राष्ट्रीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निहित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा स्वयं की वन नीति (2010) अधिसूचित की गई जिस के अन्तर्गत सकल भौगोलिक क्षेत्र में से न्यूनतम पाँच प्रतिशत क्षेत्र को पृथक करना एवं संरक्षित क्षेत्र अधिघोषित किया जाना था। 31 मार्च 2009 को तीन राष्ट्रीय उद्यानों, 25 वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं छः कन्जर्वेशन रिजर्वों से समाविष्ट, केवल 9,483.15 वर्ग किमी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क आवृत्त किया गया, जोकि 31 मार्च 2012 को बढ़कर 9,620.04 वर्ग किमी हो गया। इस प्रकार कुल संरक्षित क्षेत्र में 17,112 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किमी का न्यूनतम पाँच प्रतिशत) के विरुद्ध 7,492 वर्ग किमी की कमी रही। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र के विकास/वृद्धि के लिये शिथिल दृष्टिकोण अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप वांछित स्तर तक संरक्षित क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ। नीचे ऐसे कुछ उदाहरणों का विवेचन किया गया है:

राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने हेतु अन्तिम अधिसूचना जारी नहीं किया जाना।

- रामऊ, जैसलमेर की राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रारम्भिक अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा मई 1981 में जारी की गई थी लेकिन अन्तिम अधिसूचना

31 वर्षों के बाद भी मार्च 2012 तक जारी नहीं की गई। विभाग द्वारा सूचित (दिसम्बर 2012) किया गया कि भारी संख्या में लोगों के विस्थापन एवं अधिकारों के अधिग्रहण हेतु भारी लागत की आवश्यकता होने से राज्य सरकार, इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिघोषित करने हेतु, उपयुक्त नहीं मानती है। सरकार के निर्णय की प्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

- इसी तरह बाघ परियोजना, सरिस्का की राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रारम्भिक अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा अगस्त 1982 में जारी की गई लेकिन दिसम्बर 2012 तक अन्तिम अधिसूचना जारी नहीं की गई। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभ्यारण्य में 28 गाँव व 958 परिवार मौजूद थे और उनका विस्थापन मार्च 2012 तक प्रक्रिया<sup>13</sup> में था। विस्थापन कार्य पूर्ण करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। फलस्वरूप बाघ परियोजना, सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी नहीं हो सकी जोकि, सरिस्का में बाघों की संख्या लगभग समाप्ति को ध्यान में रखते हुये, संरक्षण केन्द्रित प्रक्रिया हेतु सुविधा प्रदान कर सकती थी। विभाग ने तथ्य स्वीकार किये (दिसम्बर 2012) तथा अवगत कराया कि गाँवों के विस्थापन के बाद अधिघोषणा जारी की जावेगी।

कन्जर्वेशन/कम्युनिटी रिजर्व सृजित नहीं किया जाना।

- वजीसंअ, 1972 की धारा 36-ए एवं 36-सी उपबन्धित करती है कि राज्य सरकार स्वयं के किसी क्षेत्र को, स्थानीय समुदाय से परामर्श कर, कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती है तथा स्वेच्छा से जारी की गयी निजी/सामुदायिक भूमि, जो कि संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है, को जानवरों, पौधों एवं परम्परागत या सांस्कृतिक मूल्यों एवं चलनों के संरक्षण हेतु कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर सकती है। पॉलिसी भी कन्जर्वेशन/कम्युनिटी रिजर्व बनाने के लिये उपबन्धित करती है।

राज्य सरकार द्वारा अभी तक केवल छः कन्जर्वेशन रिजर्व<sup>14</sup> घोषित किये गये जबकि कोई भी कम्युनिटी रिजर्व घोषित नहीं किया गया (मार्च 2012)। 17 मण्डलों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि दो मण्डलों<sup>15</sup> द्वारा दो कम्युनिटी रिजर्व<sup>16</sup> सृजन के लिये प्रस्तावित किये गये। उवसं, श्रीगंगानगर ने पंचायतों की सहमति से बूढा जोहड़<sup>17</sup> नामक कम्युनिटी रिजर्व प्रस्तावित (अक्टूबर 2004) किया। तथापि, विशिष्ट शासन सचिव, वन विभाग ने भूमि का विवरण, जिला कलेक्टर एवं भूमि मालिकों की सहमति मांगी (मई

13. 352 परिवारों का विस्थापन किया गया।

14. बीसलपुर (टॉक), जोड़बीड़ गढवाला (बीकानेर), सुन्धा माता (जालौर), गुढा विश्नोइयान (जोधपुर), शाकम्भरी (सीकर) एवं गोगेलाव (नागौर)।

15. श्रीगंगानगर एवं नागौर।

16. बूढाजोहड़ (468.77 वर्ग किमी) एवं रोदू (455.39 बीघा)।

17. जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़।

2006)। उवसं, श्रीगंगानगर ने जून 2011 में भूमि का विवरण प्रस्तुत किया जबकि कलेक्टर एवं भूमि मालिकों की सहमति प्रस्तुत नहीं की गई। परिणामस्वरूप बूढा जोहड़ कम्युनिटी रिजर्व घोषित नहीं हो सका (मई 2012) एवं काला हिरण, चिंकारा एवं अन्य प्रजातियाँ, जो इस क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण/योजना नहीं बनाई जा सकी।

इसी प्रकार काले हिरणों एवं चिंकारा की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु उवसं, नागौर ने जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की सहमति के साथ 'कम्युनिटी रिजर्व, रोदू गाँव' की अधिघोषणा हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च 2011) लेकिन अधिसूचना मई 2012 तक प्रतीक्षित थी।

लेखापरीक्षा के जवाब में उवसं, श्रीगंगानगर ने सूचित किया (मई 2012) कि राजस्व विभाग एवं भूमि मालिकों की सहमति प्रतीक्षित है, जबकि उवसं, नागौर ने जवाब नहीं दिया (नवम्बर 2012)।

निषिद्ध क्षेत्रों को कन्जर्वेशन/कम्युनिटी रिजर्व क्षेत्र घोषित नहीं किया जाना।

- राज्य सरकार द्वारा वजीसंअ, 1972 की धारा 37 के अन्तर्गत वर्ष 1976 से 1986 के दौरान 33 क्षेत्रों<sup>18</sup> को निषिद्ध क्षेत्रों<sup>19</sup> के रूप में भी घोषित किया गया। वजीसंअ में संशोधन कर (2003) इस धारा को हटा दिया गया, क्योंकि वन क्षेत्रों में शिकार को पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया था। तथापि, ये शिकार निषिद्ध क्षेत्र राजकीय और सामुदायिक भूमि पर थे, अतः उन्हें कन्जर्वेशन/कम्युनिटी रिजर्व के रूप में घोषित किया जाना था। तदनुसार प्रमुवसं, राजस्थान, जयपुर ने सम्बन्धित खण्डीय प्राधिकारियों को इस आशय की अधिघोषणा हेतु कार्यवाही करने के निर्देश पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद (सितम्बर 2008) दिये, जिससे इन क्षेत्रों की जैव विविधता के प्रभावी विकास एवं संरक्षण के लिये केन्द्रीय सहायता प्राप्त की जा सके।

33 निषिद्ध क्षेत्रों में से केवल दो<sup>20</sup> कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किये गये तथा आठ वर्ष छः माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी 31 क्षेत्रों, जिनमें 14,370.18 हैक्टेयर भूमि समाविष्ट है, को कन्जर्वेशन/कम्युनिटी रिजर्व घोषित नहीं किया गया। विभाग ने सूचित (दिसम्बर 2012) किया कि सभी निषिद्ध क्षेत्रों, जो संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा के योग्य हैं, पर विचार किया जा रहा है।

#### 2.1.7.2 संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त उपाय

संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा किया जाना पॉलिसी का एक मुख्य उद्देश्य था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की सुरक्षा के लिये पर्याप्त

18. 14864.90 हैक्टर वन क्षेत्र समाविष्ट।

19. शिकार निषिद्ध क्षेत्र।

20. दिसम्बर 2011 में गुढा विशनोईयान एवं नवम्बर 2008 में जोड़बीड़ गड़वाला।

उपाय नहीं किये गये, जिन्हें अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित किया गया:

क्रिटिकल टाईगर  
हेबिटाट अधिनियम  
के अनुरूप सृजित  
नहीं किये गये।

- वजीसंअ, 1972 (2006 में संशोधित) के अनुच्छेद 38(v) के अनुसार एक टाईगर रिजर्व के दो भाग होने चाहिये; एक कोर/क्रिटिकल टाईगर हेबिटाट (सीटीएच) जोकि एक अनुल्लंघित क्षेत्र होगा व एक बफर क्षेत्र जोकि सीटीएच के लिये परिधीय क्षेत्र होगा, जहाँ कम आवास सुरक्षा वांछित हो।

राज्य सरकार द्वारा रणथम्भौर बाघ परियोजना एवं बाघ परियोजना सरिस्का, जिसमें क्रमशः 1,113.36 वर्ग किमी (राउ का कुल क्षेत्र 1,394.48 वर्ग किमी) तथा 881.11 वर्ग किमी (वजीअ का कुल क्षेत्र 881.11 वर्ग किमी) क्षेत्र समाविष्ट हैं, सीटीएच अधिसूचित (दिसम्बर 2007) किया गया। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि रणथम्भौर बाघ परियोजना एवं बाघ परियोजना सरिस्का दोनों में जो क्षेत्र सीटीएच घोषित किया गया था, अनुल्लंघित नहीं था तथा कोर क्षेत्र में मानव एवं पशु आवास कर रहे थे। इस दृष्टि से रणथम्भौर बाघ परियोजना का सीटीएच में सृजन पूर्वाक्त अधिनियम के अनुरूप नहीं था। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2012) कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (राबासंप्रा) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह नहीं था कि सीटीएच अधिघोषणा के समय सीटीएच में कोई मानव बस्ती नहीं होगी। गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया प्रगति में है। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत सीटीएच अनुबन्धित एवं सुरक्षित क्षेत्र होना चाहिए जबकि पाँच वर्ष पश्चात् भी मानव एवं पशुओं को विस्थापित नहीं किया गया है।

एक राउ/वजीअ को  
दूसरे से जोड़ने के लिये  
कोरिडोर निर्माण नहीं  
किया जाना।

- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना 2002-16 के अनुसार राज्यों को संकटापन्न एवं जीर्ण प्रजातियों को शरण देने के लिये मुख्य संरक्षित क्षेत्रों के बीच वन्य जीव कोरिडोर<sup>21</sup> की पहचान करनी थी।

तीन मण्डलों<sup>22</sup> की नमूना जाँच में यह प्रेक्षित हुआ कि राज्य सरकार ने रणथम्भौर बाघ परियोजना; कैलादेवी वजीअ; सवाई मानसिंह वजीअ; रामगढ़ विषधारी वजीअ; जवाहर सागर वजीअ एवं मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिये, वन्य जीवों जैसे-बाघों के सुरक्षित घूमने की प्रबन्ध इकाई के रूप में 'राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व कॉरिडोर' नामक कोरिडोर के लिये

21. मानव गतिविधियों (जैसे कि सड़कें, विकास या लॉगिंग) से पृथक रखा गया वन्य जीवों के आवास को जोड़ने वाला क्षेत्र, एक वन्य जीव कोरिडोर कहलाता है। यह जानवरों के मध्य प्राकृतिक आपसी विनियम को स्वीकार करता है, जो अन्तः प्रजनन एवं अल्प आनुवांशिक विविधता के विपरीत प्रभावों के बचाव में मदद कर सकता है जोकि प्रायः विलग प्रजातियों में उत्पन्न होता है। कोरिडोर यादृच्छिक घटनाओं (जैसे कि आग या बीमारी) के कारण जानवरों की कम या विलुप्त हुई संख्या को पुनः स्थापित करने में मदद करता है। यह आवास अपखण्डन के कुछ खराब प्रभावों को कम कर सकता है।

22. रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर, बाघ परियोजना सरिस्का एवं वन्य जीव कोटा जिनमें बाघ पाये जाते हैं एवं जो वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े हुये हैं।

एक प्रस्ताव (जनवरी 2012) अनुमोदित किया। विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है।

गोडावण की सुरक्षा का अभाव।

- भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला गोंडावण, एक संकटापन्न पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (दिसम्बर 2011) के अनुसार देश में केवल 296 गोडावण हैं जिनमें से 175 राजस्थान में पाये जाते हैं। भारत सरकार के 'रिकवरी प्रोग्राम फोर सेविंग क्रिटीकली एनडेनजर्ड स्पीसीज एण्ड हैबिटाट्स' के अन्तर्गत गोडावण को भी चिन्हित किया गया (अप्रैल 2010)।

लेखापरीक्षा के दौरान यह प्रेक्षित हुआ कि राज्य सरकार द्वारा गोडावण के लिये कोर क्षेत्र विकास, बाड़ा निर्माण, चारागाह एवं ढाँचागत विकास हेतु ₹ 34.35 करोड़ की रिकवरी योजना भारत सरकार को प्रस्तुत (अगस्त 2009) की गई, जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित (मई 2012) था। विभाग द्वारा भारत सरकार को मामला आगे बढ़ाये जाने के लिये किये गये प्रयास अभिलेखों में नहीं थे। तथापि, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक केन्द्र प्रवर्तित योजना 'इंटीग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाईफ' के अन्तर्गत उप निदेशक, रामउ जैसलमेर को, अभ्यारण्य की विभिन्न गतिविधियों<sup>23</sup> के लिये ₹ 1.05 करोड़ जारी किये गये। लेखापरीक्षा ने आगे प्रेक्षित किया कि यद्यपि यह राशि इन गतिविधियों पर व्यय की गई तथापि, गोडावण की सुरक्षा/संरक्षण के अप्रभावी उपायों/योजनाओं तथा भारत सरकार द्वारा रिकवरी प्लान स्वीकृत नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप विभाग में फण्ड की अनुपलब्धता के कारण गोडावण की संख्या में कमी (2008 में 73 एवं 2011 में 52) पाई गई। यह भी कि, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय मरुउद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर के लिये अधिसूचित किये गये 3,162 वर्ग किमी क्षेत्र में से केवल 50.76 वर्ग किमी क्षेत्र (वजीअ का दो प्रतिशत क्षेत्र) ही वास्तव में वन भूमि थी जबकि शेष निजी, सरकारी एवं राजस्व भूमि थी। इसके अलावा, 73 गांव वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित थे, जिसके परिणामतः जैविक दबाव, प्राकृतिक आवास व्यवधान एवं आवास अपखण्डन हुआ। विभाग ने गांवों के विस्थापन एवं वन क्षेत्र में वृद्धि हेतु कोई प्रयास नहीं किये।

विभाग ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) कि योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

23. नये क्लोजर का निर्माण, कैमरा ट्रैप्स एवं वायरलैस उपकरण क्रय, पुराने क्लोजर में पुनः बीजान इत्यादि।



सरिस्का वजीअ में जैव विविधता को खतरा

- बाघ परियोजना सरिस्का के कोर क्षेत्र से राज्य उच्चमार्ग (राउ)-13 एवं राउ-29ए गुजरते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राउ-13<sup>24</sup> से वाणिज्यिक वाहनों के संचालन पर रोक एवं इसके बजाय यातायात को उपमार्ग से गुजारने एवं राउ-29ए पर यातायात बन्द करने के निर्देश (मई 2009) दिये। 2009 से 2011 तक पाँच वन्य जीवों की दुर्घटना से मौत होने को भी अभिलेखित किया गया।



सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्दर राज्य उच्च मार्ग-13 पर यातायात

राउ-13 के वैकल्पिक रोड़ बनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये आंकलन के आधार पर वन विभाग द्वारा ₹ 21.11 करोड़ का एक प्रस्ताव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (राबासंप्रा) को भेजा गया (अगस्त 2011) जिसे 2012-13 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि राबासंप्रा ने राज्य सरकार को निर्देश दिये (नवम्बर 2011) कि परियोजना की स्वीकृति से पूर्व, प्रथमतः यह सुनिश्चित किया जाये कि राउ-29ए भारी यातायात के लिये पूर्णतः बन्द कर दिया गया है। तथापि उवसं, बाघ परियोजना सरिस्का की लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर भी राउ-13 पर भारी वाहन एवं राउ-29ए पर तीन नियमित बसें अभी तक संचालित हो रही हैं (मार्च 2012)।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2012) कि वैकल्पिक रोड़ का निर्माण हाल ही में प्रारम्भ कर लिया गया है जिसे पूर्ण होने में यथेष्ट समय लगेगा।

राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य में कमजोर कार्यप्रणाली।

- विकासात्मक दृष्टि से विश्व में घड़ियाल, नदी में निवास करने एवं मछली भक्षण करने वाला अनन्य मगरीय प्रजाति का सबसे विशिष्ट जीव है। यह इन्टरनेशनल यूनियन फोर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की संकटापन्न प्रजातियों की लाल सूची में 'अतिसंकटापन्न' प्रजाति के रूप में

24. कुशालपुरा तिराया किमी 197/0 से 'थेन्क यू बोर्ड' किमी 204/0 के पास।

सम्मिलित है। वर्तमान में भारतीय उप महाद्वीप में विद्यमान इसकी प्रजनन संख्या भारत में मुख्यतया केवल दो नदियों गिर्वा, एवं चम्बल में ही सीमित रह गयी हैं। तदनुसार तीन राज्यों,<sup>25</sup> ने चम्बल का जो हिस्सा उनसे सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में है, को वजीअ के रूप में घोषित किया है।

राज्य सरकार द्वारा, जुलाई 1983 में राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य या नेशनल क्रोकोडाईल सेन्चुअरी (एनसीएस) घोषित कर उसका प्रबन्धन सवाईमाधोपुर, कोटा, बून्दी, करौली और धौलपुर मण्डलों के सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारियों को सौंपा गया। वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना रणथम्भौर द्वारा एनसीएस के लिये 2010-20 अवधि हेतु प्रथम प्रबन्ध योजना तैयार की गई जिसे प्रमुखसं, जयपुर द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2010) किया गया। प्रबन्ध योजना में, एनसीएस के लिये उचित कार्य प्रणाली/ योजना/कार्यक्रम के निष्पादन के लिये एक पृथक मण्डल की स्थापना किये जाने को, सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि प्रबन्ध योजना के क्रियान्वयन हेतु न तो पृथक मण्डल सृजित किया गया न ही वजीअ हेतु पृथक स्टॉफ स्वीकृत एवं पदस्थ किया गया (मार्च 2012)। इसके अतिरिक्त 2010-11 तक कोई वार्षिक कार्य योजना (वाकायो) स्वीकृत नहीं की गई। वाकायो 2011-12 के लिये स्वीकृत ₹ 76.00 लाख के विरुद्ध मात्र ₹ 50.29 लाख का उपयोग किया गया। आगे, न तो घड़ियालों की गणना की गई (मार्च 2012) एवं न ही राज्य सरकार के पास घड़ियालों की जीवितता स्थिति की जानकारी थी।

मुखसं, कोटा ने तथ्य स्वीकार किये (मई 2012)। विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि एनसीएस के लिये एक पृथक मण्डल जुलाई 2012 में सृजित कर लिया गया है तथा पर्याप्त स्टॉफ उपलब्ध करा दिया गया है।

भैंसरोड़गढ़ वजीअ में प्राकृतिक आवासों की अवनति।

- राज्य सरकार द्वारा 193.09 वर्ग किमी क्षेत्र को भैंसरोड़गढ़ वजीअ के रूप में घोषित (फरवरी 1983) किया। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि वजीअ की प्रबन्ध योजना (2003-13) में, 26 राजस्व ग्राम और 17.73 वर्ग किमी कृषि भूमि सम्मिलित करते हुए, 80.45 वर्ग किमी गैर वनभूमि का उल्लेख था। 2009-11 अवधि की वन्यजीव गणना प्रतिवेदनों में वन्यजीव अभ्यारण्य में पशुओं, जैसे कि जरख, सियार, जंगली सुअर, मगरमच्छ, जंगली बिल्ली आदि, की संख्या में कमी<sup>26</sup> पायी गई। राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य में अधिक जैविक दबाव के कारण प्राकृतिक वास स्थलों में अवनति को रोकने के लिये गाँवों के विस्थापन की कोई योजना नहीं बनाई गयी (मार्च 2012)।

25. मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश, जिनमें चम्बल प्रवाहित होती है।

26. 2009-11 के दौरान जानवरों की कमी हुई (जरख: 26 से 18, सियार: 157 से 73, जंगली सुअर: 342 से 152, मगरमच्छ: 31 से 18 और जंगली बिल्ली: 38 से 19)।

संकटापन्न भालुओं की सुरक्षा के अप्रभावी उपाय।

- पॉलिसी में अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिमी भागों, विशेषतः जालौर जिले की जसवन्तपुरा पहाड़ियों, में भालू की आबादी के संरक्षण हेतु क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में घोषित किये जाने की आवश्यकता का उल्लेख है।

यह प्रेक्षित हुआ कि भालू की सुरक्षा के लिये वजीअ घोषित नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा जालौर जिले के जसवन्तपुरा वनखण्ड में केवल एक कन्जर्वेशन रिजर्व 'सुन्धामाता' घोषित किया गया (जुलाई 2010)। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में मार्च 2012 तक भालू की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये कोई योजना प्रारम्भ नहीं की गई। विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि भालू के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जाना प्रक्रियाधीन है।

संरक्षित क्षेत्रों के भीतर रहने वाले लोगों का विस्थापन नहीं किया जाना।

- राज्य पर्यावरण नीति में कहा गया है कि संरक्षित क्षेत्र के आस-पास के गाँवों का विस्थापन चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से शीघ्रता से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान (64) एवं सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य (28) के कोर क्षेत्र में कुल 92 गाँवों की, विस्थापन हेतु पहचान की गई (2007-08)।

लेखापरीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 2012 तक रणथम्भौर बाघ परियोजना के 565 (1615 में से) परिवारों वाले 61 गाँवों एवं बाघ परियोजना सरिस्का के 606 (958 में से) परिवारों वाले 26 गाँवों का विस्थापन किया जाना शेष था। ग्रामीणों की अतिरिक्त मांगों के कारण विस्थापन की प्रक्रिया धीमी थी जोकि विस्थापन पैकेज की कमी को इंगित करता है।

उवसं, बाघ परियोजना सरिस्का ने प्रत्युत्तर में सूचित किया (अप्रैल 2012) कि ग्रामीणों की सहमति नहीं होने के कारण विस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्थापन के लिये ग्रामीणों से सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है जो काफी समय लेता है। यदि राबासंप्रा से पर्याप्त धन प्राप्त होता है तो इस कार्य को वांछित स्थिति तक लाया जा सकता है।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर रहने वाले सभी लोगों के विस्थापन में सफल नहीं रही, यद्यपि विस्थापन की प्रक्रिया गत 35 वर्षों से निरन्तर जारी है जबकि इन राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में इनकी उपस्थिति वन्य जीवों को खतरा पैदा करने वाली है।

राज्य वन्य जीव अपराध ब्यूरो की स्थापना नहीं किया जाना।

- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन 2006 (धारा 38 वाई), केन्द्रीय स्तर पर वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वजीअनिब्यूरो) के गठन हेतु प्रावधान करता है जो वन्य जीव अपराध के क्षेत्र में राज्य सरकारों से समन्वय रखेगा। राज्य सरकार ने अपनी पॉलिसी में वन्य जीव संबंधी अपराधों से निपटने, गुप्त सूचना एकत्र करने एवं वन्य जीव अपराधों के त्वरित

तथ्यान्वेषण करने हेतु राज्य वन्य जीव अपराध ब्यूरो (रावजीअब्यूरो) की स्थापना का उल्लेख किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा रावजीअब्यूरो का, नवम्बर 2012 तक गठन नहीं किया गया। 15 मण्डलों<sup>27</sup> की नमूना जाँच में पाया गया कि अप्रैल 2009 तक 463 प्रकरण बकाया थे। वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रमशः 83, 117 एवं 79 वन्य जीव अपराध प्रकरण दर्ज किये गये तथा 48, 70 तथा 120 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। मार्च 2012 के अन्त में 303 प्रकरण विभागीय स्तर पर निस्तारण हेतु लम्बित थे। एक वर्ष से कम, एक से तीन वर्ष तक एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित प्रकरण क्रमशः 76, 115 एवं 112 थे। वन्य जीव अपराधों के प्रति आम नागरिकों में वन्य जीव अपराधों की तर्जना हेतु प्रकरणों के तुरन्त पंजीकरण, निस्तारण एवं शीघ्रातिशीघ्र शास्ति आरोपित किया जाना महत्वपूर्ण है। राज्य वन्य जीव अपराध ब्यूरो के गठन की असफलता ने गुप्तचर सूचना का संकलन एवं वन्य जीव अपराधों का त्वरित तथ्यान्वेषण प्रभावित किया फलतः वन्य जीव अपराध के अत्याधिक मामले बकाया पड़े हैं।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि रावजीअब्यूरो की स्थापना हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है।

### 2.1.7.3 वन भूमि का प्रबन्धन

पॉलिसी विद्यमान वनों की सभी प्रकार के मानवीय दबावों से सुरक्षा तथा कार्य योजनाओं के द्वारा स्थायी आधार पर प्रबन्धन की परिकल्पना करती है। निष्पादन लेखापरीक्षा में राज्य सरकार की ओर से वनभूमि की सुरक्षा में पाई गयी कमियां निम्न अनुच्छेदों में वर्णित की गई हैं:

वन क्षेत्र में कमी

- फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित इण्डिया स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान का अभिलिखित वन क्षेत्र 32,639 वर्ग किमी (विभाग के अभिलेखों के अनुसार मार्च 2011 में 32712.90 वर्ग किमी) है जोकि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.54 प्रतिशत है। इण्डिया स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट 2009 एवं

27. उवसं, वन्य जीव, चित्तौड़गढ़, उवसं, झुन्झुनू ने सूचनार्थ प्रस्तुत नहीं की।

2011 के अनुसार वन आवरण<sup>28</sup> की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 1: वनावरण वन की स्थिति

(वर्ग किमी में)

के अनुसार स्थिति	वन आवरण	अत्यधिक सघन वन	मध्यम सघन वन	खुले वन
स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट, 2011	16,087	72	4,448	11,567
स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट, 2009	16,036	72	4,450	11,514
शुद्ध वृद्धि(+)/कमी (-)	(+) 51	शून्य	(-) 2	(+) 53

लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि 2011 में कुल वनावरण में 51 वर्ग किमी की वृद्धि, मध्यम सघन वन में दो वर्ग किमी की कमी एवं खुले वन में 53 वर्ग किमी की वृद्धि रही। इस प्रकार राज्य सरकार मध्यम सघन वन के संरक्षण एवं सुरक्षा में सक्षम नहीं रही, जिससे इसमें कमी हुई।

• वन भूमि के अमलदरामद का अभाव

राज्य सरकार (प्रशासनिक सुधार विभाग) ने सभी श्रेणियों की वन भूमि को 31 दिसम्बर 2000 तक, राजस्व अभिलेखों में वन विभाग (विभाग) के नाम अभिलेखित किये जाने के लिए जिला स्तरीय समितियों (जिस्तस)<sup>29</sup> का गठन किया (अगस्त 1999)। जिस्तस की अवधि समय-समय<sup>30</sup> पर 31 दिसम्बर 2012 तक बढ़ाई गई।

उवसं, मरू पौधारोपण एवं फार्म विकास, जालौर के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2011) एवं प्रमुवसं राजस्थान, जयपुर से अन्य 53 मंअ/उवसं/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक (उमुवजीप्र) के संबंध में संग्रहित सूचनाओं (जून 2012) में पाया गया कि 5.97 लाख है0 (अप्रैल 1999) वन भूमि गैर अमलदरामद थी जिसमें से 13 वर्षों (1999-2012) में केवल 1.07 लाख है0 भूमि अमलदरामद हुई। यह विभाग की शिथिल कार्यशैली एवं कमजोर अनुश्रवण को इंगित करता था।

मार्च 2012 तक 4.90 लाख है0 गैर अमलदरामद भूमि के विश्लेषण में आगे पाया गया कि उक्त भूमि को, असर्वेक्षित (2.96 लाख है0); चारागाह/इन्टीरियर लाईन/अन्य विभागीय (0.54 लाख है0); आवंटित/खातेदारी/

28. वृक्षआवरण का घनत्व 70 प्रतिशत एवं अधिक - अत्यधिक सघन वन भूमि; वृक्षआवरण का घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक एवं 70 प्रतिशत से कम - मध्यम सघन वन भूमि; वृक्षआवरण का घनत्व 10 प्रतिशत से अधिक एवं 40 प्रतिशत से कम - खुला वन क्षेत्र।

29. जिला कलेक्टर अध्यक्ष एवं उप वन संरक्षक सदस्य सचिव।

30. फरवरी 2001 में दिसम्बर 2002 तक, फरवरी 2003 में 31 दिसम्बर 2004 तक, जून 2005 में 31 दिसम्बर 2006 तक, मई 2007 में 31 दिसम्बर 2008 तक और नवम्बर 2011 में 31 दिसम्बर 2012 तक।

आबादी (0.45 लाख है0) और उक्त श्रेणियों से इतर (0.95 लाख है0) भूमि के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार, लम्बे समय से इस भूमि के अमलदरामद नहीं होने से न केवल वृक्षारोपण के उद्देश्य पर ही विपरीत प्रभाव पड़ा वरन् राशि ₹ 1971 करोड़<sup>31</sup> की 0.45 लाख हैक्टेयर भूमि, जिसे अन्य विभागों/खातेदारी/आबादी के रूप में आवंटित किया गया था, को गैर वानिकी उद्देश्यों हेतु उपयोग लिया जा रहा था जबकि इस गैर अमलदरामद क्षेत्र को राज्य के समग्र वन क्षेत्र के भाग के रूप में दर्शाया जा रहा था।

राज्य सरकार ने उवसं, जालौर के जवाब को पृष्ठांकित (अप्रैल 2012) करते हुए सूचित किया कि 244.36 हेक्टेयर भूमि, न्यायालय के निर्णय तथा खनिज विभाग द्वारा आवंटन (214.36 हेक्टेयर) के कारण, अमलदरामद होना लम्बित थी तथा शेष भूमि के लिए जिला कलेक्टर जालौर द्वारा अमलदरामद करवाने हेतु प्रयास जारी हैं।

तथ्य यह रहा कि समग्र भूमि बहुत पहले, नवम्बर 1992 में वन भूमि के रूप में अधिसूचित की जा चुकी थी लेकिन मार्च 2012 तक अमलदरामद नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार, 5.97 लाख हेक्टेयर भूमि जो दिसम्बर 2000 में अमलदरामद की जानी थी, के विरुद्ध 12 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद केवल 1.07 लाख हेक्टेयर वन भूमि को ही अमलदरामद किया गया जोकि विभाग के सुस्त और दुलमुल प्रयास को इंगित करता है, जिसकी परिणति वन भूमि पर अतिक्रमण, न्यायिक प्रकरणों की उत्पत्ति एवं राज्य के वन क्षेत्र में ह्रास के रूप में हुई।

सभी वन क्षेत्रों/मण्डलों के लिए कार्य योजनायें बनाये जाने का अभाव।

- वसंअ 1980 के प्रावधानों एवं रिट पिटीशन संख्या 202/95 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिसम्बर 1996 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी वन मण्डलों के लिये कार्य योजनायें (कायो) बनायी जानी थी तथा उन्हें भारत सरकार से अनुमोदित कराया जाना था। कार्य योजनायें दो वर्ष की अवधि में बनानी थीं एवं निर्धारित समय में कायो नहीं बनाये जाने के मामलों में नियमित कायो बनाये जाने एवं अनुमोदित कराये जाने तक वन क्षेत्रों में पेड़ों की आगामी कटाई स्थगित रखी जानी थी। सभी वानिकी कार्य अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार दृढता से किये जाने थे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कायो तैयार किये जाने के लिये विस्तृत अनुदेश तथा दिशा निर्देश भी जारी किये गये।

31. गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि की शुद्ध वर्तमान मूल्य की वसूली हेतु पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा गैर वानिकी उद्देश्य के लिए फरवरी 2009 में निर्धारित न्यूनतम दर ₹ 4.38 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से गणना की गई है।

प्रमुवसं (कायो) एवं मंवअ, जोधपुर के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि 1997-98 के बाद 33 जिलों में से 22 जिलों<sup>32</sup> की कोई कार्ययोजना अनुमोदित नहीं थी। सभी सात सम्भागीय कार्यालयों में जून 2009 में कायो बनाने व प्रबोधन के लिये कार्य योजना अधिकारियों (कायोअ) की नियुक्ति के पश्चात् 11 जिलों<sup>33</sup> में उनकी कायो प्रस्तुत हुई। यह भी प्रेक्षित हुआ कि वित्त विभाग के अनुमोदन से 2012-13 तक 16 जिलों<sup>34</sup> में कायो बनाने का कार्य एक बाह्य संस्था को दिया (जनवरी 2012) गया, क्योंकि 2012-13 के बाद तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत बिना कार्य योजना के कोई राशि जारी नहीं की जानी थी। शेष छः जिलों की स्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि यहाँ तक कि इन जिलों में वानिकी कार्यक्रम के निष्पादन हेतु वार्षिक कार्य योजना भी तैयार नहीं की गई, जो वन संरक्षण अधिनियम एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन था। प्रमुवसं, कार्य योजना एवं वन बन्दोवस्त, राजस्थान, जयपुर ने स्वीकार किया (मई 2012) कि 22 जिलों में कार्य योजना बनाने का कार्य सम्भव नहीं हो सका, इसलिये 16 उवसं को कायोअ के रूप में घोषित (नवम्बर 2011) किया गया। विभाग ने सूचित (दिसम्बर 2012) किया कि नौ जिलों की कायो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है और सात जिलों के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं। शेष 15 जिलों के प्रस्ताव तैयार करने एवं प्रस्तुत करने का कार्य प्रगति पर है।

वनभूमि पर गैर-  
कानूनी अतिक्रमण  
रोकने के लिये  
निष्क्रियता।

• राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(i), जिस के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक (सवसं) को दण्ड आरोपण कार्यवाही के लिये अधिकृत किया गया है, निर्दिष्ट करती है कि कोई व्यक्ति जो बिना कानूनी प्राधिकार के किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा बनाये रखता है, एक अतिचारी के रूप में माना जायेगा एवं किसी भी समय बेदखल किया जा सकेगा। वहीं धारा 91(2) ऐसे अतिचारी पर दण्ड<sup>35</sup> आरोपित करने के लिये निर्दिष्ट करती है।

32. 1997-98 (16), 1998-99(1), 2000-01(2), 2006-07(1) और 2008-09(2)।

33. बांसवाड़ा; चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ (2008-09); बीकानेर एवं उदयपुर (2009-10); जयपुर (2010-11); चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, राजसमन्द व श्रीगंगानगर (2011-12)।

34. बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर और टोंक ।

35. इस प्रकार के प्रथम अतिचार के लिये, जिसमें भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है, प्रत्येक कृषि वर्ष की पूर्ण अथवा इसके किसी भाग की अवधि के लिये, दण्ड वार्षिक किराये या निर्धारण का 50 गुणा तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद के अतिचार के प्रकरण में वह एक अवधि के लिये जिसे तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है। नागरिक कैद के अपराध के लिये उत्तरदायी होगा तथा बढ़ी हुई अवधि के लिये दण्ड का भुगतान किया जाता है।

प्रमुवसं (हॉफ) के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार मार्च 2012 तक समस्त राजस्थान में 35,313.49 हैक्टेयर वन भूमि क्षेत्र पर अनाधिकृत कब्जा किया गया था, जबकि 31 मार्च 2009 को यह कब्जा 28,521.08 हैक्टेयर पर था। इसमें 33 मलिनावासों का 796.72 हैक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित था। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि मार्च 2012 तक विभाग में अनधिकृत कब्जे के 30,280 प्रकरण निपटान हेतु लम्बित थे। 17 मण्डलों की नमूना जाँच में पाया गया कि 13 मण्डलों में 5914 ऐसे प्रकरण (8,791.13 हैक्टेयर भूमि) निपटान हेतु विभागीय प्राधिकारियों के पास लम्बित थे जिनमें 5,188 प्रकरण तीन वर्ष से अधिक अवधि के थे (परिशिष्ट 2.1)।

कम दण्ड आरोपित किया जाना।

लेखापरीक्षा में यह भी प्रेक्षित हुआ कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दण्ड के रूप में वार्षिक किराये की 50 गुणा शास्ति आरोपित किये जाने के बजाय विभाग द्वारा अधिकांश अतिचारियों पर वार्षिक किराये की 10 गुणा शास्ति आरोपित की। इसने अतिचारियों को समुचित रूप से हतोत्साहित करने का कार्य नहीं किया। विभाग ने अतिचारियों को अन्तिम रूप से विस्थापित कराने के लिये कोई कदम नहीं उठाये। विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि दण्ड में ₹ 2500 तक की वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अवैध खनन से वनों की सुरक्षा न किया जाना।

- राजस्थान वन अधिनियम 1953 वन क्षेत्र में पत्थरों का खनन निषिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य वन नीति निर्दिष्ट करती है कि अवैध खनन को रोकने हेतु उपग्रह एवं चित्रण प्रणाली सम्मिलित करते हुये कठोर निगरानी व्यवस्था के प्रयास किये जाने चाहिये तथा खनन, वन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा, वन क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण की निगरानी व्यवस्था द्वारा, अवैध खनन को नियन्त्रित किया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विभाग ने वन क्षेत्र में अवैध खनन प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिये उपग्रह चित्रण प्रणाली का उपयोग नहीं किया। आगे, 17 मण्डलों में से केवल पाँच मण्डलों<sup>36</sup> में 2009-12 के दौरान अवैध खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की गई तथा केवल दो मण्डलों<sup>37</sup> में वन, खनन व पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध खनन की जाँच किये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रमुवसं (वन सुरक्षा) से प्राप्त सूचना (सितम्बर 2012) के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में 3730, 3148 एवं 2458 अवैध खनन के प्रकरण क्रमशः 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में दर्ज किये गये। 31 मार्च 2012 तक 575 प्रकरण निपटान हेतु बकाया थे। 17 वन मण्डलों की नमूना जाँच में अवैध खनन के 751, 635 एवं 494 प्रकरण क्रमशः 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में दर्ज किये गये। विभाग में मार्च

36. उवसं, वजी कोटा; उवसं जयपुर (मध्य); उवसं श्रीगंगानगर; उवसं भीलवाड़ा एवं उवसं नागौर।

37. उवसं श्रीगंगानगर एवं उवसं नागौर।



2012 (परिशिष्ट 2.2) के अन्त तक 447 प्रकरण बकाया थे, जिनमें 204 प्रकरण तीन वर्षों से अधिक पुराने थे।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि खनन प्रभावित दस जिलों की पहचान कर ली गयी है एवं टास्क फोर्स की स्थापना की जा चुकी है। होमगार्ड की तैनाती के लिये ₹ 4.05 करोड़ की एक योजना वित्त विभाग के विचाराधीन है।

अवैध चराई से वनों की सुरक्षा न किया जाना।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26(1)(घ), वन क्षेत्र में पशुओं की चराई निषिद्ध करती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-16) का अनुच्छेद 5.1, चराई फीस बढ़ाने एवं वनों में अत्याधिक चराई को नियन्त्रित कर इसे विनियमित करने के उपायों का उल्लेख करता है।

विभाग ने 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान अवैध चराई के क्रमशः 4,452, 4,256 एवं 3,749 प्रकरण दर्ज किये। 17 मण्डलों की नमूना जाँच में 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रमशः 1875, 1,884 एवं 1,975 प्रकरण दर्ज किये गये। मार्च 2012 तक विभाग में 230 प्रकरण लम्बित थे, जिनमें से 83 प्रकरण एक से तीन वर्ष पुराने एवं 115 प्रकरण तीन वर्षों से अधिक पुराने थे (परिशिष्ट 2.3)। विभाग द्वारा प्रकरण लम्बित रखने के कोई कारण नहीं बताये गये। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा चराई को विनियमित करने के लिये प्रणाली एवं पशुओं के लिये स्टाल फीडिंग को बढ़ावा देने व चारागाह विकास की कोई योजना विकसित नहीं की गई।

राज्य में वन क्षेत्रों/ खण्डों को अधिसूचित करने में विफलता।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 4 एवं 29 के अन्तर्गत सभी वन खण्डों/भूमि को इनकी उचित सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु आरक्षित वन<sup>38</sup> (आव) संरक्षित वन<sup>39</sup> (संव) में अधिसूचित किया जाना चाहिये।

वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार 32,712.90 वर्ग किमी वन आच्छादित (मार्च 2011) क्षेत्र में से 12,410.69 वर्ग किमी (37.94 प्रतिशत) आव तथा 18,268.14 वर्ग किमी (55.84 प्रतिशत) संव है। शेष 2,034.07 वर्ग किमी (6.22 प्रतिशत) क्षेत्र (मार्च 2011 तक) अवर्गीकृत है। 17 मण्डलों की नमूना

38. आरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित एवं पूर्ण सुरक्षित एक क्षेत्र या भूमि समूह है। आरक्षित वनों में सभी गतिविधियाँ निषिद्ध हैं, जब तक कि अनुमति नहीं दी जावे। इसमें दावों का निपटान भी सम्मिलित हो सकता है।

39. संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र या भूमि का समूह है, जिसमें सुरक्षा का सीमित दर्जा है। संरक्षित वनों में सभी गतिविधियाँ अनुमत्य हैं, जब तब कि निषिद्ध न की जावें। इसमें दावों के निपटान की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है।

जाँच में पाया गया कि 11,179.12 वर्ग किमी वन भूमि में से 609.32 वर्ग किमी (5.45 प्रतिशत) अवर्गीकृत थी।

इसके आगे, वसंअ, 1980 की धारा-5 के अन्तर्गत एवं पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा वन भूमि का गैर वन गतिविधियों हेतु उपयोग के लिये जारी स्वीकृतियों में निर्धारित शर्तों के अनुसार, गैर वन गतिविधियों के बदले में प्राप्त भूमि के अमलदरामद किये जाने से छः माह के अन्दर, राज्य सरकार द्वारा आव/संव के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिये। चयनित मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 17 मण्डलों में से चार<sup>40</sup> में प्राप्त 629.33 हैक्टेयर गैर वन भूमि को विभाग द्वारा छः माह में आव/संव के रूप में अधिसूचित नहीं किया। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2012) कि वन क्षेत्र को अधिसूचित करना एक सतत् प्रक्रिया है एवं वर्ष 2012-13 के दौरान 5184.69 हैक्टेयर वन भूमि की अधिसूचना के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

अधिसूचित वन क्षेत्रों के चिन्हीकरण का अभाव।

• वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 35 के अनुसार राज्य सरकार को, किसी क्षेत्र के विधिक आधार पर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, वन उपवन के रूप में अधिसूचित करना होता है। वैधानिक प्रक्रिया में, वन विभाग के पक्ष में भूमि के अमलदरामद<sup>41</sup> के साथ साथ उसका राजस्व नक्शे में चिन्हीकरण भी शामिल है। पालिसी यह भी बताती है कि राज्य में सभी अधिसूचित क्षेत्रों की अमलदरामदगी और भूमि पर सीमा स्तम्भ लगाकर तथा नक्शों में उचित भू-संदर्भित डिजिटाइज्ड सीमा लाईनों से सीमांकन करना चाहिये। आगे, संरक्षित क्षेत्रों की प्रबन्ध योजनायें तथा कार्य योजनायें भी यही प्रस्तावित करती हैं। आवंटित भूमि के अमलदरामद के पश्चात इस भूमि का राजस्व नक्शों में चिन्हीकरण आवश्यक होता है ताकि वन विभाग को आवंटित भूमि, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा दूसरे व्यक्तियों को पुनः आवंटित नहीं की जा सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 नमूना जाँच मण्डलों में से 14 मण्डलों में केवल 5,143.17 वर्ग किमी (कुल 8331.17 वर्ग किमी वन क्षेत्र का 61.73 प्रतिशत) क्षेत्र ही राजस्व नक्शे में चिन्हीत था। शेष 3188 वर्ग किमी का अभी भी राजस्व नक्शे में चिन्हीकरण करना शेष था। तीन मण्डलों<sup>42</sup> में चिन्हीकरण की स्थिति मण्डल प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी। विभाग ने (दिसम्बर 2012) बताया कि राजस्व स्टाफ के असहयोग, सर्वेयर/अमीन की पदस्थापना का अभाव और विभाग में ग्राम नक्शों की अनुपलब्धता के कारण नक्शों में चिन्हीकरण नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। चिन्हीकरण के अभाव में संरक्षण प्रयास प्रभावित होंगे क्योंकि चिन्हीकरण

40. मवअ बांसवाड़ा, उवसं उदयपुर (दक्षिण), उवसं भीलवाड़ा एवं उवसं जयपुर (मध्य)।

41. अमलदरामद का आशय राजस्व अभिलेखों में भूमि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण होना, इस मामले में भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में होना।

42. रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर (दक्षिण)।

रहित भूमि के हस्तान्तरित किये जा सकने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सीमा स्तम्भ के द्वारा वन सीमा के सीमांकन का अभाव।

- वन भूमि का, आवास, चरागाह या कृषि उद्देश्यों के लिए अतिक्रमण से सुरक्षित करना, वन विभाग का एक मुख्य ध्येय है और इसे प्राप्ति का एक उपाय भूमि पर पक्की दीवार या स्तम्भों का निर्माण करना है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रमुवसं राजस्थान जयपुर द्वारा सितम्बर 2005 में सभी संरक्षित क्षेत्रों/वन भूमि के सीमांकन हेतु 2,83,943 स्तम्भों<sup>43</sup> के निर्माण की एक पंचवर्षीय योजना (2005-06 से 2009-10) राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि धन एवं संसाधनों के अभाव में मार्च 2012 तक केवल 69,682 स्तम्भ (25 प्रतिशत) ही लगाये जा सके जोकि दोषपूर्ण योजना को दर्शाता है। 17 नमूना जाँच मण्डलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मार्च 2012 तक 12 मण्डलों में 89,666 स्तम्भों में से 56,369 (63 प्रतिशत) स्तम्भ नहीं लगाये जा सके। दो मण्डलों<sup>44</sup> में संरक्षित क्षेत्रों में पक्की दीवार या तारबन्दी थी। तीन मण्डलों<sup>45</sup> द्वारा वांछित सूचना मांगी जाने पर भी (फरवरी से अप्रैल 2012 के दौरान) उपलब्ध नहीं कराई गयी।

मण्डल अधिकारियों ने स्वीकार किया (मार्च से मई 2012) कि सर्वेयर/अमीनों की पदस्थापना के अभाव में, बजट उपलब्ध न होने तथा ग्राम्य नक्शों के अभाव में स्तम्भ नहीं लगाये जा सके। विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2012) कि स्तम्भ, उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार लगाये गये हैं तथा कार्य प्रगति पर है।

वन नक्शों के डिजिटাইजेशन का अभाव

- नमूना जाँच किये गये 17 मण्डलों में से, केराठ भरतपुर और उदयपुर वन्य जीव मण्डल के चार वन्य जीव अभ्यारणों में नक्शों में सीमा रेखा के डिजिटাইजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका था। छः वन मण्डलों<sup>46</sup> में डिजिटাইजेशन कार्य प्रगति पर था और चार मण्डलों<sup>47</sup> में यह प्रारम्भ नहीं हुआ था। पाँच मण्डलों<sup>48</sup> द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2012) कि डिजिटাইजेशन का कार्य स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर (एसआरएसएसी) जोधपुर के माध्यम से किया जा रहा है तथा कार्य प्रगति पर है।

43. आवश्यकतानुसार स्तम्भ नहीं लगाये और क्षतिग्रस्त हो गये।

44. केवलादेव राठ भरतपुर और रामठ जैसलमेर।

45. जयपुर (उत्तर), उदयपुर (दक्षिण), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।

46. बाघ परियोजना सरिस्का, जयपुर (मध्य), भीलवाड़ा, नागौर, झुन्झुनू और झालावाड़।

47. बांसवाड़ा, रामठ जैसलमेर, श्रीगंगानगर और वन्य जीव चित्तौड़गढ़।

48. रणथम्भौर बाघ परियोजना, वन्य जीव कोटा, मवअ जोधपुर, जयपुर(उत्तर) और उदयपुर (दक्षिण)।

बिना अनुमोदन के वन भूमि का गैर वानिकी उद्देश्यों हेतु प्रत्यावर्तन।

- वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 में बताया गया है कि गैर वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन करने से पूर्व भारत सरकार की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये।

17 मण्डलों की नमूना जाँच में पाया कि चार मण्डलों<sup>49</sup> में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग और रेलवे विभाग द्वारा 847.64 हैक्टेयर वन भूमि<sup>50</sup> का गैर वानिकी गतिविधियों में उपयोग किया गया। आगे यह भी पाया गया कि मवअ/उवस द्वारा जारी मांग ₹ 86.03 करोड़ (परिशिष्ट 2.4) के विरुद्ध मार्च 2012 तक क्रियान्वयन विभागों द्वारा ₹ 2.84 करोड़ ही जमा कराये गये। सभी कार्य, वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ भारत सरकार से अनुमोदन की शर्तों का भी उल्लंघन करते हुए, बिना औपचारिक अनुमति के और एक प्रकरण(रेलवे) में तो बिना सैद्धान्तिक अनुमति के ही, पूर्ण किये गये।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। जबकि, वास्तविकता यह है कि वन भूमि बिना सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक अनुमति के प्रत्यावर्तित/उपयोग की गई, जोकि वन भूमि प्रत्यावर्तन की रोकथाम हेतु कमजोर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है।

#### 2.1.7.4 राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता के संरक्षण एवं जैविक चोरी की रोकथाम हेतु किये गये उपाय

‘जैव विविधता अधिनियम, 2002’, जैविक चोरी<sup>51</sup> को रोकने हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एवं ‘राज्य जैव विविधता बोर्ड’ के गठन हेतु निर्दिष्ट करता है। विभाग द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक चोरी को रोकने हेतु किये गये उपायों में पाई गई कमियाँ नीचे वर्णित की गई हैं:

राज्य जैव विविधता योजना एवं कार्य योजना का नहीं बनाया जाना।

- जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 सभी राज्य सरकारों को, जैव विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के दीर्घकालीन उपयोग और जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग संबंधी मामलों में परामर्श देने हेतु, राज्य जैव विविधता बोर्ड के गठन करने की शक्तियाँ प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 (नियम) अधिसूचित (मार्च 2010) किया गया और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड (राज्यजैविको) का गठन (सितम्बर 2010) किया गया।

49. मवअ: झालावाड़, जोधपुर, उवस: जयपुर (उत्तर) और भीलवाड़ा।

50. जस्वाअभिवि: 17 है0, सिंचाई:770 है0 और रेलवे 60.64 है0।

51. जीवनों, सूक्ष्म जीवों, पौधों एवं जानवरों (मानव सहित) और इससे सम्बन्धित पारम्परिक सांस्कृतिक ज्ञान का अवैधानिक विनियोज्य।

राराजैविबो को राज्य जैव विविधता नीति और कार्ययोजना के अद्यतन और उसके क्रियान्वयन के साथ-साथ जैविक स्रोतों/संसाधनों के डेटाबेस तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 26 माह पश्चात (नवम्बर 2012) भी राराजैविबो ने राज्य जैव विविधता नीति एवं कार्य योजना तैयार करने की पहल नहीं की। ऐसी योजना का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जो जैव विविधता संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का संरक्षण, दीर्घकालीन उपयोग और सहभागिता को प्रोत्साहित करे। कार्य योजना विकसित करने में विफलता ने इस प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डाले।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि इस उद्देश्य हेतु एक कमेटी का गठन किया जा चुका है।

जैव विविधता धरोहर स्थलों का संरक्षण।

• राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 के नियम 22 के तहत राराजैविबोर्ड, स्थानीय निकायों की सलाह और अन्य मुख्य हिस्सेदारों की सलाह से महत्वपूर्ण इलाकों को जैव विविधता धरोहर स्थलों<sup>52</sup> के रूप में अधिसूचित करने हेतु आवश्यक कदम उठायेगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि यद्यपि, राराजैविबोर्ड द्वारा पाँच जैव विविधता धरोहर स्थलों<sup>53</sup> को चिन्हित (फरवरी 2012) एवं अनन्तिम रूप से चयनित किया गया, परन्तु राज्य सरकार द्वारा इन स्थलों को अधिसूचित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि उक्त नियम के तहत अधिसूचना से पूर्व स्थानीय निकायों और अन्य मुख्य हिस्सेदारों की सहमति आवश्यक है जिसके लिए बोर्ड की टिप्पणियाँ, स्थानीय निकायों को, उनकी सहमति हेतु अग्रेषित की जा चुकी हैं।

#### 2.1.7.5 पारम्परिक पारिस्थितिक ज्ञान एवं जैव विविधता की असुरक्षा

जैव विविधता अधिनियम 2002 का उद्देश्य, जैविक संसाधनों एवं संबंधित ज्ञान के संरक्षण के साथ-साथ, इनको स्थाई एवं वैधानिक तरीके से प्राप्त करना है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 भी दर्शाती है कि पारम्परिक कृषि प्रणाली, फसलों की किस्में, पशुओं की प्रजाति एवं जीविका प्रणाली कृषि-पशुचारी संसाधनों के प्रबन्धन पर आधारित हैं एवं राज्य के स्थानीय समुदायों की तकनीकों, पारम्परिक प्रकृति संरक्षण प्रणालियों और उपायों के संरक्षण की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में निम्न प्रेक्षण पाये गये:-

52. ऐसे सुपरिभाषित क्षेत्र जोकि अद्वितीय, दुर्लभ पारिस्थितिकीय तन्त्र, स्थलीय समुद्रीय, तटवर्तीय, और दीपीय जैव विविधता से बाहुल्य क्षेत्र, पर्याप्त सांस्कृतिक, नीतिपरक या सौन्दर्य मूल्यों से भरपूर हों; जैव विविधता धरोहर स्थल कहलाते हैं।

53. (i) आकल वुड फोसिल पार्क (ii) केवडा की नाल, उदयपुर (iii) रामकुण्डा, उदयपुर (iv) नाग पहाड, अजमेर (v) छापोली मन्शामाता, झुन्झुन्।

पारम्परिक फसलों की किस्मों की खेती हेतु प्रोत्साहन न किया जाना।

• राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति में लेख है कि "पारम्परिक फसल की किस्मों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि उनका अनुकूलन समझा जा सके।" इसके अतिरिक्त इसमें कार्बनिक खेती, कृषि तकनीकियाँ एवं इनके उपयोगकर्ताओं को प्रमाणीकरण योजना एवं बाजार श्रृंखला के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करने का भी उल्लेख है। वन विभाग द्वारा इस तरह की कोई योजना लागू नहीं की जा रही है। लेखापरीक्षा द्वारा कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जाँच में पाया गया कि उक्त दोनों विभागों द्वारा पारम्परिक फसलों की किस्मों पर अनुसंधान, जीन बैंक बनाने, पारम्परिक तकनीकियों से बीज बैंक का प्रभावी उपयोग और चारा बैंक, उद्यानिकी, कृषि एवं पशुपालन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना प्रारम्भ नहीं की गई।

पारम्परिक ज्ञान के प्रलेखीकरण का अभाव।

• राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 के अनुसार राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड को, जैव संसाधनों के सतत् उपयोग के प्रभावी प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु डाटाबेस तैयार करने, जैविक संसाधनों की सूचना एवं अभिलेख प्रणाली तैयार करने और जैव विविधता रजिस्ट्रों से संबंधित पारम्परिक ज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार करने के लिये, कदम उठाने थे। साथ ही राराजैविबोर्ड को, जैव विविधता संसाधनों एवं संबंधित ज्ञान के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों सहित अन्य अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के, युक्तिपूर्ण तरीके तय करने थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि कृषि विभाग द्वारा पारम्परिक ज्ञान के अभिलेखन संबंधी कोई योजना/कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया गया।

अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) राजस्थान, जयपुर द्वारा (अप्रैल 2012) अवगत कराया गया कि कृषि विभाग द्वारा जैव विविधता कार्यक्रम के तहत न तो कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा न ही कोई योजना क्रियान्वित की गई।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि जैव विविधता का पारम्परिक ज्ञान अभिलेखन, जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के माध्यम से, लोक जैव विविधता पंजिका के रूप में किया जाना है। जैव विविधता प्रबन्ध कमेटियों का गठन प्रगति में है।

#### 2.1.7.6 मानव संसाधनों का प्रबन्धन

राष्ट्रीय वन्य जीव कार्ययोजना (2002-16) के अनुसार "चुनौतीपूर्ण वन्य जीव संरक्षण परिदृश्य में आज प्रतिबद्ध वन्य जीव प्रबन्धकों की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक क्षमता और सामाजिक चेतना के साथ-साथ संचार कौशल से युक्त हों। जो बड़ी राशि के गैर कानूनी व्यापार में लिप्त नियोजित अपराधिक तत्वों को खोजने की तीक्ष्ण बुद्धि एवं प्रवर्तन की क्षमता युक्त हों। अग्रिम पंक्ति के स्टाफ में भी समान गुण होने चाहिये।"

संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में मानव संसाधन मामलों से संबंधित कमियाँ नीचे वर्णित हैं:

- **वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त स्टॉफ**

वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा शिकार, अतिक्रमण, अवैध खनन, चराई, पेड़ों की कटाई, वन उपज की चोरी तथा वन्य जीव अपराधों आदि की रोकथाम के लिये अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की स्थिति *परिशिष्ट 2.5* में दी गई है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011 में वन रक्षकों की भर्ती के उपरान्त भी 13 प्रतिशत पद रिक्त थे। यद्यपि, रेन्जर्स की रिक्तियाँ वर्ष 2009-10 में 7 प्रतिशत एवं वर्ष 2011-12 में 30 प्रतिशत के मध्य रही। प्रथम स्तरीय पर्यवेक्षक स्टॉफ रेन्जर्स में कमी के कारण जैव विविधता के समयोचित विकास, निष्पादन एवं प्रबोधन कार्य प्रभावित हुये।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि वन्य जीव प्रभाग का पुनर्गठन किया जा चुका है तथा स्टॉफ को वन्य जीवों के प्राकृतिक वास के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियोजित किया जा चुका है।

- **मण्डलों में तकनीकी स्टॉफ की स्थिति**

वर्ष 2009-12 के दौरान तकनीकी स्टॉफ के स्वीकृत एवं खाली पड़े पदों का विवरण नीचे तालिका में है:

तालिका 2: तकनीकी स्टॉफ की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत पद	रिक्त पद	कमी का प्रतिशत
2009-10	451	68	15
2010-11	511	66	13
2011-12	497	82	16

वर्ष 2009-12 के दौरान राज्य में तकनीकी स्टॉफ<sup>54</sup> की कमी 13 से 16 प्रतिशत के मध्य थी जो वन विभाग की गतिविधियों यथा अमलदरामद, सर्वे, डिमार्केशन और डिजिटाइजेशन आदि को प्राथमिकता न देना इंगित करता है।

54. सर्वेयर, अमीन, ड्राफ्ट्समैन एवं ट्रेसर।

• विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन न किया जाना

वित्त मंत्री, भारत सरकार ने 2008 के अपने बजट भाषण में 13 बाघ रिजर्वों में विशेष बाघ सुरक्षा बल (विबासुब) के गठन हेतु ₹ 50 करोड़ के अनुदान की घोषणा की। तदनुसार भारत सरकार ने रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए, विबासुबल के गठन, हथियारबंधी एवं नियोजन हेतु राशि ₹ 3.72 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2009) किये तथा राशि ₹ 93 लाख (25 प्रतिशत) जारी की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने विबासुब के गठन की स्वीकृति दी (जून 2010) तथा एक वर्ष पश्चात् जून 2011 में बाघों की सुरक्षा हेतु विबासुब के लिये 1456 पदों<sup>55</sup> को भरने हेतु पुलिस विभाग से निवेदन किया। राज्य सरकार द्वारा विबासुब का गठन मार्च 2012 तक नहीं किया गया और रणथम्भौर में बाघों की सुरक्षा हेतु अस्थायी रूप से गृह रक्षकों को नियोजित कर उनके वेतन भुगतान पर वर्ष 2010-11 तक राशि ₹ 23.44 लाख खर्च की गई। विभाग के पास राशि ₹ 69.56 लाख अनुपयोगी पड़ी रही तथा विबासुब के गठन नहीं करने से भारत सरकार द्वारा शेष राशि ₹ 2.79 करोड़ भी जारी नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने बाघ परियोजना सरिस्का हेतु विबासुब के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, अतः भारत सरकार से विबासुब के गठन हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

विभाग ने बताया (मार्च/दिसम्बर 2012) कि पुलिस विभाग के माध्यम से स्टॉफ की भर्ती प्रक्रियाधीन है एवं विबासुब का गठन कर लिया जायेगा। तथापि, राज्य सरकार ने विबासुब के गठन के देरी के कारणों का खुलासा नहीं किया। विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2012) कि बाघ परियोजना सरिस्का हेतु विबासुब के गठन हेतु प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसके लिये सहमत हो चुका है।

2.1.7.7 वित्तीय प्रबन्धन

वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा एवं संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोजना में, यथा परिभाषित वनों के कार्यान्वयन की योजना, जैव विविधता संरक्षण, केराठ भरतपुर का विकास, वन क्षेत्रों का संधारण एवं नहर किनारे वृक्षरोपण जैसी योजनाओं हेतु निधियाँ आवंटित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना (केप्रयो) के तहत सहायता राशि, मुख्य रूप से वन्य जीव अभ्यारणों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के विकास एवं संधारण, बाघ परियोजनाओं हेतु गांवों का विस्थापन, एकीकृत वन सुरक्षा योजना (आईएफपीएस) एवं नदी घाटी योजना

55. पुलिस उप अधीक्षक: 13, सब इन्सपेक्टर : 39, हैड कॉस्टेबल: 234 एवं कॉस्टेबल:1170



के लिये जारी की जाती हैं।

लेखापरीक्षा में निधियों के प्रबन्धन से संबंधित पायी गयी कमियां निम्न अनुच्छेदों में वर्णित है:

बजट में बचत का लगातार होना।

- वर्ष 2009-12 के दौरान केप्रयो, राज्य आयोजना, एवं आयोजना भिन्न में वन विभाग को आवंटित बजट एवं उसके विरुद्ध व्यय की स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका 3: बजट आवंटन की स्थिति

(₹ करोड में)

वर्ष	केप्रयो के तहत केन्द्रीय सहायता			राज्य आयोजना			आयोजना भिन्न			योग		
	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत
2009-10	166.58	87.21	79.37	69.18	59.39	9.79	340.54	329.60	10.94	576.30	476.20	100.10
2010-11	135.29	94.10	41.19	77.45	46.17	31.28	339.64	332.54	7.10	552.38	472.81	79.57
2011-12	89.64	65.65	23.99	143.15	98.39	44.76	391.54	365.72	25.82	624.33	529.76	94.57
योग	391.51	246.96	144.55	289.78	203.95	85.83	1071.72	1027.86	43.86	1753.01	1478.77	274.24

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

तालिका से स्पष्ट है कि सभी तीनों वर्षों में आवंटित बजट में बचत रही। विभाग द्वारा केप्रयो में बचत का कारण रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना में गांवों के पुनर्वास की धीमी गति होना बताया गया (दिसम्बर 2012)। इसके अतिरिक्त राज्य आयोजना में मुख्य बचत, केएनपी भरतपुर में कोर्ट केस (2009-10) के कारण गोवर्धन ड्रेन का कार्य नहीं होने, परिभाषित वनों की पुनर्स्थापना एवं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (द्वितीय-II) और तेरहवें वित्त आयोग के वन संबंधी कार्य के धीमे क्रियान्वयन के कारण रही। उक्त बचत का लगातार रहना दोषपूर्ण बजट योजना को दर्शाता है।

स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना की द्वितीय किश्त की मांग न किया जाना।

- नमूना जाँच किये गये चार वन्य जीव मण्डलों<sup>56</sup> द्वारा प्रथम किश्त की 60 प्रतिशत राशि का उपयोग करने एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा द्वितीय किश्त की मांग नहीं की गई परिणामतः सहायता राशि ₹ 1.49 करोड़ से वंचित रहना पड़ा। विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि प्रथम किश्त देरी से प्राप्त होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका और भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सके। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त प्रतिवर्ष जून और सितम्बर के बीच जारी की गई और विभाग 60 प्रतिशत सहायता राशि का भी उपयोग नहीं कर सका, फलतः

56. रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर, केराठ भरतपुर, वन्य जीव कोटा और रामउ जैसलमेर।

राज्य ₹ 1.49 करोड़ के केन्द्रीय अनुदान से वंचित रहा।

भारत सरकार से प्राप्त द्वितीय किशत का राज्य सरकार द्वारा उपयोग/जारी नहीं किया जाना।

- तीन वन्य जीव मण्डलों<sup>57</sup> के मामलों में भारत सरकार द्वारा द्वितीय किशत ₹ 1.38 करोड़, 2010-11 (₹ 49.91 लाख) एवं 2011-12 (₹ 88.44 लाख) राज्य सरकार को मार्च माह में जारी की गई। राज्य सरकार ने मार्च 2012 में केवल दो मण्डलों को ₹ 21.83 लाख जारी किये। इस तरह कुल ₹ 1.38 करोड़ उपयोग नहीं कर सकने और भारत सरकार द्वारा उक्त राशि का समायोजन आगामी वर्ष की सहायता में करने से राज्य सरकार इस सीमा तक केन्द्रीय सहायता से वंचित रही। विभाग द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2012) कि राज्य सरकार को यह राशि संबंधित वर्ष में 31 मार्च को जारी की गई थी जिसका उपयोग मण्डलों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं किया जा सका।

पारिस्थितिक विकास अधिभार का उपयोग न करना।

- राज्य सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) राजस्थान नियम 1977 के विद्यमान नियम 23 के उपनियम (3) में संशोधन (मार्च 1998) कर वन्य जीव अभ्यारणों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क, मय पारिस्थितिक विकास अधिभार के, निर्धारित किया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा सरचार्ज के रूप में एकत्रित राशि के उपयोग हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारणों के पारिस्थितिक विकास कार्यों हेतु परियोजना प्रस्तुत करने के सभी वन्य जीव मण्डलों को निर्देश (अप्रैल व जून 2007) जारी किये गये।

आठ वन्य जीव मण्डलों में से सात वन्य जीव मण्डलों<sup>58</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009-12 के दौरान ₹ 16.76 करोड़ संग्रहित किये गये। तथापि, किसी भी वन्य जीव मण्डल द्वारा पारिस्थितिक विकास गतिविधियों के निष्पादन हेतु अनुमोदन/स्वीकृति के लिये कोई योजना प्रस्तावित/प्रस्तुत नहीं की गई जिससे अधिभार संग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य विफल रहा। विभाग द्वारा सूचित किया गया (दिसम्बर 2012) कि निर्णयानुसार रणथम्भौर एवं सरिस्का में पारिस्थितिक विकास गतिविधियों के लिए निधियों का उपयोग किया जा रहा है तथा केराउ के लिए निर्णय विचाराधीन है।

### 2.1.8 निष्कर्ष

वन एवं जैव विविधता के संरक्षण एवं राज्य के वन तथा वन्यजीव संसाधनों के सतत् प्रबन्धन हेतु राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति एवं राजस्थान राज्य वन नीति वर्ष 2010 में जाकर बनाई गई।

राज्य सरकार संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार करने में सक्षम नहीं रही। सरकार द्वारा उठाये गये अपर्याप्त उपायों के कारण मौजूदा संरक्षित क्षेत्र

57. वजी कोटा, वजी चित्तौड़गढ़ एवं बाघ परियोजना सरिस्का।

58. वन मण्डल जयपुर (मध्य) द्वारा कोई प्रवेश शुल्क वसूल नहीं किया गया।

नेटवर्क को लगातार अवनति एवं खतरों का सामना करना पड़ रहा है। क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट इसे स्थापित करने के मापदण्डों के अनुरूप नहीं है। एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे से जोड़ने हेतु कोरिडोरस का निर्माण नहीं किया गया। विस्थापन हेतु अपर्याप्त उपायों के कारण, लोगों का संरक्षित क्षेत्रों में सतत निवास, जैव विविधता के लिये मुख्य खतरा है। बड़े पैमाने एवं महत्वपूर्ण संख्या में वन्य जीवों, मय महत्वपूर्ण प्रजातियों और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर संकटापन्न और विलुप्त प्रायः प्रजातियों के, प्राकृतिक वास खण्डित हो रहे हैं। अतिक्रमण, अवैध खनन को रोकने और इन अपराधों की सजा की राशि में वृद्धि हेतु प्रभावी कदमों को निर्णीत नहीं किया गया। राजस्व नक्शे पर वन भूमि के सीमांकन, बाउन्ड्री पिलर्स और वन नक्शों के डिजिटलईजेशन का कार्य नहीं किया गया। जैविक संसाधनों एवं पारम्परिक ज्ञान के अभिलेख हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने शेष थे।

### 2.1.9 अनुशंघारें

- राज्य सरकार द्वारा वन भूमि पर अवैध खनन/अतिक्रमण को रोकने हेतु प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये और वन भूमि के प्रत्यावर्तन के मामलों पर निगरानी हेतु आन्तरिक नियंत्रण को मजबूत किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव अपराधों के प्रभावी रोकथाम और सजा हेतु राज्य वन्य जीव ब्यूरो की यथाशीघ्र स्थापना की जानी चाहिये।
- राज्य में विलुप्त प्रायः संकटापन्न प्रजातियों जैसे गोडावन, घडियाल, भालू आदि के लिए, इनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिये कार्यक्रम बनाने की पहल की जानी चाहिये ताकि इन प्रजातियों का राजस्थान में अस्तित्व समाप्त नहीं हो।
- राज्य सरकार को जैविक संसाधनों एवं पारम्परिक ज्ञान का डाटाबेस तैयार करना चाहिये तथा जैविक संसाधनों एवं संबंधित ज्ञान के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों सहित अन्य अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिये।
- राज्य सरकार को पारिस्थितिक विकास अधिभार के रूप में प्राप्ति का उपयोग राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारणों में पारिस्थितिक विकास गतिविधियों पर करना चाहिये।

## माध्यमिक शिक्षा विभाग

### 2.2 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना

#### कार्यकारी सारांश

कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सीई एण्ड आईसीटी) एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जिसे भारत सरकार (भास), मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्यालयों विशेषतया माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग प्रदान करने के लिए घोषित (दिसम्बर 2004) किया गया। आधारभूत ढांचा और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर माध्यमिक शिक्षा विभाग (विभाग) द्वारा तथा हार्डवेयर/उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग एवं संधारण निविदादाता फर्मों द्वारा किया जाना था।

योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार को भेजे गए कम्प्यूटर शिक्षा योजना में विद्यालयों का चयन, बिना आधारभूत ढांचा सुविधाएँ सुनिश्चित किए, किया गया। पूर्ववर्ती योजनान्तर्गत आवृत्त विद्यालयों के दोहराव ने कम्प्यूटर साक्षरता के विस्तार के आयाम को सीमित किया।

इन्टरनेट संयोजन का प्रावधान योजना के चरण-I के अनुबन्ध में नहीं लिया गया, यद्यपि यह योजना का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग था। विभाग द्वारा दोनों चरणों में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विलम्ब से प्रदान किया गया। चरण-I के लिए सॉफ्टवेयर की विलम्बित आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति (एलडी) ₹ 0.80 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

चरण-II की निविदा को अंतिम रूप देने में 16 माह का विलम्ब किया गया। संशोधित बजट में जारी राशियों का वर्ष 2008-09 (₹ 16.77 करोड़), 2009-10 (₹ 5.22 करोड़) एवं वर्ष 2011-12 (₹ 39.75 करोड़) उपयोग नहीं किया जा सका।

शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों को, अनुबंध अनुसार (न्यूनतम तीन माह प्रतिवर्ष) वांछित प्रशिक्षण नहीं देने से क्षमता निर्माण की अनदेखी हुई। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर सहायता से शिक्षण की उचित सामग्री एवं माड्यूल विकास में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सम्बद्धता नहीं थी।

अनुश्रवण लगभग शून्य रहा क्योंकि फर्मों द्वारा चरण-II में उपनिदेशकों को 'प्रबन्धकीय सूचना व्यवस्था' अन्तरसक्रिय सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना था जो नहीं कराया गया। 'परियोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समूह' को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजे गए। राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति स्थापित नहीं की गयी, जयपुर मण्डल में उपनिदेशक स्तरीय अनुश्रवण समिति स्थापित नहीं की गयी।

### 2.2.1 प्रस्तावना

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (योजना) स्कूलों, विशेषतया माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदान करने हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा घोषित (दिसम्बर 2004) एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। राजस्थान में योजना का क्रियान्वयन निर्माण-स्वामित्व-परिचालन- हस्तान्तरण (बूट) मॉडल पर 2,500 (चरण-I मई 2008 से जून 2013) एवं 2000 (चरण-II जून 2010 से फरवरी 2014) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया गया। योजना में आधारभूत सुविधा (सुरक्षित, हवादार व विद्युतीकृत कक्ष) एवं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराना था एवं हार्डवेयर/उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, संचालन व अनुबन्ध की अवधि तक रखरखाव, निविदादाता फर्मों द्वारा किया जाना था। योजना के दोनों चरणों के लिए, प्रत्येक विद्यालय में दस कम्प्यूटरों के साथ प्रोजेक्टर, जेनरेटर एवं इंटरनेट का प्रावधान किया गया था।

### 2.2.2 योजना के उद्देश्य


योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थकारी माहौल स्थापित करना। इस तरह के समर्थकारी माहौल के महत्वपूर्ण कारकों में सहाय उपकरणों की व्यापक उपलब्धता, इंटरनेट संयोजन और आईसीटी साक्षरता देना शामिल है।
- निजी क्षेत्र तथा राज्य शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (साईटस) दोनों के द्वारा ऑनलाइन एवं सहाय उपकरणों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विद्यमान पाठ्यक्रम को आईसीटी उपकरणों के नियोजन से शिक्षण व ज्ञानार्जन हेतु समृद्ध करना।
- छात्रों को डिजीटल संसार के लिए वांछित कौशल प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना जो कि उच्च अध्ययन एवं लाभकारी रोजगार के लिए आवश्यक है।
- आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विशेष जरूरत वाले बच्चों को प्रभावी शिक्षण वातावरण प्रदान करना।
- स्वाध्याय के विकास से विवेचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना। इससे कक्षा का वातावरण शिक्षक केन्द्रित से छात्र केन्द्रित में बदल जायेगा।

- दूरस्थ शिक्षा में दृश्यश्रव्य माध्यम और उपग्रह आधारित उपकरणों सहित, आईसीटी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना।

### 2.2.3 संगठनात्मक ढांचा

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नप्रकार है:



### 2.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य इनका आंकलन करना था:

- आयोजना प्रक्रिया की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता।
- बजट प्रक्रिया की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता।
- क्रियान्वयन प्रक्रिया की मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावशीलता (जन सहभागिता मॉडल के परिप्रेक्ष्य में)।
- कक्षा को शिक्षक केन्द्रित से विद्यार्थी केन्द्रित बनाने में योजना का प्रभाव एवं वांछित लक्ष्य की जमीनी स्तर पर पूर्ति।

- आन्तरिक नियन्त्रण एवं अनुश्रवण प्रक्रिया की प्रभावशीलता ।

### 2.2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न मापदण्डों से व्युत्पन्न किया गया:

- सीई एण्ड आईसीटी योजना के दिशानिर्देश तथा प्रोजेक्ट प्रबन्धन एवं मूल्यांकन समूह (पीएमईजी) बैठकों के कार्यवृत्तांत (मिनट्स);
- राज्य सरकार की कम्प्यूटर शिक्षा योजना (सीईपी);
- सरकार एवं फर्मों के बीच सम्पादित अनुबन्ध;
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं निर्देश एवं
- वित्तीय एवं लेखांकन नियम (बजट-व्यय)।

### 2.2.6 लेखापरीक्षा व्याप्ति

लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 के दौरान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं 8 जिलों<sup>59</sup> के 12 जिला शिक्षा अधिकारियों<sup>60</sup> (जिशिअ) तथा 100 विद्यालयों के अभिलेखों की, वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि की जाँच की गयी। चयन व्यवस्थित सामान्य नमूना पद्धति से किया गया जो कि अधिकतम व्यय तथा योजना में शामिल विद्यालयों की संख्या पर आधारित था। 100 विद्यालयों का चयन, विद्यार्थियों की संख्या तथा दोनों चरणों को 60:40 के अनुपात में, यथा चरण-I से 60 विद्यालय एवं चरण-II से 40 विद्यालय किया गया। प्रारम्भिक वार्तालाप बैठक (मई 2012) प्रमुख शासन सचिव, विद्यालय एवं संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों पर विचार-विमर्श करने हेतु आयोजित की गयी। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर विचार-विमर्श 26 नवम्बर 2012 को शासन सचिव, विद्यालय एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान के साथ आयोजित अंतिम वार्तालाप बैठक में किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गयी है:

---

59. भरतपुर (भरतपुर मण्डल), भीलवाड़ा (अजमेर मण्डल), चित्तौड़गढ़ (उदयपुर मण्डल), जयपुर एवं सीकर (जयपुर मण्डल), झुन्झुनू (चूरू मण्डल), झालावाड़ (कोटा मण्डल) एवं जोधपुर (जोधपुर मण्डल)।

60 जिशिअ भरतपुर (I एवं II), भीलवाड़ा (I एवं II), चित्तौड़गढ़, जयपुर (I एवं II), झालावाड़, जोधपुर, झुन्झुनू एवं सीकर (I एवं II)।

### 2.2.7 लेखापरीक्षा आपतियाँ

राज्य में योजना के क्रियान्वयन की चरणबद्ध स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 1: योजना की चरण I एवं II की स्थिति

चयनित विद्यालयों की कुल संख्या	विद्यालयों की संख्या जिनमें कम्प्यूटर प्रयोगशाला	विद्यालयों की संख्या जिनमें इंटरनेट संयोजन			
		संस्थापित थी	संस्थापित नहीं थी		
		दिया गया	नहीं दिया गया		
चरण-I	2,500	2,466	34	1,046	1131 (289 अनुपलब्ध)
चरण-II	2,000	1,934	66	820	975 (139 अनुपलब्ध)

स्रोत: उपनिदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

#### 2.2.7.1 आयोजना

विद्यालयों का तदर्थ चयन।

योजना के दिशा निर्देशों<sup>61</sup> के अनुसार, जो राज्य सरकारें, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने की इच्छुक हों, उन्हें कम्प्यूटर शिक्षा योजना (सीईपी), भारत सरकार को प्रस्तुत करनी थी। सीईपी में अन्य बातों के अलावा राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों की संख्या जिनमें पहले से कम्प्यूटर उपलब्ध हैं, विद्यालयों की संख्या जो कि योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावित हैं, सम्भावित लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या, राज्य सरकार द्वारा बजट में राज्यांश राशि का प्रावधान, खरीद के लिए विक्रेताओं का चयन, प्रशिक्षण का प्रावधान, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता आदि का उल्लेख वांछित था।

राजस्थान राज्य का सीईपी (चरण-I) 2,500 विद्यालयों के लिए पीएमईजी द्वारा स्वीकृत (अगस्त 2007) किया गया एवं मई 2008 (जयपुर मण्डल) एवं जून 2008 (अजमेर, कोटा, चूरू, उदयपुर एवं जोधपुर मण्डल) में मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड तथा मैसर्स एडुकॉम्प सॉल्यूसंस लिमिटेड (भरतपुर मण्डल) से अनुबन्ध किया गया जिसकी अवधि 2008-09 से 2011-12 थी जिसे बढ़ाकर जून 2013 तक किया गया।

पीएमईजी द्वारा योजना के चरण-II के लिए 2,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गयी (नवम्बर 2008)। चरण-II के अनुबन्ध (जून 2010) दो फर्मों<sup>62</sup> के साथ मण्डलवार, बूट मॉडल पर सम्पादित किये गये जिसकी अवधि जून 2010 से फरवरी 2014 तक थी।

61. क्रियान्वयन प्रक्रिया।

62. मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड अजमेर, भरतपुर, चूरू, जयपुर एवं उदयपुर मण्डल में तथा मैसर्स पीयरसन एजूकेशन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड कोटा एवं जोधपुर मण्डल में।



यह पाया गया था कि उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा अगस्त-2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को विद्युत की उपलब्धता, मूलभूत सुविधा एवं विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर, 914 (36.56 प्रतिशत) विद्यालयों के परिवर्तन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई (जुलाई-2012)।

आगे, समीक्षा में यह भी पाया गया कि 54 ऐसे विद्यालयों<sup>63</sup> में कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गयी (सितम्बर 2008 से सितम्बर 2011 के दौरान)। जिनमें विद्युत संयोजन (जुलाई 2012) नहीं था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि कुछ विद्यालयों में विद्युत संयोजन स्थापित किये जा चुके हैं एवं कुछ में कार्य प्रगति पर है।

पूर्व में अन्य योजना में शामिल विद्यालयों का चयन किया जाना।

• उप निदेशकों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय अभिलेखों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि चरण-I में 819 विद्यालयों में से 428<sup>64</sup> ऐसे विद्यालयों का चयन इस योजना में किया गया जो कि एक अलग योजना<sup>65</sup> (ईसीआईएल योजना) में चयनित थे, जिसका अनुबन्ध (अप्रैल 2003) मैसर्स इलेक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) के साथ जून 2008 (अवधि बढ़ाकर जून 2009) तक के लिये किया गया था।

• उपकरण की आपूर्ति के पश्चात राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ (हनुमानगढ़), जिसका चयन चरण-I में किया जा चुका था, के स्थान पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय छानी-बडी में कम्प्यूटर प्रयोगशाला (जुलाई 2011), बिना भारत सरकार की स्वीकृति के स्थापित की गयी एवं इस विद्यालय में यह योजना एक वर्ष बाद ही संचालित की जा सकी।

• इसी प्रकार राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, राजमहल, जोधपुर का चयन चरण-II के लिए कर लिया गया जबकि इस विद्यालय में एक अन्य योजना 'दस बालिका विद्यालयों में आधारभूत ढांचा निर्माण योजना' (2007-2010) पहले से संचालित थी। यद्यपि, जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर द्वारा यह तथ्य अक्टूबर 2009 में उप निदेशक जोधपुर के ध्यान में लाया जा चुका था लेकिन इस विद्यालय को प्रतिस्थापित नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि ईसीआईएल योजना में एक वर्ष की वृद्धि (जून-2009 तक) के कारण दोहराव हुआ। यह भी बताया कि

63. एक विद्यालय (राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रुण्डलाव (झालावाड़) चयनित 100 विद्यालयों में से है।

64. अजमेर: 44, बांसवाड़ा: 49, दौसा: 25, झुण्डुनू: 88, जोधपुर: 58, कोटा: 46, राजसमन्द: 10, सीकर-I: 17, सीकर-II : 28, उदयपुर-I:25 एवं उदयपुर-II: 38

65. 14 जिलों में 'एजुकेशन डिलीवरी कान्ट्रैक्ट' वर्ष 2003 से 2008 तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु।

ईसीआईएल योजना का संचालन भुगतान आधारित था जबकि सीई एण्ड आईसीटी योजना निशुल्क थी। राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय छानी-बडी में प्रयोगशाला देरी से स्थापित की गयी क्योंकि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ (हनुमानगढ़) का चयन दोनों चरणों में हो गया था। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय राजमहल (जोधपुर) के बारे में बताया गया कि अन्य विद्यालय में आईसीटी योजना स्थानान्तरित नहीं होने के कारण राजमहल (जोधपुर) में चालू रही।

तथ्य यह रहा कि एक वर्ष के लिए योजनाओं का दोहराव रहा एवं पूर्व में चल रही योजना में शामिल विद्यालयों का चयन करने से अन्य विद्यालयों के छात्रों को इस योजना के लाभों से वंचित रहना पड़ा।

चरण-I में इंटरनेट का प्रावधान नहीं करना।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि चरण-I के अनुबन्धों (मई-जून 2008) में इंटरनेट संयोजन का प्रावधान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ऑन लाइन गुणवत्ता सामग्री, उपकरणों की व्यापक उपलब्धता तथा इंटरनेट संयोजन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। चरण-I के 22 माह पश्चात् (मार्च 2010) विभाग ने इंटरनेट संयोजन उपलब्ध कराना निश्चित किया। तथापि, 12 जिला शिक्षा अधिकारियों के अधीन चरण-I के 866 विद्यालयों में से 366 विद्यालयों में (जून 2012) इंटरनेट संयोजन उपलब्ध नहीं था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा अपर्याप्त होने के कारण चरण-I के अनुबन्धों में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। तथापि, चरण-I में मार्च 2010 में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा दी गयी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 366 विद्यालयों (42 प्रतिशत) में यह सुविधा अब भी उपलब्ध नहीं थी।

विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर की खरीद में देरी करना।

- चरण-I एवं II के अनुबन्धों के अनुसार ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विभाग द्वारा उपलब्ध कराना था। चरण-I के अनुबन्ध मई-जून 2008 में तथा चरण-II के अनुबन्ध जून 2010 में निष्पादित किये गये थे। विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर की व्यवस्था तदनुसार अगस्त 2008 तथा अगस्त 2010 तक कर लेनी चाहिये थी क्योंकि अनुबन्धों के अनुसार फर्मों द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशाला, आपूर्ति आदेश (चरण-I)/आशय पत्र (चरण-II) जारी होने की दिनांक से 75 दिनों में, स्थापित की जानी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा, चरण-I के लिए सॉफ्टवेयर क्रय के आदेश 15 दिसम्बर 2008 मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड को, तथा चरण-II के लिए 30 अगस्त 2010 मैसर्स सिसफोर टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किये। फर्मों द्वारा, चरण-I के लिए सॉफ्टवेयर की आपूर्ति 16 जनवरी 2009 को तथा चरण-II के लिए 04 अक्टूबर 2010 को की गयी तथा इसे कम्प्यूटरों में स्थापित करने में चार से छः सप्ताह का समय लगाया। सॉफ्टवेयर की व्यवस्था में हुई इस विभागीय देरी के कारण विद्यालयों में आईसीटी शिक्षा, चरण-I में छः माह तथा चरण-II में तीन माह की देरी से प्रारम्भ हुई।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि सॉफ्टवेयर खरीद तथा प्रयोगशाला स्थापना अलग-अलग कार्य थे एवं सॉफ्टवेयर की खरीद में राज्य सरकार ने बचत की। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार को दोनों चरणों के लिए सॉफ्टवेयर की व्यवस्था प्रयोगशाला स्थापना की निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कर लेनी चाहिये थी क्योंकि योजना का उद्देश्य ही कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना था।

चरण-II के लिए निविदा स्वीकृति में विलम्ब।

• पीएमईजी द्वारा राजस्थान में चरण-II के लिए 2,000 विद्यालयों की स्वीकृति (नवम्बर 2008 में) प्रदान की गयी थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों (दिसम्बर 2008) के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए योजना फरवरी 2009 से प्रारम्भ हो जानी चाहिये थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा चरण-II के लिए निविदा आमंत्रित (अक्टूबर 2009) की गयी जिसमें दरों की वैधता तकनीकी बोली खोलने की तिथि से 120 दिन रखी गयी थी जिसे आपसी सहमति पर बढ़ाया जा सकता था। निविदा की अनुसूची-X भाग-ब के अनुसार सफल निविदादाता द्वारा विकल्प (शेयर्ड कम्प्यूटिंग एन-1 अथवा शेयर्ड कम्प्यूटिंग एन-2 अथवा क्लाउंट सर्वर) सूचित करना था। शेयर्ड कम्प्यूटिंग में दरें कम आनी थी क्योंकि इसमें अलग-अलग सीपीयू (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) की आवश्यकता नहीं होती। निविदाएं, विकल्पवार दर नहीं देने के कारण निरस्त कर दी गयीं (10 दिसम्बर 2009)। प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2010 रखते हुये, उन्हीं विकल्पों के साथ निविदा पुनः आमंत्रित की गयी (18 दिसम्बर 2009) जिसे स्वीकृत कर लिया गया (जून 2010)।

विभाग द्वारा अंतिम रूप से निविदा स्वीकृति में अत्यधिक समय<sup>66</sup> लिया गया जिसके परिणामस्वरूप योजना की अवधि पांच वर्ष (2009-10 से 2013-14) से घट कर साढ़े तीन वर्ष (जून 2010 से फरवरी 2014) रह गयी।

राज्य सरकार ने निविदा को अंतिम रूप देने में हुई देरी को प्रक्रियात्मक देरी मानते हुए न्यायोचित ठहराया (नवम्बर 2012)। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग ने चरण-II की स्वीकृति में चार माह का समय (नवम्बर 2008 से मार्च 2009 तक), निविदा दस्तावेज स्वीकृत करने में छः माह से अधिक का समय (अप्रैल 2009 से अक्टूबर 2009 तक) तथा पुनः आमन्त्रण पश्चात निविदा स्वीकृति में आठ माह का समय (नवम्बर 2009 से जून 2010 तक) लगाया।

66. एक वर्ष से अधिक।

इस तथ्य के बावजूद कि यही प्रक्रिया चरण-I में अपनायी जा चुकी थी, विभाग ने चरण-II की निविदा प्रक्रिया में असामान्य देरी की जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा सत्र 2008-09 (5 माह) तथा 2009-10 में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकी।

उपरोक्त यह पुष्ट करता है कि सीईपी में, बिना आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये, स्कूलों का चयन किया गया जो अपर्याप्त आयोजना को इंगित करता है।

### 2.2.7.2 वित्तीय प्रबन्ध

योजना पर किये जाने वाले व्यय में, भारत सरकार एवं राज्य सरकार का हिस्सा 75:25 के अनुपात में था। केन्द्रीय सहायता राज्य को राशि के उपयोग के आधार पर चरणवार दी जानी थी। केन्द्र एवं राज्य सरकार से हिस्सा प्राप्त होने पर राशि प्रमुख शासन सचिव द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को निर्मुक्त की जानी थी जिसे आगे जिला शिक्षा अधिकारियों<sup>67</sup> जो कि भुगतान अधिकारी थे, को जारी किया जाना था।

सीई एण्ड आईसीटी योजना राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान के माध्यम से संचालित की जा रही थी। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2008-09 से 2010-11 तक निम्न तालिकानुसार राशि प्रदान की गयी जो कि राज्य सरकार द्वारा उपयोग में नहीं ली जा सकी। अतः 2011-12 में कोई राशि प्रदान नहीं की गयी।

योजना में 2008-12 तक बजट आबंटन तथा व्यय की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका 2 : बजट आबंटन तथा व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा (75 प्रतिशत)			राज्य आयोजना (25 प्रतिशत)				
	संशोधित प्रावधान	भारत सरकार से प्राप्ति	व्यय	संशोधित प्रावधान	व्यय	कुल आबंटन	कुल व्यय	प्रतिशत (व्यय का आबंटन से)
2008-09	25	14.50	11.42	7	3.81	32	15.23	48
2009-10	24	23	21.28	8	5.50	32	26.78	84
2010-11	30	45	33.57	10	11.39	40	44.96	112
2011-12	60	0	29.79	20	10.46	80	40.25	50
योग	139	82.50	96.06	45	31.16	184	127.22	69

स्त्रोत: विभागीय सूचना एवं वित्त लेखों से

67. चरण-I में विद्यालयों द्वारा 2010-11 तक (मार्च 2011) जिला शिक्षा अधिकारियों से अधिकृति पश्चात विद्यालय विकास समितियों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा था।

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों का विश्लेषण इंगित करता है कि वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2011-12 में संशोधित बजट में किये गये प्रावधान से क्रमशः ₹ 16.77 करोड़, ₹ 5.22 करोड़ एवं ₹ 39.75 करोड़ कम व्यय किये गये। वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक, (2010-11 को छोड़कर जहाँ व्यय आवंटन से अधिक रहा) कुल आवंटन के विरुद्ध व्यय 48 से 84 प्रतिशत तक रहा। प्रभारी अधिकारी, (आईसीटी प्रकोष्ठ) निदेशालय ने बताया (मई 2012) कि भारत सरकार से प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग योजना के क्रियान्वयन में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (नवम्बर 2012) कि चरण-I एवं चरण-II के देरी से चालू होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

### 2.2.7.3 योजना का क्रियान्वयन

योजना के क्रियान्वयन में पायी गयी कमियों की चर्चा नीचे की गयी है:

सॉफ्टवेयर की विलम्बित आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति आरोपित करने का अभाव।

अनुबन्धों की शर्तों एवं नियमों की अनुसूची V के अनुसार, साफ्ट वेयर (ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एवं एमएस साफ्टवेयर) विभाग द्वारा उपलब्ध कराना था। तदनुसार विभाग ने मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड के साथ ₹ 7.68 करोड़ + वैट का एक एमओयू 18 दिसम्बर 2008 को, चरण-I के साफ्टवेयर की खरीद के लिए सम्पादित किया जिसके अनुसार फर्म को 15 दिन में (02 जनवरी 2009 तक) सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करनी थी। एमओयू के क्लॉज 5 के अनुसार देरी से आपूर्ति पर किये जाने पर क्षतिपूर्ति लगायी जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि फर्म ने 14 दिन की देरी से 16 जनवरी 2009 को सॉफ्टवेयर की आपूर्ति की, फर्म को समयवृद्धि 17 जनवरी 2009 तक, बिना क्षतिपूर्ति लगाये स्वीकृत कर दी गयी। फर्म ने देरी का कारण अनापेक्षित परिस्थितियों को बताया तथापि बिना क्षतिपूर्ति समयवृद्धि स्वीकृत करते समय विशिष्ट कारण अभिलिखित नहीं किये गये थे। परिणामस्वरूप फर्म को ₹ 0.80 करोड़ का अदेय लाभ प्रदान किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि समयवृद्धि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (जीएफ एण्ड एआर) के अनुसार तथा प्रकरण के गुण/दोष के आधार पर बिना क्षतिपूर्ति स्वीकृत की गयी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि फर्म ने देरी का कोई औचित्य नहीं बताया एवं अभिलेखों में प्रकरण के गुण/दोष का विश्लेषण भी उपलब्ध नहीं था।

क्रयादेश जारी करने में देरी/ क्रयादेश जारी नहीं करना।

• उप निदेशक, चूरू एवं उदयपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यद्यपि चरण-I में उप निदेशक, उदयपुर द्वारा मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड के साथ 03 जून 2008 को अनुबन्ध कर लिया गया था, कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापना के लिए आपूर्ति आदेश 18 जून 2008 को, 15 दिन बाद

दिया गया। उप निदेशक, चूरू द्वारा 31 जुलाई 2012 तक भी कार्यादेश जारी नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि उप निदेशक, उदयपुर द्वारा आपूर्ति आदेश में की गई देरी आकस्मिक थी क्योंकि अधिकारी 17 जून 2008 तक राजकीय यात्रा पर थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आपूर्ति आदेश जारी करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी। उप निदेशक, चूरू द्वारा आपूर्ति आदेश जारी नहीं करने के सम्बन्ध में बताया गया कि स्वीकृति पत्र में आपूर्ति आदेश भी शामिल था, अतः अलग से आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया गया। उत्तर अमान्य था क्योंकि अन्य सभी छः मण्डल अधिकारियों द्वारा स्वीकृति पत्र तथा आपूर्ति आदेश दोनों जारी किये गये थे।

चरण-II के अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए एंटीवायरस के अद्यतन किये जाने/नवीनीकरण का अभाव।

लेखापरीक्षा में विदित हुआ कि फर्म, जिसे सॉफ्टवेयर आपूर्ति का आदेश दिया गया था, ने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मय एंटीवायरस एक वर्ष के लिए निशुल्क आपूर्ति की (अक्टूबर 2010) जिसकी अवधि सितम्बर 2011 में समाप्त हो गयी। चूँकि चरण-II के अनुबन्ध की अवधि जून 2010 से फरवरी 2014 तक थी, अतः एंटीवायरस प्रति वर्ष अद्यतन किया जाना चाहिये था। विभाग ने एंटीवायरस अद्यतन फरवरी 2014 तक कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

निदेशक ने बताया (मई 2012) कि इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने भी यह तथ्य स्वीकार किया (नवम्बर 2012)।

संवेदक द्वारा चरण-II में 328 विद्यालयों में इंटरनेट संयोजन उपलब्ध नहीं कराना।

• चरण-II के अनुबन्ध के अनुसार दोनों फर्मों<sup>68</sup> द्वारा उपयुक्त इंटरनेट सेवा प्रदाता के माध्यम से न्यूनतम 256 केबीपीएस सम्बद्धता का इंटरनेट संयोजन सभी 2000 विद्यालयों की प्रत्येक प्रयोगशाला में उपलब्ध कराना एवं संधारित करना था। यह संयोजन सभी कम्प्यूटरों पर प्रोक्सी/साझा आधार पर अनुबन्ध की सम्पूर्ण अवधि तक उपलब्ध होना चाहिये था। अनुबन्ध के क्लॉज 15 के तहत उप निदेशकों को यह अधिकार था कि यदि फर्म द्वारा यह संयोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता तो वे फर्म की जोखिम एवं लागत पर इंटरनेट संयोजन प्राप्त कर सकते थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्मों द्वारा चयनित 12 जिला शिक्षा अधिकारियों के तहत 741 विद्यालयों में से 328 विद्यालयों में इंटरनेट संयोजन स्थापित नहीं किया गया। उप निदेशकों द्वारा भी न तो फर्मों के विरुद्ध ₹ 17.22 लाख<sup>69</sup> की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और ना ही उनकी जोखिम एवं लागत पर इंटरनेट संयोजन उपलब्ध कराये गये। उप निदेशकों की

68. मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड अजमेर, भरतपुर, चूरू, जयपुर एवं उदयपुर मण्डलों के लिए एवं मैसर्स पीयरसन एजुकेशन सर्विसेज प्रा.लि. कोटा एवं जोधपुर मण्डलों के लिए।

69. सितम्बर 2010 से मई 2012 तक ₹ 250 प्रतिमाह की दर से (बीएसएनएल की दर)।

कार्यवाही के अभाव में छात्र इंटरनेट सुविधा से वंचित रहे एवं फर्मों को अनुचित फायदा मिला।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि वसूली के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

चरण-II में 94  
विद्यालयों में प्रदत्त  
इंटरनेट सुविधा  
अकार्यशील रहना।

• उप निदेशक, जोधपुर एवं कोटा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 450 विद्यालयों में से 94 विद्यालयों (पाली: 75 एवं झालावाड़: 19) में फर्म द्वारा प्रदत्त इंटरनेट संयोजन अक्टूबर 2011 से सम्बन्धता के अभाव में (पाली) अथवा संयोजन की तिथि से (झालावाड़) कार्य नहीं कर रहे थे। प्रकरण की सूचना उच्च अधिकारियों को प्रदान की जा चुकी थी (मार्च 2012) लेकिन कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी (जून 2012)। इस प्रकार इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में उप निदेशकों की असफलता के कारण 94 विद्यालयों में छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पायी।

राज्य सरकार ने (नवम्बर 2012 में) बताया कि इस संबंध में सेवा प्रदाता फर्मों को इन विद्यालयों को डोंगल (एक हार्डवेयर सुविधा जो कि कम्प्यूटर/यूएसबी के साथ जोड़ी जाती है जिससे इंटरनेट संयोजन स्थापित हो जाता है) उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं एवं उपनिदेशकों को सम्बन्धित फर्मों से इंटरनेट संयोजन उपलब्ध नहीं कराने की दशा में वसूली करने के निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं।

चोरी गये हार्डवेयर/  
उपकरणों का फर्मों  
द्वारा प्रतिस्थापन का  
अभाव।

चरण-I एवं चरण-II के अनुबन्धों में व्यवस्था थी कि उपकरणों की सुरक्षा/संरक्षा की जिम्मेदारी फर्मों की होगी तथा इसके लिए फर्मों द्वारा किसी बीमा कम्पनी से चोरी/अग्नि आदि का बीमा कराना होगा। इसके आगे, उप निदेशकों को यह भी अधिकार दिया गया कि यदि फर्म ऐसा करने में असफल रहती है तो वे उनकी जोखिम एवं लागत पर वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 4500 में से 150 विद्यालयों (चरण-I : 92 एवं चरण-II : 58) में हार्डवेयर/उपकरण अगस्त 2008 से अप्रैल 2012 के मध्य चोरी हुए। फर्मों द्वारा 20 विद्यालयों (चरण-I : 15 एवं चरण-II : 5) में हार्डवेयर/उपकरण प्रतिस्थापित कर दिये गये लेकिन शेष 130 विद्यालयों में जून 2012 तक हार्डवेयर/उपकरण प्रतिस्थापित नहीं किये गये। सम्बन्धित उपनिदेशकों/निदेशकों द्वारा न तो फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी और न ही फर्मों की जोखिम एवं लागत पर उपकरण प्रतिस्थापित किये गये।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार कर (नवम्बर 2012) बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं कि वे चोरी गये हार्डवेयर के प्रतिस्थापन के लिये आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर लें। यह भी बताया कि फर्मों द्वारा कुछ विद्यालयों में उपकरण प्रतिस्थापित किये जा चुके हैं।

चरण-II में सॉफ्टवेयर की मूल सीडी विद्यालयों को नहीं लौटाया जाना।

- चरण-II के अनुबन्ध के अनुसार सभी चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटर में सॉफ्टवेयर की स्थापना हेतु ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की व्यवस्था विभाग द्वारा की जानी थी। तदनुसार विभाग ने ₹ 7.90 करोड़ + मूल्य संबर्धित कर (वैट) की लागत पर 4000 सीडी मैसर्स सिसफोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एसटीएल) से क्रय की तथा दोनों फर्मों (मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड एवं मैसर्स पीयरसन एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को 2000 विद्यालयों के कम्प्यूटरों में स्थापित करने के लिए सौंप दी। चूंकि सॉफ्टवेयर विभाग द्वारा क्रय किया गया था अतः स्थापना के बाद फर्मों द्वारा सीडी विभाग को वापस लौटायी जानी चाहिये थी।

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि फर्मों ने स्थापना के बाद मूल सीडी विद्यालयों को नहीं लौटायी।

निदेशक द्वारा बताया गया (मई 2012) कि फर्मों को सीडी, कम्प्यूटरों में स्थापना के लिए दी गयी थी। उत्तर में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि फर्मों को मूल सीडी अपने पास रखने की अनुमति देने के क्या कारण थे। इस प्रकार विभाग द्वारा फर्मों को अनुचित फायदा दिया गया क्योंकि सीडी जो कि विभाग की सम्पत्ति थी, को वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

कम्प्यूटर प्रयोगशाला में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लेन) का अभाव।

- चरण-I के अनुबन्ध के अनुसार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लेन) का कार्य फर्मों द्वारा किया जाना था जिससे प्रयोगशाला के समस्त 10 कम्प्यूटर इन्टरनेट से जुड़ सकें।

जिला शिक्षा अधिकारी-II भीलवाड़ा के अन्तर्गत विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्यों से एकत्रित सूचनाओं में पाया गया कि 48 विद्यालयों में से चरण-I के 23 विद्यालयों में फर्म द्वारा लेन उपलब्ध नहीं किया गया। लेन के अभाव में शेष 9 कम्प्यूटरों से इन्टरनेट सम्बन्धी शिक्षण/प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका। विभाग द्वारा फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही फर्म की जोखिम एवं लागत पर लेन उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार लेन की अनुपलब्धता के कारण इन विद्यालयों के विद्यार्थी इन्टरनेट सुविधा से वंचित रहे। साथ ही फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सरकार द्वारा इन तथ्यों को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2012)।

कम्प्यूटर सम्बन्धी विवरण की सीडी आपूर्ति का अभाव।

- चरण-II के अनुबन्ध की सामान्य शर्त के क्लॉज 23(XVII) के अनुसार फर्म द्वारा आपूर्तित प्रत्येक डेस्कटॉप की स्थितिवार क्रम संख्या एवं डेस्कटॉप के सादृश्य प्रमुख आन्तरिक अवयवों की एकल पहचान संख्या की सीडी उपलब्ध करवायी जानी थी। फर्म द्वारा स्थिति की जानकारी, संपत्ति प्रतिवेदन प्रणाली के वेवसाइट अवयव पर अद्यतन भी की जानी थी।

यह विदित हुआ कि फर्म द्वारा किसी भी मण्डल में सीडी प्रदान नहीं की गयी और सीडी के अभाव में उप निदेशकों के पास हार्डवेयर के विवरण की



स्थितिवार कोई सूचना नहीं थी। उप निदेशकों द्वारा फर्मों से यह सूचना प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार कर बताया (नवम्बर 2012) कि विद्यालयों को आपूर्ति किये गये उपकरणों की स्थितिवार क्रमिक संख्या की सीडी प्राप्त करने के निर्देश जारी कर दिये गये थे।

स्मार्ट विद्यालय की  
स्थापना का अभाव।

- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य में दो स्मार्ट विद्यालयों (राजस्थान राज्य के लिए जनवरी 2010 में संशोधित कर पांच) की स्थापना की जानी थी।

समीक्षा में पाया गया कि राजस्थान में कोई भी स्मार्ट विद्यालय स्थापित नहीं किया गया। विभाग द्वारा 14 सितम्बर 2011 को पीएमईजी के सम्मुख दी गयी प्रस्तुति में चार स्मार्ट विद्यालयों की स्थापना का इरादा दर्शाया गया। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2012 तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

निदेशक द्वारा तथ्य स्वीकार किये (अगस्त 2012) गये।

#### 2.2.7.4 योजना का प्रभाव

योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु लेखापरीक्षा में 100 विद्यालयों (चरण-I: 60 एवं चरण-II: 40) का सर्वेक्षण किया गया। लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार रहे:

- आठ चयनित जिलों में 72 विद्यालयों (चरण-I : 44 एवं चरण-II : 28) में विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। कम्प्यूटर प्रयोगशाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका के अभाव में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों की सटीक संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया एवं बताया (नवम्बर 2012) कि अलग उपस्थिति पंजिका बनाने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

- योजना एवं अनुबन्ध में कम्प्यूटर प्रयोगशाला में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हेतु जनरेटर का प्रावधान रखा गया था। नमूना जांच में पाया गया कि 77 विद्यालयों में जनरेटर, कम्प्यूटर प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला की विद्युत लाइन, से जुड़े हुए नहीं थे। इस प्रकार जनरेटर तैयार हालत में नहीं थे एवं अप्रयुक्त पड़े हुए थे। यह इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि फर्म द्वारा डीजल खपत का कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि अधिकतर विद्यालयों में जनरेटर कम्प्यूटर प्रयोगशाला से जुड़े हुए थे यद्यपि कुछ विद्यालयों में अलग स्थानों पर

रखे हो सकते थे। जनरेटर उपयोग होने पर डीजल के खर्च फर्म से वसूल किए जा रहे थे। जबाव स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नमूना जाँच किये गये उपरोक्त विद्यालयों में जनरेटर, कम्प्यूटर प्रयोगशाला से जुड़े नहीं पाये गये और डीजल खपत अभिलेखों के अभाव में फर्म से डीजल के खर्चों की वसूली संभव नहीं थी।

- नमूना जाँच के 66 विद्यालयों में प्रोजेक्टर सही अवस्था में थे परन्तु उनका प्रयोग शिक्षण उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि सभी विद्यालयों में प्रोजेक्टर उपलब्ध थे और शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किये जा रहे थे। जबाव स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि नमूना जाँच किये गये विद्यालयों में पाया गया कि प्रोजेक्टर का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।

- नमूना जाँच के 40 विद्यालयों में 154 कम्प्यूटर निष्क्रिय पड़े थे। इस कारण विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त महाराजा बदन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर द्वारा एक कम्प्यूटर संभागीय आयुक्त को दिया गया था।

- चरण-I एवं चरण-II के अनुबन्ध के अनुसार फर्म को शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। नमूना जाँच किये गये समस्त 100 विद्यालयों की जांच में पाया गया कि अप्रैल 2011 तक अध्यापकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके पश्चात् भी 74 चयनित विद्यालयों में जुलाई 2012 तक कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया एवं शेष 26 विद्यालयों में अधिकतम 15 दिवस का प्रशिक्षण दिया गया।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि सम्बन्धित मण्डलों से सूचना मांगी गयी है एवं फर्म को अनुपालना के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

- 92 विद्यालयों में विषयों की सीड़ी प्रदान नहीं की गयी। राज्य सरकार ने स्वीकार किया (नवम्बर 2012) और बताया कि फर्मों को बहुमाध्यम शिक्षा सामग्री विकसित किए जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

- नमूना जाँच के 31 विद्यालयों (चरण-I : 8 चरण-II : 23) में इन्टरनेट संयोजन प्रदान नहीं किया गया और 69 विद्यालयों में यह चार से 42 माह विलम्ब से प्रदान किया गया। दिलचस्प बात रही कि चार विद्यालयों में इन्टरनेट संयोजन कम्प्यूटर प्रयोगशाला के स्थान पर कार्यालय में प्रदान किया गया। सात विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला में इन्टरनेट संयोजन (डॉंगल) कार्य नहीं कर रहे थे।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किया गया (चरण-II) एवं बताया गया (नवम्बर 2012) कि फर्म एवं उप निदेशकों को सभी विद्यालयों में

इंटरनेट संयोजन उपलब्ध कराने एवं जहाँ डोंगल देरी से दिया गया अथवा कार्य नहीं कर रहा है, वसूली के लिए आदेश/निर्देश दे दिए गए हैं।

- नीचे दी गई तालिका में 45 विद्यालयों (चरण-I : 33 एवं चरण-II : 12) में अनुदेशक की नियुक्ति में 7 दिन से 24 माह तक के विलम्ब का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका 3 : अनुदेशकों की नियुक्ति में देरी

विलम्ब	विद्यालयों की संख्या
182 दिन तक	28
183 से 365 दिन	09
366 से 547 दिन	04
548 से 730 दिन	04

इसमें से 22 विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति अन्तर्विराम से की गई थी। इस प्रकार अनुदेशकों की नियुक्ति लगातार एवं संतोषजनक नहीं थी।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि देरी की गणना, अनुदेशक की नियुक्ति दिनांक या प्रयोगशाला स्थापना, जो भी बाद में हो, से की गयी। जबाव स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा आक्षेप, अनुदेशक की नियुक्ति विलम्ब से एवं अन्तर्विराम से करने से था न कि कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना से।

## 2.2.8 क्षमता निर्माण

### 2.2.8.1 शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रावधान की अनुपालना नहीं होना

चरण-I एवं चरण-II के अनुबन्धों के अनुसार फर्मों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के, प्रत्येक विद्यालय के शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों को विभागीय सारणी के अनुसार प्रति वर्ष कम से कम तीन माह, कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चरण-I में जयपुर, अजमेर, चूरू, जोधपुर, कोटा और उदयपुर मण्डलों में, सभी चयनित विद्यालयों के शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों को अवधि 2008-09 से 2010-11 तक फर्म मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। तथापि, 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (मई 2011 और मई 2012) आयोजित किए गए वे भी आधारभूत कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित थे। भरतपुर मण्डल में फर्म मैसर्स एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा ऐसा कोई प्रशिक्षण मई 2012 तक नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि चरण-II में जोधपुर एवं कोटा मण्डलों में तीन से पाँच दिवसीय (मई 2011 और मई 2012) आधारभूत प्रशिक्षण, फर्म मैसर्स पीयरसन एड्यूकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया। पाँच मण्डलों (अजमेर, भरतपुर, चूरू, जयपुर, उदयपुर) में मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड द्वारा 1 से 15 मई 2011 तक और 1 से 15 मई 2012 तक आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

लेखापरीक्षा में यह भी दृष्टिगत हुआ कि 1 मई से 15 मई 2011 तक आयोजित प्रशिक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति बहुत कम थी (जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर : 106 में से 12, पाली : 390 में से 181 एवं बाड़मेर : 348 में से 126)। किसी भी मण्डल में प्रशिक्षित कर्मचारियों का कोई डाटाबेस संधारित नहीं था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि 4417 शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। मण्डल अधिकारियों को प्रशिक्षण शिविरों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देशित किया जा चुका है। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबंधानुसार न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जाना चाहिए था जबकि प्रशिक्षण मात्र कुछ दिन का ही प्रदान किया गया वह भी आधारभूत कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित था न कि कम्प्यूटर आधारित शिक्षण।

शिक्षक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सम्बद्धता नहीं रहना।

- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर आधारित शिक्षण में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को सम्बद्ध किया जाना चाहिये था। पीएमईजी की बैठक (अगस्त 2007) के निर्णयानुसार शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कम्प्यूटर आधारित शिक्षण हेतु उचित सामग्री एवं मॉड्यूल राज्य सरकार को विकसित करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि, अनुबन्ध में शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान था किन्तु विभाग ने न तो प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया और ना ही इस बारे में एनसीटीई की मदद ली। फर्मों द्वारा मई 2011 एवं इसके पश्चात अध्यापकों को प्रदत्त प्रशिक्षण, विशिष्ट प्रशिक्षण न होकर मात्र आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि एनसीटीई से कोई प्रशिक्षण मॉड्यूल प्राप्त नहीं हुआ था परन्तु विभाग ने स्वयं ही प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नमूना जाँच किए गए विद्यालयों में ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं पाया गया।

## 2.2.9 अनुश्रवण

### 2.2.9.1 त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन पीएमईजी को नहीं भेजा जाना

योजना के दिशा-निर्देशों में राज्य सरकार द्वारा पीएमईजी को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान था। पीएमईजी को अनुश्रवण समिति की तरह भी कार्य करना था। अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि पीएमईजी को जून 2008 से मार्च 2012 के दौरान ऐसे कोई भी प्रतिवेदन नहीं भेजे गए थे।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 23 जुलाई 2012 को एमएचआरडी को भेजा गया है किन्तु प्रत्युत्तर में त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित नहीं करने के कोई कारण स्पष्ट नहीं किये गये थे।

### 2.2.9.2 राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति स्थापित न करना

प्रमुख शासन सचिव (विद्यालय व संस्कृत शिक्षा) की अध्यक्षता में हुई बैठक (20 दिसम्बर 2007) में लिए गए निर्णयानुसार योजना के प्रबन्धन एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तर, मण्डल स्तर, आयुक्त स्तर और राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का राज्य स्तर पर गठन किया जाना था। तदनुसार, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्रस्ताव भेजे गए (29 दिसम्बर 2007) और राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय, मण्डल स्तरीय व आयुक्त स्तरीय समितियाँ अनुमोदित की गई (22 जनवरी 2008)। तथापि, राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति के लिये प्रस्ताव नहीं बनाया गया। लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि विभाग द्वारा राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि राज्य स्तरीय समिति वर्तमान में विद्यमान हैं। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन सम्बन्धी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये।

### 2.2.9.3 अनुश्रवण समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तान्त संधारित नहीं करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जिला, मण्डल एवं आयुक्तालय स्तर पर अनुश्रवण समितियों के गठन का अनुमोदन किया गया था (जनवरी 2008)। लेकिन बैठकों के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गयी। अनुश्रवण समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तान्त भी संधारित नहीं किए गए थे। आगे, उप निदेशक जयपुर में कोई समिति गठित नहीं की गयी थी और जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा प्रथम और द्वितीय, चित्तौड़गढ़ और उप निदेशक, चूरू में समितियों की बैठक नहीं हुई थी।

सरकार ने पुष्टि करते हुये कहा (नवम्बर 2012) कि यद्यपि मण्डल और जिला स्तर समितियों की बैठकें हुई थी किन्तु कार्यवृत्तान्त संधारित नहीं किये गये।

#### 2.2.9.4 स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन का अभाव

योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान था कि विभाग योजना का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा करवाने की संभावना का पता लगाएगा। पीएमईजी ने, राजस्थान राज्य की कम्प्यूटर शिक्षा योजना (चरण-1) को स्वीकृति प्रदान करते हुए अपनी बैठक (अगस्त 2007) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया था कि कार्यक्रम को समेकित करने एवं स्वतंत्र एजेन्सी जैसे आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी अभियान्त्रिकी महाविद्यालय इत्यादि द्वारा अनुश्रवित करवाने की आवश्यकता होगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना का मूल्यांकन मार्च 2012 तक स्वतंत्र एजेन्सी से नहीं करवाया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि चरण-1 के मूल्यांकन के लिए एक फर्म (मैसर्स प्लानमेन कनसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली) का चयन कर लिया गया है।

#### 2.2.9.5 आन लाइन प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) इन्टरएक्टिव सॉफ्टवेयर प्रदान करने का अभाव

चरण-II के अनुबन्ध के अनुसार फर्म, विद्यालय स्तर एवं केन्द्रीय स्तर (उप निदेशक) पर प्रभावी क्रियाकलाप प्रबन्धन हेतु वेब आधारित, ऑन लाइन एमआईएस सॉफ्टवेयर प्रदान करेगी। यह सॉफ्टवेयर छात्रों से सम्बन्धित सूचना, कम्प्यूटर अनुदेशक से सम्बन्धित सूचना, प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रतिक्रिया, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल, प्रतिवेदन तैयार करना, भुगतान, जाँच बिन्दु, जनरेटर उपयोग एवं उपभोग्य सामग्री का निर्गमन एवं उपयोग इत्यादि सूचनाएं संकलित करेगा। यह सॉफ्टवेयर सूचनाओं के साथ भुगतान हेतु बिल भी तैयार करेगा। फर्म द्वारा एमआईएस सॉफ्टवेयर विकसित कर, विभाग/समिति के सम्मुख अनुमोदन/परिवर्तन हेतु 08 सितम्बर 2010 तक प्रस्तुत किया जाना था। फर्म द्वारा सम्बन्धित मण्डल में स्वयं के बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए प्रबन्ध सूचना प्रणाली को समर्थित एवं क्रियान्वित करना था।

नमूना जांच (मई-जुलाई 2012) में पाया गया कि फर्म मैसर्स कम्प्यूकॉम साफ्टवेयर लिमिटेड (जयपुर, उदयपुर, चूरू एवं अजमेर) एवं मैसर्स पीयरसन एज्यूकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (कोटा एवं जोधपुर) ने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रदान नहीं किया। यद्यपि, इसे 08 सितम्बर 2010 तक विकसित किया जाना था। सम्बन्धित उप निदेशकों द्वारा फर्मों के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार फर्मों की जोखिम एवं लागत पर सॉफ्टवेयर प्राप्त करने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

इस प्रकार विभाग के पास चयनित विद्यालयों की संख्या, लाभान्वित विद्यार्थी, इन्टरनेट सुविधायुक्त विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण, ई-सामग्री इत्यादि से सम्बन्धित कोई वेब आधारित डाटाबेस नहीं था।

सरकार ने तथ्य स्वीकार किया (नवम्बर 2012) एवं बताया कि प्रबन्ध सूचना प्रणाली के डाटा फीडिंग के लिए चार जिलों (बीकानेर, सवाई माधोपुर, जोधपुर एवं कोटा) को पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है।

### 2.2.10 निष्कर्ष

कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना, विद्यालयों में निर्माण-स्वामित्व-परिचालन-हस्तान्तरण (बूट) मॉडल के आधार पर, दो चरणों में लागू की गई है। योजना के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर हुआ कि भारत सरकार को प्रेषित कम्प्यूटर शिक्षा योजना (सीईपी) में विद्यालयों का चयन बुनियादी सुविधाओं की सुनिश्चितता किये बिना किया गया एवं पूर्व योजना में चयनित किये गये विद्यालयों की पुनरावृत्ति की गई। चरण-I के अनुबन्ध में इन्टरनेट संयोजन का प्रावधान नहीं किया गया, दोनों चरणों में विभाग ने परिचालन सॉफ्टवेयर विलम्ब से प्रदान किया और चरण-II की निविदा को अन्तिम रूप देने में विलम्ब किया। चरण-II के विद्यालयों में इन्टरनेट संयोजन प्रदत्त/कार्यशील नहीं थे। चोरी गये हार्डवेयर एवं उपकरण, फर्म द्वारा पुनः स्थापित नहीं करना भी दृष्टिगत हुआ। सामर्थ्य बढ़ोतरी का कार्य पृष्ठ भूमि में रहा। कम्प्यूटर से शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सम्बद्धता नहीं पायी गयी। अनुश्रवण लगभग शून्य रहा क्योंकि चरण-II में फर्म द्वारा उपनिदेशकों को दिया जाने वाला एमआईएस अन्तरसक्रिय सॉफ्टवेयर प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा पीएमईजी को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजा गया। राज्य स्तरीय उच्च अधिकार समिति नहीं बनायी गई। जयपुर मण्डल में उप निदेशक स्तर की समिति नहीं बनायी गयी। मण्डल एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा बैठकों के कार्य वृत्तांत नहीं बनाये गये थे।

### 2.2.11 अनुशंषारें

- विभाग द्वारा योजना का प्रभावी एवं अबाध क्रियान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए।
- विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फर्म अपना उत्तरदायित्व समय पर एवं अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कर रही है।
- विभाग द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया जाना चाहिये एवं प्रत्येक शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारी को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।
- योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि प्रत्येक स्तर पर कार्यशील समितियों का गठन कर लिया गया है। साथ ही प्रबन्ध सूचना प्रणाली के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता है।

## अध्याय 3 अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्रीय घटकों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा, एवं स्वायत्तशासी निकायों की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा विनियमन, औचित्यता एवं मितव्ययिता के मापकों के अनुपालन में विफलता के कई दृष्टांत ध्यान में आये हैं, जिन्हें वृहद् विषयक शीर्षों के अन्तर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

### 3.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

#### आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

##### 3.1.1 आर्थिक सहायता का अनाधिकृत समायोजन

को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा ₹ 63.99 करोड़ की आर्थिक सहायता का सूखा प्रभावित किसानों के बकाया ऋणों के विरुद्ध समायोजन करने से रोक नहीं पाने, उनको तुरन्त सहायता वितरण के सुनिश्चयन में विभाग विफल रहा।

भारत सरकार (भास) ने आपदा सहायता निधि(आसनि) एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (राआआनि) से सहायता के लिए 2005-10 की अवधि के लिये पात्रता मानदण्ड परिवर्तित किये (जून 2007)। भास ने राज्य सरकार (रास) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि आसनि/राआआनि से व्यय केवल अनुमोदित मदों /मानकों के अनुसार किया जाये। उन मामलों में जहाँ आपदा के कारण नुकसान 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा है, भारत सरकार से अनुमोदित (जून 2007) आसनि/राआआनि (मानकों) सहायता के मानक व सूची के मद 3(ई) तथा 4 में, लघु एवं सीमान्त किसानों तथा अन्य किसानों को कृषि निवेश पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। आसनि/राआआनि का उपयोग आपदा प्रभावितों को तुरन्त सहायता उपलब्ध करवाने के लिए किये गये व्यय को वहन करने के लिए किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग (आप्रसवि) ने आसनि के अन्तर्गत 27 सूखा प्रभावित जिलों के जिला कलेक्टरों को, कृषि निवेश आर्थिक सहायता के लिए, ₹ 720.88 करोड़ आवंटित किये (फरवरी 2010 से मार्च 2011)। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निधियाँ सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को स्थानान्तरित करने एवं उसे खरीफ 2009 के सूखा प्रभावित किसानों को, उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के आधार पर, लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा द्वारा वितरण किये जाने के निर्देश दिये।



छ: जिला कलेक्टरों<sup>1</sup> (आप्रसवि) के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2011 से नवम्बर 2011) तथा आगे सूचना संग्रहण में पाया गया कि राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर (बैंक) ने सभी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों को, सूखा प्रभावित किसानों के खातों में आर्थिक सहायता जमा करने से पहले, किसानों के विरुद्ध पिछला बकाया ऋण, यदि कोई हो, का समायोजन करने के निर्देश दिये (फरवरी 2010)। तदनुसार, संबंधित सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों ने लाभार्थियों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता जमा की तथा 6,33,706 ऋणी किसानों<sup>2</sup> के बकाया ऋणों के विरुद्ध ₹ 63.99 करोड़ (लघु एवं सीमान्त किसान: ₹ 39.17 करोड़ तथा अन्य किसान: ₹ 24.82 करोड़) का समायोजन किया। प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बैंक महज एक माध्यम था और राज्य सरकार की अनुमति के बिना तुरन्त सहायता के रूप में स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता में से उसे अपने स्तर पर ऋणों का समायोजन करने का प्राधिकार नहीं था। सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के इस कृत्य ने लघु एवं सीमान्त किसानों को प्रतिकूल प्रभावित किया क्योंकि को-ऑपरेटिव बैंकों ने, लघु व सीमान्त किसानों से ₹ 39.17 करोड़ (56.82 प्रतिशत) की आर्थिक सहायता (₹ 69 करोड़) का समायोजन किया। आप्रसवि ने पिछले बकाया ऋणों के विरुद्ध आर्थिक सहायता का समायोजन नहीं करने के लिए बैंकों को निर्देश देने की कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, सूखा प्रभावित किसानों को तुरन्त सहायता उपलब्ध करवाने का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार किया (नवम्बर 2011 एवं जून 2012) कि बैंक द्वारा बकाया राशि का समायोजन किया जाना विभागीय निर्देशों के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार सूखा प्रभावित किसानों को ₹ 63.99 करोड़ तक की तुरन्त सहायता वितरण के सुनिश्चयन में विभाग विफल रहा।

## चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

### 3.1.2 अनियमित व्यय

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुदृढ करने के लिए प्रदत्त राशि ₹ 10.25 करोड़ का प्रशासनिक भवनों (स्वास्थ्य भवनों) के निर्माण व भूमि क्रय हेतु अनधिकृत विपथन किया गया।

भारत सरकार ने वर्ष 2005 में स्वास्थ्य तन्त्र एवं देश के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य स्तर को सुदृढ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

1. अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, एवं टोंक।

2. लघु एवं सीमान्त किसान: 5,02,175 एवं अन्य किसान : 1,31,531

मिशन (रागास्वामि) की शुरुआत की। रागास्वामि के क्रियान्वयन की संरचना के अनुसार राज्य सरकार को वर्षवार, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (काकायो) बनाकर भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित करनी थी। वर्ष 2007-08 के लिए अनुमोदित काकायो में उप स्वास्थ्य केन्द्रों (उस्वाके)/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रास्वाके)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सास्वाके) एवं तालुका तथा जिलों के अस्पतालों के भौतिक बुनियादी ढाँचे के उन्नयन हेतु राशि ₹ 50 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसमें नए उप-केन्द्रों का निर्माण शामिल था (मद-18)। अनुमोदित काकायों में स्वास्थ्य भवनों (प्रशासनिक भवनों) के निर्माण तथा भूमि लागत के भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।

जिला स्वास्थ्य समिति (जिस्वास)<sup>3</sup>, झालावाड़ के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च-अप्रैल 2012) तथा राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी (राएसएचएस) जयपुर से एकत्रित सूचनाओं में निम्नांकित प्रकट हुआ:

- यद्यपि, स्वास्थ्य भवनों (स्वाभ) का निर्माण अनुमोदित काकायो में सम्मिलित नहीं था तथापि मिशन निदेशक (मिनि), रागास्वामि, राजस्थान जयपुर ने रागास्वामि की निधि में से ग्यारह जिलों<sup>4</sup> में नए स्वाभ के निर्माण हेतु राशि ₹ 9.62 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी (फरवरी 2008) की। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि राज्य सरकार ने 2008-09 के काकायो में स्वाभ के निर्माण प्रस्तावित नहीं किये थे। तथापि, राज्य सरकार ने काकायो वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने हेतु इसे प्रस्तावित किया परन्तु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित काकायो में यह मद सम्मिलित नहीं था। ₹ 8.32 करोड़ की लागत में दस स्वाभ पूर्ण (जनवरी 2009 से अगस्त 2011) कर मार्च 2009 से मार्च 2012 के मध्य सुपुर्द किए गए। एक स्वाभ (उदयपुर) का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है जिस पर ₹ 55.18 लाख व्यय हो चुके हैं।

इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा उस्वाके/प्रास्वाके/सास्वाके/एवं तालुका/जिला अस्पतालों के बुनियादी ढाँचे आधार तन्त्र के लिए स्वीकृत निधियों (₹ 9.62 करोड़) का अनियमित विपथन किया गया व प्रशासनिक भवनों (स्वास्थ्य भवनों) के निर्माण पर उपयोग (₹ 8.87 करोड़) किया गया।

- आगे, झालावाड़ में स्वाभ हेतु उपयुक्त भूमि आवंटित करने हेतु मुचिस्वाअ, झालावाड़ के अनुरोध पर जिला कलेक्टर, झालावाड़ एवं आयुक्त, नगर परिषद, झालावाड़ ने चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग को रियायती दरों

3. जिला कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मुचिस्वाअ) जिला स्वास्थ्य समिति (जिस्वास) के क्रमशः अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

4. अजमेर, अलवर, बारां, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर और उदयपुर

पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2008)। चूँकि राज्य सरकार के निर्देश (अक्टूबर 1996) निर्देशित करते हैं कि चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग को भूमि निःशुल्क आवंटित की जानी चाहिए, आयुक्त, नगर परिषद, झालावाड ने निदेशक, स्थानीय निकाय से निःशुल्क भूमि आवंटन की अनुशंसा की (अक्टूबर 2008)। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तथापि, आयुक्त, नगर परिषद, झालावाड ने स्वाभ के निर्माण के लिए ₹ 1.38 करोड़ लागत की 56,257 वर्गफुट भूमि आवंटित कर दी (फरवरी, 2009)। तदनुसार, मुचिस्वाअ, झालावाड ने रागास्वामि के फ्लैक्सी पूल से ₹ 1.38 करोड़ स्वीकृत कर नगर परिषद, झालावाड को अन्तरित कर दिये (मार्च 2009)। तत्पश्चात, जिला कलेक्टर, झालावाड ने प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग से, जिस्वास को स्वाभ के लिए भूमि क्रय करने हेतु रागास्वामि की निधि से, ₹ 1.38 करोड़ व्यय करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया (फरवरी, मार्च एवं दिसम्बर 2010)। तथापि मिनि, रागास्वानि, जयपुर ने जिला कलेक्टर, झालावाड को सूचित किया (फरवरी 2011) कि रागास्वामि की संरचना में भूमि खरीद का कोई प्रावधान नहीं है अतः भूमि क्रय की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती। लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि क्रय के लिए रागास्वामि की निधि स्थानान्तरित करने की अनुमति न होने के बावजूद जिला कलेक्टर, झालावाड ने भूमि क्रय के लिए ₹ 1.38 करोड़ व्यय कर दिए। फलस्वरूप, तीन साल से अधिक समय व्यतीत होने पर भी, अनियमित रूप से विपथित की गई राशि, रागास्वामि निधि में जमा नहीं की गई (अगस्त 2012)।

मुचिस्वाअ, झालावाड ने तथ्य स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मार्च 2012) कि ₹ 1.38 करोड़ की लागत से भूमि क्रय का निर्णय जिला कलेक्टर, झालावाड की अध्यक्षता में हुई जिस्वास की बैठक (फरवरी 2009) में लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि क्रय के लिए रागास्वामि की निधि से व्यय किया गया। आगे, इस अनधिकृत विपथन के कारण मॉडल उस्वाके एवं प्रसूति कक्ष का निर्माण नहीं हो सका।

इस प्रकार राशि ₹ 10.25 करोड़, जो रागास्वामि के तहत प्रदत्त सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए थी, का प्रशासनिक भवनों (स्वास्थ्य भवनों) के निर्माण तथा भूमि क्रय करने के लिए अनधिकृत विपथन किया गया।

प्रकरण सरकार को जुलाई 2012 में प्रतिवेदित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2012)।

## जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

## 3.1.3 संवेदकों के बिलों से रायल्टी की कम/देरी से कटौती।

अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा खनिज विभाग के आदेशों की अवहेलना कर पूर्ण भुगतान अनुमत्य करने व ₹ 1.53 करोड़ रायल्टी की कम/देरी से कटौती करने से संवेदकों को अदेय लाभ दिया गया। इसके अलावा, अनधिकृत खुदाई के लिए रायल्टी का 10 गुणा दण्ड वसूली के प्रावधान को लागू नहीं करने से संवेदकों को और अधिक लाभान्वित किया। रायल्टी की देरी से कटौती पर ब्याज जमा कराने के लिए जस्वाअवि के अअ उत्तरदायी थे।

सरकार के परिपत्र आदेश 08 अक्टूबर 2008<sup>5</sup> के अनुसार, संवेदक को कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिजों के लिए, कार्य प्रारम्भ करने से पहले, खनिज विभाग से लघु अवधि अनुमति-पत्र (एसटीपी) प्राप्त करना चाहिये। इसकी सत्यापित प्रति संबंधित कार्यकारी अभिकरण को, निर्धारित दर<sup>6</sup> से रायल्टी की कटौती करने के लिए, प्रथम चालू लेखा देयक के साथ उपलब्ध करवानी चाहिये। ऐसा नहीं करने पर, संवेदक को भुगतान अनुमत्य नहीं होगा। साथ ही कार्य में प्रयुक्त खनिजों को अनधिकृत खुदाई मानते हुए देय रायल्टी का 10 गुणा भुगतान करना होगा। कार्यकारी अभिकरण को, संवेदकों के बिलों से रायल्टी की कटौती करनी होगी और इसे 15 दिवस के अन्दर खनिज विभाग में जमा करवाना होगा जिसमें असफल होने पर भूमि राजस्व अधिनियम (भूराअ) के अनुसार कार्यकारी अभिकरण इसे ब्याज के साथ खनिज विभाग में जमा कराने का उत्तरदायी होगा।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (जस्वाअवि) के पाँच खण्डों<sup>7</sup> के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2010 से मई 2012) में पाया गया कि जलापूर्ति परियोजनाओं के ₹ 463.30 करोड़ लागत के 13 कार्यों को दिसम्बर 2007 से फरवरी 2011 के दौरान 13 संवेदकों को आवंटित किये गये (परिशिष्ट 3.1)। तथापि, किसी भी संवेदक ने अपेक्षित एसटीपी, प्रथम चालू लेखा देयक के साथ प्रस्तुत नहीं की। यद्यपि, छः संवेदकों ने फरवरी 2009 से जनवरी 2012 के दौरान एसटीपी प्रस्तुत की, जबकि कार्य आदेश जुलाई 2008 से फरवरी 2011 के दौरान जारी किये गये थे, सात संवेदकों ने इसे प्रस्तुत ही नहीं किया। संवेदकों द्वारा एसटीपी प्रस्तुत नहीं करने/देरी से प्रस्तुत करने के

5. आगे संशोधन फरवरी 2010 में।

6. सड़क निर्माण के लिए 1.75 प्रतिशत, भवन निर्माण के लिए एक प्रतिशत, सड़क रिनोवेशन के लिए 0.75 प्रतिशत एवं अन्य कार्यों के लिए 0.50 प्रतिशत।

7. अधिशाषी अभियन्ता, जस्वाअवि, बाइमेर, जोधपुर द्वितीय एवं तृतीय, दूदू-द्वितीय तथा इंगरपुर।

बावजूद उन्हें जून 2012 तक ₹ 434.04 करोड़ का पूर्ण भुगतान अनुमत्य किया गया। आगे, पाँच खण्डों से संबंधित अअ ने, बाद के चालू लेखा देयकों से, संवेदकों के बिलों से कटौती की जाने वाली रॉयल्टी राशि ₹ 2.17 करोड़ (किये गये भुगतान ₹ 434.04 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) के विरुद्ध केवल ₹ 0.65 करोड़<sup>8</sup> की कटौती कर एवं खनिज विभाग को प्रेषित कर, उक्त सीमा तक संवेदकों को अदेय वित्तीय सहायता पहुँचायी। फलतः न केवल संवेदकों को पूर्ण भुगतान जारी करना अन्यायोचित था, ₹ 1.53 करोड़<sup>9</sup> की रॉयल्टी कम/देरी से की गई कटौती ने, सम्बंधित खण्डों को 15 प्रतिशत<sup>10</sup> ब्याज के सहित जमा करवाये जाने का भी उत्तरदायी बना दिया था। जिसे किसी भी खण्ड द्वारा जमा नहीं करवाया गया।

क्योंकि संवेदकों ने एसटीपी प्रस्तुत नहीं की/देरी से प्रस्तुत की, उनके द्वारा खनिज उपयोग अनधिकृत रूप से लिया गया, अतः वे देय रॉयल्टी के 10 गुणा भुगतान के उत्तरदायी थे। इस प्रावधान को भी जस्वाअवि के खण्डों द्वारा लागू नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने अअ, राईजेप<sup>11</sup> बाडमैर के संबंध में, तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2012) कि अमुअ, जोधपुर को, संवेदकों के प्रथम चालू लेखा देयक बिलों से रॉयल्टी की कटौती नहीं करने के लिए, दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए, जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है (मई 2012)। सरकार ने आगे बताया कि जिला खण्ड द्वितीय जोधपुर ने ₹ 17.80 लाख; बीसलपुर- दूदू परियोजना, खण्ड द्वितीय ने ₹ 51.17 लाख एवं खण्ड इंगरपुर ने ब्याज के ₹ 0.34 लाख सहित ₹ 1.12 लाख की रॉयल्टी की वसूली करली है। तथापि, सरकार ने देरी से की गई वसूलियों पर देय ब्याज की वसूली हेतु सूचित नहीं किया। अअ, जस्वाअवि, जिला खण्ड तृतीय, जोधपुर के संबंध में सरकार ने सूचित किया कि अन्तिम बिल का भुगतान, खनिज विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद किया जायेगा, लेकिन रॉयल्टी की कम वसूली के कारणों को सूचित नहीं किया। वसूलियों का विस्तृत विवरण भी सूचित नहीं किया गया।

इस प्रकार, अधिशाषी अभियन्ताओं ने खनिज विभाग के आदेशों की अवहेलना कर पूर्ण भुगतान अनुमत्य करने व ₹ 1.53 करोड़ रॉयल्टी की कम/देर से कटौती करने से, संवेदकों को अदेय लाभ दिया गया। इसके अलावा, अनधिकृत खुदाई के लिए रॉयल्टी का 10 गुणा दण्ड वसूली के प्रावधान को लागू नहीं

8. संवेदकों की जमाओं से ₹. 1.12 लाख अअ, जस्वाअवि इंगरपुर द्वारा समायोजित और जून 2012 में क्रेडिट किया गया शामिल है।
9. अअ, जस्वाअवि, इंगरपुर द्वारा दो वर्ष बाद जून 2012 में जमा राशि ₹. 1.12 लाख सम्मिलित करते हुए।
10. जैसाकि भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत लागू है।
11. राजस्थान एकीकृत नारू उन्मूलन परियोजना

करने से संवेदकों को और भी लाभान्वित किया गया। रॉयल्टी की विलम्बित कटौती पर ब्याज जमा कराने के लिए जस्वाअवि के अअ भी उत्तरदायी थे।

### 3.2 औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

#### सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

##### 3.2.1 परिहार्य व्यय

विभाग द्वारा प्रशिक्षण सुविधाओं को साझेदारी में स्थापित करने की आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना एक निजी संस्थान को ₹ एक करोड़ का अनुदान दिया गया तथा अनुदान द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को अपने कब्जे में नहीं लिये जाने से विभाग, राज्य के हित को बचाने में भी विफल रहा।

राज्य सरकार ने, राज्य में तकनीकी शिक्षा रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए एक निजी संस्थान, बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (बिवैअसं) के सहयोग से उन्नतशील जैव सूचना विज्ञान केन्द्र (उजैसूके) जयपुर की स्थापना करने के लिए ₹ एक करोड़ की एक बारगी अनुदान<sup>12</sup> की स्वीकृति जारी की (मार्च 2007)। उजैसूके को सत्र 2007-08 से दो प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने थे अर्थात् एमएससी पश्चात् उम्मीदवारों के लिए एक वर्ष का जैव सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में एमएससी कर रहे उम्मीदवारों के लिए 4-6 माह के लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (एक वर्ष में दो बार) तथा उसे राज्य के स्वास्थ्य कामगारों/कृषि अनुसंधानकर्ताओं/ जैव तकनीकीविज्ञों के लिए भी नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना था ताकि वे जैव सूचना विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी के कटिंग एज क्षेत्रों में गुणवत्तापरक प्रशिक्षण ले सकें तथा रोजगार प्राप्ति में इसका अतिरिक्त लाभ ले सकें। बिवैअसं के साथ एक अनुबन्ध विवरण पत्र (अविप) 27 जून 2007 को निष्पादित किया गया। अविप के अनुसार परियोजना की अवधि परियोजना स्वीकृति तिथि (मार्च 2007) से तीन वर्ष थी और प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (सूप्रौसंवि) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुदान के उचित उपयोग की आवधिक प्रगति की समीक्षा करनी थी। सूप्रौसंवि को किसी भी स्तर पर अनुदान समाप्त करने का अधिकार था यदि वह अनुदान के उचित उपयोग या समुचित प्रगति से आश्वस्त न हो। उस स्थिति में, बिवैअसं

12. उजैसूके को चलाने पर आवृत्ति व्यय बिवैअसं द्वारा वहन किया जाना था।

को सभी दस्तावेज मय तकनीकी विवरण एवं परियोजना से संबंधित खरीदे गये उपकरण, सूप्रौसंवि को सुपुर्द करने थे।

सचिव, सूप्रौसंवि के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2010) में प्रकट हुआ कि वित्त विभाग ने एक निजी संगठन को अनुदान उपलब्ध कराने की जरूरत की जाँच करने की आवश्यकता पर बल दिया (जनवरी-फरवरी 2007) क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय एवं वनस्थली विद्यापीठ में जैव सूचना विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम पहले से मौजूद थे। साथ ही विभाग ने राजस्थान में इन पाठ्यक्रमों के स्नातकों को रोजगार के अवसरों के संबंध में प्रकरण की जाँच करने के लिए भी सुझाव दिये। तथापि, विभाग ने प्रस्तावों की अनदेखी करते हुये, उजैसूके की पूंजीगत लागत हेतु बिवैअस को ₹ एक करोड़ हस्तान्तरित किये (मार्च 2007)।

बिवैअस ने 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर<sup>13</sup> प्राप्ति पर ₹ एक करोड़ के अनुदान का उपयोग किया। तथापि, बिवैअस ने सत्र 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान, एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में लक्षित 40 विद्यार्थियों के विरुद्ध केवल 17 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया और सत्र 2009-10 से पाठ्यक्रम को इस आधार पर बन्द कर दिया कि यह अप्रसांगिक हो गया है क्योंकि कई संस्थानों द्वारा जैव सूचना विज्ञान में पूर्ण स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा चुके हैं। आगे, बिवैअस ने 2007-08 से 2011-12 के पांच सत्रों के दौरान संचालित दस लघु अवधि पाठ्यक्रमों<sup>14</sup> में लक्षित 200 विद्यार्थियों के विरुद्ध केवल 65 विद्यार्थियों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2011) कि केन्द्र की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलाना एवं जैव सूचना विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान जारी रखना था लेकिन राजस्थान में कई अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के कारण, इस पाठ्यक्रम को लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं पर केन्द्रित कर दिया गया। अतः उजैसूके की स्थापना का मूल्यांकन, निवेश के वृहद समयावधि लाभों तथा कुशल मानव शक्ति के सृजन एवं अनुसंधान में इसके उपयोग के संदर्भ में किया जाना चाहिये।

राज्य सरकार ने यह भी बताया (जुलाई 2012) कि अनुदान का मुख्य उद्देश्य जैव सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के आधारभूत संरचना का संवर्धन तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना था। 65 विद्यार्थियों को लघु समयावधि (चार से छः माह) के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण उपलब्ध

13. यूपीएस (2); 24" एलसीडी सहित कम्प्यूटर; प्रोजेक्टर (1); सॉफ्टवेयर डिस्कवरी स्टूडियों, एकसोम हॉरीजॉन, सीएलसी कम्बाईन्ड वर्क्स बैंच एवं सीएलसी सैल; जीनोक्लस्टर जैव सूचना विज्ञान; जीनोविज एवं यूआईआर एनए चैक, बॉयो बॉक्स एवं अडोबे वैब प्रिमियम।

14. 2007-08 : 13; 2008-09 :13; 2009-10:8; 2010-11: 10 एवं 2011-12 : 21

कराने के अतिरिक्त, 500 अन्य विद्यार्थियों को भी ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण (तीन दिवस से छः सप्ताह) उपलब्ध करवाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सरकारी सहायता से प्राप्त आधारभूत संरचना का उपयोग रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों हेतु किया जाना था जबकि रोजगारोन्मुखी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को पूर्णतया छोड़ दिया गया तथा प्राप्त किये गये आधारभूत संरचना का उपयोग नगण्य/महत्वहीन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के लिए किया गया।

इस प्रकार विभाग ने, आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना, साझेदारी में प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए, निजी संस्थान को ₹ एक करोड़ का अनुदान दिया तथा योजना की असंतोषजनक प्रगति के उपरान्त भी अनुदान द्वारा सृजित परिसम्पतियों को, परियोजना अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी, अपने कब्जे में नहीं लिये जाने से विभाग, राज्य के हित को बचाने में विफल रहा।

### चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

#### 3.2.2 मशीनों का अनुपयोगी रहना

योग्य मानव शक्ति को सुनिश्चित किये बिना अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीनों का क्रय, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.01 करोड़ के अलाभकारी व्यय के अतिरिक्त लाभार्थी वांछित लाभ/अल्ट्रा सोनोग्राफी सुविधाओं से वंचित रहे, तदर्थ योजना तथा समन्वित प्रयास के अभाव को इंगित करता है।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों तथा भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ (अप्रैल, 2005) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (राग्रास्वामि) के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच तथा स्वास्थ्य सेवाओं के न्यायोचित वितरण के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ थी। स्वास्थ्य सेवाएँ दहलीज तक पहुँचाना इस पहल के पीछे का सिद्धान्त एवं अभावग्रस्त इलाकों तक पहुँचाना इसका संकल्प था। राग्रास्वामि में प्रत्येक जिले में चलित चिकित्सा इकाई(चचिड़) का प्रावधान था। चचिड़ के लिए दो तरह के वाहन (क) कर्मचारियों के लिए (ख) उपकरण सहित नैदानिक कार्यों के लिए तथा उपसाधन जैसे एक्सरे, ईसीजी, यूएसजी मशीन इत्यादि खरीदने थे।

भारत सरकार ने राग्रास्वामि के तहत राज्य में 52 चचिड़<sup>15</sup> स्थापित करने के लिए ₹ 22.33 करोड़<sup>16</sup> का अनुदान स्वीकृत (सितम्बर 2006) किया। विभाग

15. 20 जनजातीय, मरुस्थलीय जिलों में दो चचिड़ प्रति जिला एवं प्रत्येक 12 जिलों में एक चचिड़।

16. पूँजीगत व्यय: ₹ 13.13 करोड़ (₹ 25.25 लाख प्रति चचिड़); आवर्ती लागत: ₹ 9.20 करोड़ (₹ 17.70 लाख प्रति चचिड़)।



ने मार्च 2009 से अप्रैल 2011<sup>17</sup> के मध्य ₹ 26.55 लाख प्रति वाहन की दर से ₹ 13.80 करोड़ की लागत से 52 नैदानिक वाहन क्रय किए। निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर चर्चिड़ ने 52 चल श्वेत-श्याम पराध्वनि चित्रण प्रणाली (यूएसजी मशीन) (जन्म सम्बन्धी जाँच तथा वक्ष कैंसर, सर्वाईकल कैंसर आदि की जाँच में सहायता के लिए) खरीद के लिए निविदा आमंत्रित (मार्च 2008) की। मिशन निदेशक (मिनि), रागास्वामि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय भण्डार क्रय समिति ने मै. ब्लू स्टार लिमिटेड, मुम्बई (फर्म 'क') के परक्राम्य दर ₹ 1.94 लाख प्रति यूएसजी मशीन<sup>18</sup> की स्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2008)। मिनि, रागास्वामि ने अनुबन्ध निष्पादित (अक्टूबर, 2008) करने के पश्चात फर्म को आपूर्ति आदेश (नवम्बर 2008) दिए। आपूर्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि यूएसजी मशीन का पंजीयन 'गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक' (लिंग चयन प्रतिषेध) (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत होना अनिवार्य है। इसके लिए, सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (मुचिस्वाअ) को फर्म द्वारा आपूर्तित की गई यूएसजी मशीनों का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक था। मिनि, रागास्वामि ने भी सभी मुचिस्वाअ को पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के तहत आवश्यक पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश (जनवरी, अप्रैल तथा अगस्त, 2009) दिए।

राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के भंडार अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2011 से अप्रैल 2012) में निम्नांकित अनियमितताएँ प्रकट हुईं:

1. मिनि, रागास्वामि ने फरवरी-मार्च 2009 में फर्म 'क' से 52 यूएसजी मशीन प्राप्त की (लागत ₹ 1.01 करोड़) जबकि मार्च 2009 तक विभाग के पास केवल 15 चलित वाहन (नैदानिक) उपलब्ध थे।

2. सभी 52 यूएसजी मशीनें, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से अनुमोदित प्रयाशालाओं के निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना क्रय की गई, जैसा कि वांछित था, हालांकि, फर्म 'क' ने मै. नील इंजीनियर्स से रिपोर्ट प्राप्त कर इन्हें 26 मई 2009 को प्रस्तुत किया। चूँकि मै. नील इंजीनियर्स निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने के लिए केवल 14 मई, 2009 तक ही एनएबीएल से प्राधिकृत था, अतः सभी 52 यूएसजी मशीनें जून 2009 में फर्म को लौटा दी गई तथा मै. श्री साई प्रीसिजन इन्सट्यूमेन्टेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, (एनएबीएल से स्वीकृत) नासिक से वांछित प्रमाण पत्र के साथ जुलाई 2009 में वापस प्राप्त की गई। अतः यूएसजी मशीनें मार्च से जुलाई 2009 तक करीब चार माह तक उपयोग में नहीं ली जा सकी।

17. मार्च 2009:15, अप्रैल: 2009: छः, सितम्बर 2009: पाँच, मार्च 2010: पाँच, अगस्त 2010: सात, मार्च 2011: तीन एवं अप्रैल 2011: 11 ।

18.  $1.87000 + 4\% \text{ वैट} = ₹ 1,94,480$

3. चचिड़ में यूएसजी मशीनों को स्थापित करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु बार-बार जारी निर्देशों के बावजूद, केवल 15 मुचिस्वाअ द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत 16 पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए, तदनुसार उन्हें सितम्बर 2009 से जनवरी 2011 के मध्य 16 यूएसजी मशीनें<sup>19</sup> जारी कर दी गईं। नौ यूएसजी मशीनें, जुलाई 2012 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सास्वाके) को जारी की गईं। शेष 27 यूएसजी मशीनें, जुलाई 2009 से भण्डार में पड़ी रही (नवम्बर 2012)।

4. सितम्बर 2009 से जनवरी 2011 के मध्य जारी 16 यूएसजी मशीनों में से केवल चार यूएसजी मशीनें<sup>20</sup> ही उपयोग में ली जा रही थी तथा 12 मशीनें सोनोलोजिस्ट के पदस्थापन के अभाव में काम में नहीं ली जा रही थी। मिनि, राग्रास्वामि ने चचिड़ से सोनोग्राफी सेवाओं का प्रावधान हटाने का निर्णय (जून 2011) लिया ताकि इन्हें निदेशक, जन स्वास्थ्य (जस्वा) से प्रस्ताव मांग कर सास्वाके/जिला अस्पतालों को स्थानान्तरित किया जा सके। एक वर्ष पश्चात, निदेशक (जस्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, ने इन 52 यूएसजी मशीनों को सास्वाके (50) तथा सामान्य अस्पताल (2) को आवंटित कर दिया (जून 2012)। अतिरिक्त निदेशक, अस्पताल प्रशासन ने सभी मुचिस्वाअ को निर्देश (जुलाई, 2012) जारी किए कि इन यूएसजी मशीनों का पंजीकरण पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के तहत सुनिश्चित कर ही, निदेशक, (आरसीएच), जयपुर के भण्डार से यूएसजी मशीन प्राप्त करें।

वित्तीय सलाहकार, राग्रास्वामि ने बताया (मार्च 2012) कि योग्य सोनोलोजिस्टों की अनुपलब्धता के कारण यूएसजी मशीन चचिड़ में संचालित नहीं की जा सकी तथा यूएसजी मशीनों को चचिड़ से हटाने का निर्णय लिया गया। परियोजना निदेशक, राग्रास्वामि ने सूचित किया (नवम्बर 2012) कि मशीनों के आवंटन, उपयोग तथा सोनोलोजिस्टों के पदस्थापन की स्थिति उपलब्ध नहीं है जो दर्शाता है कि विभाग ने न तो मशीनों के पंजीकरण और न ही सोनोलोजिस्टों की नियुक्ति के लिए कोई गम्भीर प्रयास किए।

अतः योग्य मानवशक्ति को सुनिश्चित किये बिना अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीनों का क्रय, तदर्थ योजना तथा समन्वित प्रयास के अभाव को दर्शाता है। उसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.01 करोड़ का अलाभकारी व्यय रहा जिससे लाभार्थी वांछित लाभ/अल्ट्रा सोनोग्राफी सुविधाओं (जन्म सम्बन्धी जाँच तथा वक्ष कैंसर, सर्वाइकिल कैंसर आदि की जाँच) से वंचित रहें।

प्रकरण सरकार को जुलाई 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर, 2012)।

19. मुचिस्वाअ. बीकानेर को दो मशीनें जारी की गयीं।

20. बीकानेर : दो, झालावाड : एक एवं टोंक : एक

### 3.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताएँ

#### वित्त विभाग

#### 3.3.1 पेंशन का सतत् अधिक भुगतान

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जाँच करने में असफल रहने के कारण पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 93.59 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ।

राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट-VI का नियम 9 अनुबन्धित करता है कि कोषाधिकारी, बैंकों द्वारा किए गए भुगतानों की शुद्धता जाँच उसके द्वारा संधारित अभिलेखों से करेगा और इसके बाद अपनी लेखाओं में व्यवहार सम्मिलित करेगा।

पेंशन/परिवार पेंशन के अधिक भुगतान के प्रकरणों का उल्लेख पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल)<sup>21</sup> में किया गया था। जन लेखा समिति (2010-11) ने इसे गम्भीरता से लेते हुए सिफारिश की (फरवरी 2011) कि विभाग को, अधिक/अनियमित भुगतानों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए एवं जन लेखा समिति और प्रधान महालेखाकार विभाग को सूचित करना चाहिए। विभाग ने कोषाधिकारियों को पेंशन का सही भुगतान सुनिश्चित करने हेतु बैंकों के निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए (जून 2011 और जनवरी 2012)।

113 बैंकों एवं 253 कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा किए गए पेंशन भुगतानों के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2011 से मार्च 2012) में प्रकट हुआ कि 278 पेंशनरों को सितम्बर 1997 से फरवरी 2012 के दौरान, राशि ₹ 93.59 लाख की अधिवार्षिकी/पारिवारिक पेंशन का अधिक/अनियमित भुगतान किया

21. वर्ष 1999-2000 का अनुच्छेद 3.7, वर्ष 2002-03 का अनुच्छेद 4.4.1, वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद 4.2.5, वर्ष 2004-05 का अनुच्छेद संख्या 4.4.1, वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद 4.1.3, वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद 4.5.7, वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद 4.4.3 वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद 3.3.2, वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद 3.4.1 एवं वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद 3.3.1

गया जिसमें से राशि ₹ 8.38 लाख की वसूली निम्नानुसार कर कर ली गई थी:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	किया गया अधिक भुगतान		लेखापरीक्षा के आधार पर की गई वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात पारिवारिक पेंशन का कम नहीं किया जाना (राज. सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996 का नियम-62)	158	57.18	20	5.76
2.	आश्रितों द्वारा 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने/ विवाह करने/नियोजन के पश्चात भी पारिवारिक पेंशन बन्द नहीं करना (नियम-67)	01	0.53	-	-
3.	पेंशन लघुकरण (स्थानान्तरण) के पश्चात भी पेंशन को कम नहीं किया जाना (नियम-28)	38	6.65	03	0.75
4.	पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात पेंशन का भुगतान	04	1.79	01	0.38
5.	पेंशनरों को उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान मंहगाई राहत का भुगतान करना (नियम-164)	04	2.92	01	1.49
6.	मंहगाई वेतन का गलत भुगतान करना	20	7.50	-	-
7.	पेंशन एवं मंहगाई राहत का अनुमत्य से अधिक दर पर भुगतान करना	13	3.94	-	-
8.	उपादान भुगतानों से बकाया की वसूली नहीं करना (नियम-92)	37	8.03	-	-
9.	विविध	03	5.05	-	-
	योग	278	93.59	25	8.38

अनियमितताएँ निरन्तर जारी थी क्योंकि वित्त विभाग, कोषाधिकारियों द्वारा पेंशन चैक रजिस्टर, जो कि बैंकों द्वारा किये गये भुगतानों की समवर्ती जांच एवं पेंशन के अधिक भुगतान को रोकने में सहायक हो सकता था, का संधारण करवाने में असफल रहा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2012) कि जुलाई 2012 तक राशि ₹ 39.49 लाख की वसूली कर ली गई है।

### 3.4 शासन की विफलता/दृष्टिचूक

#### पर्यावरण विभाग

##### 3.4.1 निधियों का विपथन/निरर्थक कार्य

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने 2005-12 (2010-11 को छोड़कर) के दौरान प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों पर, जल उपकरण का केवल 25 प्रतिशत (₹ 7.31 करोड़) ही व्यय किया। इसके अतिरिक्त, मानवशक्ति एवं अप्रयोजित निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की प्रगति धीमी रही।

राज्य सरकार ने विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों के क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए 'राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल (राराप्रनिम)' का गठन किया (फरवरी 1975)। जल उपकरण (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1977 की धारा 8 के अनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (केप्रनिम) एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल (राप्रनिम) के संसाधनों के संवर्धन हेतु स्थानीय निकायों, औद्योगिक ईकाईयों इत्यादि से, उनके द्वारा पानी के उपभोग के आधार पर, जल उपकरण उदग्रहण कर, राप्रनिम द्वारा इस प्रकार संग्रहित उपकरण को भारत सरकार (भास) की संचित निधि में जमा कराया जाना था। भास द्वारा, वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय के दिसम्बर 1998 के आदेशानुसार, इस प्रकार जमा किये गये जल उपकरण का राप्रनिम को 80 प्रतिशत तक पुनर्भरण इस शर्त के साथ किया जाना था कि राप्रनिम के स्थापना एवं कार्यालय संचालन पर व्यय, इस प्रकार पुनर्भरित जल उपकरण राशि के 25 प्रतिशत (दिसम्बर 2010 से संशोधित 50 प्रतिशत) से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार पुनर्भरित जल उपकरण राशि का, 2009-10 तक कम से कम 75 प्रतिशत तक और इसके बाद 50 प्रतिशत तक, प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गतिविधियों एवं कार्यक्रमों पर व्यय किया जाना था।

सदस्य सचिव, राराप्रनिम, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2012) एवं इसके बाद संग्रहित सूचनाओं से निम्नलिखित उदग्रहित हुआ:

- भास द्वारा राराप्रनिम को 2005-06 से 2011-12 (2010-11 को छोड़कर जब प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों पर व्यय 50 प्रतिशत था) के दौरान पुनर्भरित ₹ 45.17 करोड़ (परिशिष्ट 3.2) जल उपकरण में से प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम गतिविधियों तथा कार्यक्रमों पर ₹ 29.74 करोड़ व्यय किया जाना था। राराप्रनिम के बजट दस्तावेजों के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि यद्यपि

राराप्रनिम ने, 2005-10 तथा 2011-12 के बजट में, ₹ 54.01 करोड़<sup>22</sup> का प्रावधान किया था, उसने प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों पर केवल ₹ 7.31 करोड़ ही व्यय किया। जबकि विज्ञापन तथा प्रकाशन के अन्तर्गत 80 प्रतिशत, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रयोगशाला व्यय के अन्तर्गत वास्तविक व्यय क्रमशः 10.6 प्रतिशत और सात प्रतिशत रहा। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि भास से 2005-10 तथा 2011-12 के लिए प्राप्त उपकर की सम्पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (उप्र), राराप्रनिम द्वारा, केप्रनिम को यह उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत किया कि निधियाँ उन्हीं योजनाओं पर उपयोजित की गयी जिसके लिए स्वीकृत (कार्यालय व्यय तथा स्थापना) की गई। जबकि, अगस्त 2012 को, राराप्रनिम की सभी गतिविधियों से प्राप्त अधिशेष निधियाँ ₹ 216.78 करोड़<sup>23</sup>, प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गतिविधियों की तैयारियों से समझौता करते हुए, बिना उपयोग राराप्रनिम की मियादी जमाओं और व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी रही।

राज्य सरकार ने सदस्य सचिव, राराप्रनिम के जवाब को पृष्ठांकित करते हुए बताया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2012) कि कार्यालय खर्च तथा स्थापना पर व्यय हमेशा जल उपकर प्राप्ति के 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक रहता था इसलिए भास ने, मण्डल के मई 2006 एवं 2007 के निवेदन पर इसे दिसम्बर 2010 से 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। तदनुसार, 2005-12 के दौरान ₹ 25.66 करोड़ (कुल जल उपकर प्राप्ति ₹ 51.32 करोड़ का 50 प्रतिशत) के विरुद्ध ₹ 22.82 करोड़ का व्यय (₹ 6.03 करोड़ परियोजना व्यय तथा ₹ 16.79 करोड़ पूंजीगत व्यय) किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्थापना तथा कार्यालय व्यय की 50 प्रतिशत सीमा 2010-11 से आगे के लिए लागू थी न कि उससे पूर्व की अवधि पर। वास्तव में, मण्डल ने 2005-06 से 2011-12 (2010-11 के ₹ 5.54 करोड़ छोड़कर) के दौरान ₹ 11.25 करोड़ ही पूंजीगत व्यय (भूमि व भवन, फर्नीचर एवं फिक्चर्स, कम्प्यूटर एवं अन्य) किया जो सीधे प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं था। मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के अनुसार यह व्यय भी उपकर के अन्तर्गत चिन्हित गतिविधियों (स्थापना एवं कार्यालय व्यय, नियंत्रण एवं रोकथाम गतिविधियों एवं कार्यक्रमों) के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया गया।

• दिसम्बर 2009 में, राज्य सरकार ने राराप्रनिम की पुनर्संरचना और सुदृढीकरण हेतु, वायु तथा जल नमूनों के विश्लेषण के लिए आठ<sup>24</sup> नई क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं (क्षेप्र) की स्थापना की स्वीकृति दी। इन क्षेप्र के प्रबंधन के

22. अनुसंधान एवं विकास : ₹ 46.65 करोड़; प्रयोगशाला व्यय : ₹ 4.84 करोड़ तथा विज्ञापन और प्रकाशन : ₹ 2.52 करोड़।

23. कुल अधिशेष प्राप्ति ₹ 216.78 करोड़ का उपकर, सम्मति फीस तथा ब्याज के रूप में मदवार विवरण उपलब्ध नहीं था।

24. बालोतरा (बाडमेर), भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, (अजमेर), पाली तथा सीकर।

लिए 49 पद (तकनीकी स्टाँफ: 41 एवं कनिष्ठ लिपिक सह डाटा एन्ट्री लिपिक : 8) भी स्वीकृत किये । इसके विरुद्ध, मार्च 2010 से जुलाई 2010 के बीच आठ वरिष्ठ वैज्ञानिकों और 27 कनिष्ठ वैज्ञानिकों की पदस्थापना की गयी तथा मार्च 2010 से जून 2012 की अवधि में उनके वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.46 करोड़ खर्च किये गये। राराप्रनिम के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि नई क्षेत्र, अगस्त 2012 तक स्थापित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मण्डल ने क्षेत्र के निर्माण के लिए राजस्थान आवासन मण्डल (राआम), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम (रीको), नगर सुधार न्यास और नगरपालिकाओं द्वारा भूमि आवंटन के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की। पाँच क्षेत्र<sup>25</sup> के लिए राआम/रीको/नगरपालिका/नगर सुधार न्यास द्वारा भूमि का आवंटन अगस्त 2010 से अगस्त 2011 के दौरान किया गया। सदस्य सचिव, राराप्रनिम द्वारा कैमिकल, ग्लासवैयर एवं सामान्य मर्चों के लिए, मार्च 2011 में आमंत्रित की गई निविदाएँ, केवल ग्लासवैयर के लिए जनवरी 2012 में (दस माह बाद) निर्णीत की गई। क्रय प्रक्रिया दो वर्षों से अधिक समय में पूर्ण नहीं की गयी एवं जून 2012 तक कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया गया। इस प्रकार, आधारभूत संरचना की स्थापना एवं स्टाँफ की नियुक्ति जैसी अन्य गतिविधियों को समक्रमिक नहीं किया गया। प्रयोगशाला भवनों एवं उपकरणों की उपलब्धता के बिना स्टाँफ की पदस्थापना दोषपूर्ण आयोजना को इंगित करती है जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2010 से जून 2012 के दौरान मानवशक्ति एवं उनके वेतन भत्तों पर व्यय (₹ 1.46 करोड़) निरर्थक रहा।

राज्य सरकार ने सदस्य सचिव, राराप्रनिम के जवाब को पृष्ठांकित कर बताया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2012) कि तकनीकी स्टाँफ की सेवाओं का उपयोग संबंधित क्षेत्र पर जाँच नमूना संग्रहण एवं उद्योगों के निरीक्षण में लिया जा रहा था। जवाब इस दृष्टि से स्वीकार्य नहीं था कि नई प्रयोगशालाओं पर पदस्थापित तकनीकी स्टाँफ की सेवाओं का उपयोग ऐसे जाँच नमूनों के संग्रहण के लिये लिया गया जिनको जाँच के लिए पुरानी प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा था, जो नई प्रयोगशाला में स्टाँफ पदस्थापना का उद्देश्य नहीं था क्योंकि नई क्षेत्र पर नमूनों की जाँच स्वयं उनके द्वारा करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, दो वर्षों से अधिक समय उपरान्त भी नई क्षेत्र के भवनों को पूर्ण नहीं किया गया तथा आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों से सुसज्जित नहीं किया गया।

इस प्रकार, तथ्य यह रहे कि विस्तृत कार्य आयोजना की अनुपस्थिति में, राराप्रनिम ने 2005-12 (2010-11 को छोड़कर) के दौरान प्रदूषण नियन्त्रण गतिविधियों पर जल उपकरण का केवल 25 प्रतिशत (₹7.31 करोड़ ) ही व्यय किया। साथ ही, मानवशक्ति एवं अप्रयोजित निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की प्रगति धीमी रही ।

25 बालोतरा (बाडमेर), भरतपुर, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़ (अजमेर), तथा सीकर।

श्रम विभाग

3.4.2 यूनिसेफ की सहायता का लाभ नहीं उठाना

विभाग की निष्क्रियता के कारण ₹ 1.03 करोड़ की यूनिसेफ सहायता का लाभ नहीं उठाया जा सका जिससे उदयपुर के सीमान्त खण्डों में बच्चों के अवैध व्यापार उन्मूलन का यथार्थ उद्देश्य विफल रहा।

परियोजना निदेशक, बाल श्रम परियोजना समिति ने उदयपुर जिले के सीमान्त खण्डों से, गुजरात के बीटी कॉटन बीज उत्पादन खेतों में बाल मजदूरी, विशेषतया बालकों के अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए, बाल श्रम विद्यालय की स्थापना पर ₹ 1.52 करोड़ की एक परियोजना, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भेजी (जुलाई 2010)। क्योंकि श्रम विभाग के पास बजट उपलब्ध नहीं था इसलिये श्रम आयुक्त राजस्थान, जयपुर ने यह परियोजना, स्वीकृति हेतु परियोजना अधिकारी, यूनिसेफ, जयपुर को अग्रेषित की (जुलाई 2010)। तदनुसार, यूनिसेफ (राजस्थान फील्ड ऑफिस) ने एक वर्ष की अवधि के लिए परियोजना को सहायता की सहमति दी एवं अंततः एक वर्ष के लिए ₹ 1.03 करोड़<sup>26</sup> एवं तीन माह की अवधि (दिसम्बर 2010 से फरवरी 2011) के लिए ₹ 31.38 लाख अनुमोदित किया (नवम्बर 2010)। यूनिसेफ ने प्रारम्भिक राशि ₹ 11.59 लाख इस शर्त के साथ जारी की (दिसम्बर 2010) कि शेष राशि फरवरी 2011 में जारी की जायेगी तथा तीन माहों के लिए आगामी किस्त, निर्धारित प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता के आधार पर जारी की जायेगी। परियोजना का क्रियान्वयन उदयपुर जिले में श्रम विभाग द्वारा, जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में किया जाना था। परियोजना गतिविधियों में अन्य बातों के साथ, बाल श्रम से नुकसान के संबंध में जागरूकता में वृद्धि, परिवारों में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ एवं शिक्षा का महत्व, खण्ड एवं जिला स्तर पर बाल सुरक्षा तन्त्र का विकास, दूरस्थ गाँवों से विद्यालय तक बच्चों की पहुंच को बढ़ावा और मजदूरी से छुड़ाये गये बच्चों के पुनर्वास मानको का सृजन, शामिल था।

26. बाल श्रम के विरुद्ध सामुदायिक कार्यवाही के लिए सामाजिक गतिशीलता (₹ 31.20 लाख); बाल सुरक्षा से संबंधित क्षमता विकास प्रकरण (₹ 10.05 लाख); बाल सुरक्षा संरचना का सृजन और सुदृढीकरण (₹ 4.55 लाख); योजना के साथ परिवारों को जोड़ना (₹ 7.50 लाख); बाल श्रम से छुड़ाये गये बच्चों के पुनर्वास को समर्थन (₹ 12 लाख); दक्षता विकास मानदेय (₹ 3.30 लाख); गुणवत्ता शिक्षा की उपलब्धता में वृद्धि (₹ 3.33 लाख) तथा परियोजना प्रबंधन एवं अनुश्रवण (₹ 30.93 लाख)।



श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के लेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2012) में पाया गया कि श्रम आयुक्त ने जिला कलेक्टर उदयपुर को ₹ 11.59 लाख प्रेषित (18 मार्च 2011) किये। तदुपरान्त, जिला कलेक्टर उदयपुर को उपरोक्त राशि लौटाने हेतु (अप्रैल 2011) निवेदन किया क्योंकि संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर को, उनकी देखरेख में परियोजना क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तदनुसार, जिला कलेक्टर से निधि वापस प्राप्त (अप्रैल 2011) होने पर अतिरिक्त श्रम आयुक्त द्वारा, यह राशि संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर को उपलब्ध करवाई गयी (मई 2011)। यह दर्शाता है कि यूनिसेफ द्वारा दिसम्बर 2010 में जारी की गई ₹ 11.59 लाख की निधि, जो तीन माह अर्थात् 6 मार्च 2011 तक समायोजित की जानी थी, वास्तव में संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर को देरी (मई 2011) से उपलब्ध कराई गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा बच्चों के अवैध व्यापार के संबंध में सर्वे नहीं करवाया गया तथा बच्चों के अवैध व्यापार में कमी लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। अगस्त 2011 तक, विज्ञापन एवं प्रशिक्षण पर केवल ₹ 0.50 लाख<sup>27</sup> व्यय किये गये। अनुपयोजित राशि ₹ 11.09 लाख संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त द्वारा लौटा दी गई (अगस्त 2011) और अगस्त 2011 से, विभाग के निजी निक्षेप खाते में पडी रही। जो यह पुष्टि करता है कि बच्चों के अवैध व्यापार की समस्या के उचित मूल्यांकन की कोई कार्य योजना नहीं बनाई गयी ताकि यूनिसेफ द्वारा दी गई सहायता का उपयोग किया जा सके।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2012) कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका क्योंकि यूनिसेफ ने ₹ 11.59 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं इसके उपलब्ध करवाने के केवल डेढ माह बाद ही अनुपयोजित राशि वापस करने की मांग की। अतः शेष राशि यूनिसेफ को प्रेषित कर दी गई। उत्तर तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है क्योंकि यूनिसेफ ने, श्रम आयुक्त जयपुर को ₹ 11.59 लाख, दिसम्बर 2010 में इस शर्त के साथ उपलब्ध करवाये थे कि शेष निधि तब ही जारी की जायेगी जब सहायता का उपयोग तीन माह में अर्थात् 6 मार्च 2011 तक कर लिया जायेगा। जबकि श्रम आयुक्त, जयपुर ने राशि स्वयं के पास मार्च तक रखी तथा उसे संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर को मई 2011 में उपलब्ध करवाई।

इस प्रकार, विभाग की निष्क्रियता के कारण यूनिसेफ से सहायता ₹ 1.03 करोड़ का लाभ नहीं उठाया जा सका जिससे उदयपुर के सीमान्त खण्डों में बच्चों के अवैध व्यापार उन्मूलन का यथार्थ उद्देश्य विफल रहा।

---

27. विज्ञापन : ₹ 0.06 लाख, प्रशिक्षण : ₹ 0.43 लाख एवं फोटो कोपी और स्टेशनरी : ₹ 0.01 लाख।

### 3.4.3 राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का कार्य चालन

#### 3.4.3.1 प्रस्तावना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के नियोजन एवं कार्य दशाओं को विनियमित करने तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी उपार्यों का प्रावधान करने व जाँच करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा (अगस्त 1996) 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का अधिनियम) अधिनियम 1996', पारित किया गया। इस अधिनियम में अन्य बातों के अलावा दी गयी शक्तियों के क्रियान्वयन हेतु 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' का गठन करने का प्रावधान था। केन्द्र सरकार द्वारा (नवम्बर 1998) 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त) केन्द्रीय विनियम 1998' बनाया गया।

श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा (30 अप्रैल 2009), अधिनियम की धारा 40 व 62 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त) विनियम 2009' बनाये एवं अधिसूचित किए गए व अधिनियम एवं नियमों को लागू करने के लिये अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत 'राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार बोर्ड (बोर्ड)' का गठन (27 जुलाई 2009) किया गया।

अध्यक्ष के रूप में श्रम मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, श्रम विभाग, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग व अधिनियम की धारा 42(2) के अन्तर्गत नामांकित मुख्य निरीक्षक सहित निर्माण नियोजकों व निर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधि (प्रत्येक तीन) व भारत सरकार के एक प्रतिनिधि को शामिल करते हुए बोर्ड का गठन किया गया। श्रम आयुक्त को बोर्ड का सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया एवं सचिव की सहायता हेतु एक संयुक्त श्रम आयुक्त को संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

बोर्ड द्वारा इसके वैधानिक कर्तव्यों के प्रभावी एवं पर्याप्त निर्वहन के आंकलन हेतु, बोर्ड कार्यालय जयपुर के वर्ष 2010-12 की अवधि के लेखों की लेखापरीक्षा (मई/जुलाई 2012) की गई।

#### 3.4.3.2 नियमों को तैयार करने में विलम्ब

नियमों को बनाने में लगभग नौ वर्ष का विलम्ब।

नियम तैयार करने की प्रक्रिया की जांच में यह पाया गया कि श्रम विभाग ने राज्य नियमों का पहला मसौदा वर्ष 2000 में तैयार किया जबकि नियम 2009, को अंतिम रूप देने का मामला विभिन्न विभागों के बीच वर्ष 2000-01 से 2008-09 तक, नीचे दी गई तालिका के अनुसार गतिमान रहा तथा नियमों को अन्ततः नौ वर्ष पश्चात् अप्रैल 2009 में अधिसूचित किया गया।

तालिका 1: विभिन्न विभागों द्वारा नियम 2009 तैयार करने में लिया गया समय

क्र.सं.	विभाग का नाम	लम्बित रहने की दिनांक	लम्बित अवधि	लिया गया कुल समय
1.	श्रम विभाग	1/2000 से 7/2001 8/2001 से 11/2002 4/2003 से 11/2003 5/2004 से 2/2005 10/2005 से 12/2005 6/2006 से 10/2006	1 वर्ष 7 माह 1 वर्ष 4 माह 8 माह 10 माह 3 माह 5 माह	5 वर्ष 1 माह
2.	विधि विभाग	12/2002 से 3/2003 9/2008 से 1/2009	4 माह 5 माह	9 माह
3.	वित्त विभाग	12/2003 से 4/2004 3/2005 से 9/2005 11/2006 से 8/2008	5 माह 7 माह 1 वर्ष 10 माह	2 वर्ष 10 माह
4.	मुख्य सचिव	1/2006 से 5/2006	-	5 माह
5.	विनियम अधिसूचित किया	4/2009		
		योग		9 वर्ष 1 माह

राज्य सरकार ने विलम्ब स्वीकार (अक्टूबर 2012) करते हुये कहा कि नियमों का अंतिम मसौदा श्रम, विधि और वित्त विभाग द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद अप्रैल 2009 में अधिसूचित किया गया। तथापि, इस देरी की वजह से अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को वर्ष 2009-10 तक लागू नहीं किया जा सका।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न एवं राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित मामलों पर सलाह देने के लिए 'राज्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार सलाहकार समिति (राज्य सलाहकार समिति)', का गठन किया जाना था। श्रम विभाग ने राज्य सलाहकार समिति, जिसमें श्रम आयुक्त अध्यक्ष, दो विधायक, केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य, मुख्य निरीक्षक, श्रम एवं नियोक्ताओं, कर्मकारों, वास्तुकार संघों, अभियन्ताओं व बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि (सात से 11 तक) थे, का गठन (दिसम्बर 1999) किया।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि राज्य सलाहकार समिति द्वारा न तो कोई बैठक बुलाई गई और न ही इसको कोई मामला राज्य सरकार द्वारा भेजा गया (सितम्बर 2012)। राज्य सरकार ने स्वीकार (नवम्बर 2012) किया कि राज्य के नियम जुलाई 2009 तक नहीं बनाये जाने के कारण इस संबंध में कोई मुद्दा समिति को नहीं भेजा गया और न ही समिति की कोई बैठक आयोजित की जा सकी।

तथापि यह विदित हुआ कि राज्य सलाहकार समिति की जुलाई 2009 के बाद भी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई (नवम्बर 2012)।

### 3.4.3.3 मानव शक्ति प्रबन्धन

स्टॉफ का प्रतिनियुक्ति आधार पर अपर्याप्त पदस्थापन।

नियम 2009 के नियम 41(2) के अन्तर्गत बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, इस अधिनियम के तहत सौंपे गये कार्यों के कुशल निर्वहन हेतु, जैसा भी उचित हो, सचिव एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

- बोर्ड की स्थापना (जुलाई 2009) के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी बोर्ड के सुचारु कार्य संचालन के लिये (मुख्य कार्यालय जयपुर), श्रम विभाग ने 11 पदों<sup>28</sup> की, श्रम विभाग से प्रतिनियुक्ति आधार पर, स्वीकृति (अक्टूबर 2011) जारी की। लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि केवल लेखाधिकारी का एक पद भरा गया था तथा शेष 10 पद खाली थे (31 मार्च 2012)। राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि पाँच<sup>29</sup> और पद भर लिये गये हैं।
- नियम 38 (नियम 2009) के अन्तर्गत बोर्ड, अधिनियम की कल्याणकारी योजनाओं कि क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार की अनुमति से, तहसील व जिला स्तर पर, जैसी आवश्यकता हो, कार्यालय खोलेगा। यह दृष्टिगत हुआ कि बोर्ड ने तहसील व जिला स्तर पर अपने कार्यालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किये व जिला स्तर पर श्रम विभाग में कार्यरत अधिकारी ही अपने मूल कार्य के साथ-साथ बोर्ड का कार्य सम्पादित कर रहे थे। राज्य सरकार ने स्वीकार (नवम्बर 2012) किया कि तहसील व जिला स्तर पर कार्यालय तभी खोले जायेंगे जब लाभार्थियों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। सरकार का जबाब उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि राज्य सरकार ने आगे वर्णित अन्य अनुच्छेद 3.4.3.7 के उत्तर में बताया कि वर्ष 2012-13 में व्यापक प्रचार-प्रसार से लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- श्रम विभाग ने जुलाई 2009 व जनवरी 2010 में अधिसूचना जारी कर, श्रम विभाग के 127 अधिकारियों/ कर्मचारियों<sup>30</sup> को उनके नियमित प्रभार के साथ-साथ बोर्ड से संबंधित पंजीकरण, निर्धारण, संग्रहण, निरीक्षण एवं अपील इत्यादि कार्य दिये। लेखापरीक्षा को दृष्टिगत हुआ (जुलाई-अगस्त

28. सहायक श्रम आयुक्त: 1, लेखाधिकारी: 1, लेखाकार: 1, श्रम निरीक्षक: 2, निजी सहायक:1, वरिष्ठ लिपिक: 1, कनिष्ठ लिपिक: 2, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: 2 ।

29. सहायक श्रम आयुक्त: एक, 11 जून 2012 से ; लेखाकार: एक, अतिरिक्त चार्ज; श्रम निरीक्षक: दो; 25 जुलाई 2012 से ; कनिष्ठ लिपिक : दो पूर्णकालीन।

30. अतिरिक्त श्रम आयुक्त: 3; संयुक्त श्रम आयुक्त (संभागीय): 9; उप श्रम आयुक्त : 5; सहायक श्रम आयुक्त: 5; श्रम कल्याण अधिकारी: 14 व श्रम निरीक्षक: 91 ।

2012) कि इनमें से 60 पद रिक्त थे। साथ ही 13 जिलों<sup>31</sup> में श्रम निरीक्षकों के समस्त 18 पद रिक्त थे।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कि श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा बोर्ड का कार्य सम्पादित किया जा रहा है, क्योंकि वित्त विभाग ने रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति देने के बजाय इन पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने की राय दी एवं उसी के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

### बोर्ड का कार्यचालन

#### 3.4.3.4 नियोक्ताओं का पंजीकरण

दो वर्षों में (2010-12) मात्र 1192 नियोक्ताओं का ही पंजीकरण किया गया।

अधिनियम का नियम 7 निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक नियोजक जो किसी संस्थान का निर्माण कार्य<sup>32</sup> करवा रहा है, कार्य शुरू करने के 60 दिनों के भीतर जिले के पंजीकरण अधिकारी के पास नियोजक एवं श्रमिकों के पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा। नियम, 2009 के नियम 17 व 19 संस्थानों/नियोक्ताओं के पंजीकरण की शर्तें व विधियां निर्दिष्ट करते हैं।

- जिला श्रम कार्यालयों से प्राप्त किये गये आंकड़ों से लेखा परीक्षा को यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2010-12 में 33 जिलों में 1192<sup>33</sup> नियोक्ता ही पंजीकृत थे व 443 नियोक्ता अपंजीकृत थे (परिशिष्ट 3.3)। इस सूचना का विश्लेषण करने पर दृष्टिगत हुआ कि 31 मार्च 2012 तक जयपुर, उदयपुर और अजमेर जिलों में पंजीकृत व अपंजीकृत नियोक्ता क्रमशः 197, 83, 17 थे जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम जयपुर, उदयपुर व अजमेर द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार, इनके द्वारा मार्च 2012 को क्रमशः 409, 261, 35 नियोक्ताओं को<sup>34</sup> भवन निर्माण की स्वीकृतियाँ जारी की गयी थी।

- लेखापरीक्षा को यह भी दृष्टिगत हुआ कि बोर्ड ने राज्य में किये गये निर्माण कार्यों का कोई समेकित डाटाबेस नहीं बनाया है। इसके अलावा, संभागीय श्रम आयुक्त जयपुर ने, जयपुर विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों के विवरण की मांग (दिसम्बर 2010 व जनवरी 2011) की थी परन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार श्रम कार्यालयों में उपलब्ध आंकड़ों को, जयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद से प्राप्त आंकड़ों से नहीं मिलाया गया था एवं नियोक्ताओं के पंजीकरण सुनिश्चित की जाने की निर्धारित प्रणाली के कार्यान्वयन के अभाव में ये आंकड़े व्यापक नहीं थे।

31. बांसवाड़ा, बालोतरा (बाड़मेर), चूरू, दौसा, इंगरपुर, धौलपुर, जालौर, जैसलमेर, झुन्झुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही व श्री गंगानगर।

32. ऐसे निर्माण की कुल लागत ₹ 10 लाख से ज्यादा हो।

33. सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करते हुए : 230; निजी 915 व अन्य 47 ।

34. विभाग/निकाय/व्यक्तिगत जो भवन निर्माण में श्रमिकों से कार्य करवाते हैं।

राज्य सरकार ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (नवम्बर 2012) कि निर्माण कार्यों में लिप्त प्रतिष्ठानों की अत्यधिक संख्या व व्यापक प्रकृति के कारण व जन शक्ति के अभाव के कारण, सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकरण संभव नहीं था तथापि, शहरी विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग को अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण व उपकर संग्रहण सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। उक्त तथ्य यह इंगित करता है कि नियोक्ताओं के पंजीकरण हेतु कोई तंत्र तैयार नहीं किया गया।

बोर्ड के द्वारा  
अपंजीकृत  
नियोक्ताओं के  
विरुद्ध कोई कार्यवाही  
नहीं की गयी।

- बोर्ड ने अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जिसके कारण दोषी नियोक्ताओं से दंड की राशि व उपकर संग्रह नहीं हो सका एवं अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा सकी। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2012) किया एवं बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत दंडात्मक कार्यवाही श्रम विभाग के मुख्य निरीक्षक द्वारा की जानी है। तथ्य यह रहा कि दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई।

#### 3.4.3.5 लाभार्थियों का पंजीकरण

दो वर्षों (2010-12)  
में मात्र 82,913  
लाभार्थियों का  
पंजीकरण होना।

अधिनियम की धारा 11 व 12 के प्रावधानों के अनुसार निर्माण श्रमिक जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य हो तथा जो पिछले 12 माह में निर्माण कार्यों में 90 दिवस का कार्य कर चुका हो, वह लाभार्थी के रूप में पंजीयन हेतु पात्र होगा, एवं बोर्ड के कोष से लाभ पाने का हकदार होगा। यह स्पष्ट करता है कि लाभार्थी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक ही बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को, संबंधित जिला श्रम अधिकारियों द्वारा, फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया जाना होगा।

- नीचे दी गई तालिका में लाभार्थियों के पंजीयन के लक्ष्य व उपलब्धि का विवरण यह इंगित करता है कि वर्ष 2010-12 में 12.73 व 14.68 प्रतिशत ही लक्ष्यों की प्राप्ति हुई थी।

तालिका 2: पंजीकरण के लक्ष्य व प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	पंजीयन हेतु निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	निर्धारित लक्ष्य से कम उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1.	2010-11	1,51,000	19,222	1,31,778	12.73
2.	2011-12	4,34,000	63,691	3,70,309	14.68
	योग	5,85,000	82,913	5,02,087	

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

• यह दृष्टिगत हुआ कि विज्ञापन/ प्रचार-प्रसार हेतु ₹ 26.50 लाख व ₹ 2.90 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया था जिसमें से बोर्ड ने विज्ञापन/प्रचार-प्रसार पर ₹ 0.87 लाख (0.03 प्रतिशत) वर्ष 2010-11 व ₹ 48.20 लाख (16.62 प्रतिशत) वर्ष 2011-12 में व्यय किये तथा शेष राशि बोर्ड के पास रही।

• श्रमिकों के पंजीयन हेतु प्राप्त हुए आवेदन पत्रों व उन पर की गई कार्यवाही के संबंध में बोर्ड से जानकारी मांगी गयी (जून 2012)। संयुक्त सचिव, बोर्ड ने अपने उत्तर (जुलाई 2012) में बताया कि लाभार्थियों के पंजीयन का कार्य अधीनस्थ जिला कार्यालयों द्वारा किया जाता है। यह प्रतिबिम्बित करता है कि बोर्ड स्तर पर कोई आंकड़े संधारित नहीं किये जाते हैं। जिला कार्यालयों से भी सूचना मंगवाई गई (अक्टूबर 2012) जो प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने स्वीकार किया (नवम्बर 2012) कि मानव शक्ति के अभाव में लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

#### 3.4.3.6 उपकर का निर्धारण, संग्रहण और वितरण

बोर्ड के संसाधनों में अभिवृद्धि के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार द्वारा नियोक्ताओं द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों की लागत मूल्य पर उपकर लगाये जाने व संग्रहण के लिये, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 बनाया गया (अगस्त 1996) एवं तदनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 1998 (उपकर नियम 1998) बनाये गये (मार्च 1998)।

उपकर नियम 1998 के नियम 4 व 5 के प्रावधानों के अनुसार उपकर की राशि का आरोपण एवं संग्रहण, नियोक्ता द्वारा करवाये गये निर्माण की लागत का दो प्रतिशत से अधिक एवं एक प्रतिशत से कम नहीं होगा व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय और उपकर संग्रहक द्वारा संग्रहीत उपकर की राशि संग्रहण की लागत (संग्रहित उपकर की कुल राशि के एक प्रतिशत से अधिक नहीं) घटाकर बोर्ड को संग्रहण के तीस दिवस के भीतर भेजेंगे।

#### उपकर संग्रहण नहीं करना

राज्य सरकार की एजेन्सियों से ₹ 2.77 करोड़ के उपकर का संग्रहण नहीं किया जाना।

श्रम विभाग ने (जुलाई 2010) सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये व निर्देशित किया कि उनके अन्तर्गत कार्य कर रहे संवेदकों के निर्माण कार्य के भुगतान बिलों से, परियोजना की कुल निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से, उपकर वसूल कर राज्य के राजस्व मद में जमा करें। उपकर आरोपण व संग्रहण 27 जुलाई 2009<sup>35</sup> से लागू किया गया। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

35. दिनांक जिससे कि बोर्ड अस्तित्व में आया।

विभाग (पीएचईडी) के 25 खण्ड (अवधि जुलाई 2009 से दिसम्बर 2011), स्थानीय निकाय विभाग के अधीन छः स्थानीय निकाय<sup>36</sup> व जल प्रबन्धन विभाग के 12 खण्डों (अवधि अगस्त 2009 से मार्च 2012) के चल/अंतिम बिलों की समीक्षा में पाया गया कि उपकर की राशि ₹ 2.04 करोड़, ₹ 0.15 करोड़ व ₹ 0.58 करोड़ (कुल ₹ 2.77 करोड़) संबंधित विभागों द्वारा, अपने अधीन कार्यरत संवेदको से वसूल नहीं की गई जो इंगित करता है कि राज्य सरकार के अभिकरणों ने भी उपकर संग्रहण हेतु अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया।

इससे यह दृष्टिगत होता है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भी उपकर की वसूली व संग्रहण पर उचित अनुश्रवण नहीं था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर सूचित किया (नवम्बर 2012) कि अब सभी विभागों को, अनिवार्य रूप से एक प्रतिशत की दर से उपकर वसूली हेतु, निर्देशित किया जा चुका है।

#### उपकर का निर्धारित लक्ष्य से कम संग्रहण

उपकर संग्रहण निर्धारित लक्ष्य से 30 प्रतिशत कम होना।

• बोर्ड ने 2010-11 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे तथापि, वर्ष 2011-12 के लिए उपकर संग्रहण हेतु ₹ 219 करोड़ के जिलावार लक्ष्य निर्धारित किये एवं संभागीय अधिकारियों को अवगत करवा दिये गये। इसके विरुद्ध वर्ष 2011-12 में उपकर ₹ 154.01 करोड़ (70 प्रतिशत) संग्रहीत हुआ जिसमें से ₹ 22.26 करोड़, 440 निजी व अन्य नियोक्ताओं से वसूल किया गया था। उपकर संग्रहण के लक्ष्य प्राप्त नहीं करने का मुख्य कारण बोर्ड की, नियोक्ताओं के पंजीकरण को सुनिश्चित करने एवं अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध उनके संस्थानों का निरीक्षण व उपकर नियम 1998 के नियम 12 व अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत शास्ति लगाने की कार्यवाही करने में, विफलता रही। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर सूचित किया (नवम्बर 2012) कि उपकर के कम संग्रहण का कारण सभी संस्थानों का पंजीकरण न होकर मानव शक्ति का अभाव रहा। आगे, यह कहा कि किसी भी दोषी मामले में मुख्य निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। तथ्य यह रहा कि उपकर का संग्रहण निर्धारित लक्ष्य से 30 प्रतिशत कम था।

36. नगर निगम, कोटा; नगर पालिका, निम्बाहेडा; नगर परिषद, बांसवाड़ा; नगर पालिका, रानी (पाली); नगर परिषद, पाली; एवं नगर पालिका, माउन्ट आबू (सिरोही)।



### राज्य सरकार द्वारा संग्रहित उपकर की राशि का बोर्ड को स्थानान्तरण का अभाव

नियोक्ताओं से वसूल की गई उपकर की राशि ₹ 229.03 करोड़ राज्य की समेकित निधि में जमा रहना।

उपकर नियम 1998 के नियम 5(3) के अनुसार संग्रहित उपकर की राशि उसके संग्रहण से 30 दिन के अन्दर बोर्ड को स्थानान्तरित की जानी थी। लेखा परीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि उपकर राशि ₹ 239.53 करोड़, वर्ष 2010-11 (₹ 85.52 करोड़) व 2011-12 (₹ 154.01 करोड़) के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा थी। वर्ष 2009-10 में उपकर की राशि संग्रहित नहीं की गई थी। उपरोक्त में से केवल ₹ 10.50 करोड़ (₹ 0.50 करोड़ जून 2010 व ₹ 10 करोड़ जुलाई 2011) ही, राज्य राजस्व मद से, राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को स्थानान्तरित किये गये। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत ₹ 229.03 करोड़ (मार्च 2012) राज्य सरकार के पास रहे।

राज्य सरकार ने पुष्टि की (नवम्बर 2012) कि उपकर राशि का राज्य के राजस्व मद में संग्रहण व बोर्ड के निजी निक्षेप खाते में स्थानान्तरण नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत किया जा रहा था। साथ ही यह भी सूचित किया कि शेष राशि ₹ 229.03 करोड़ बोर्ड को स्थानान्तरित की जा चुकी है।

### लाभार्थियों की अधूरी जानकारी उपलब्ध करवाना

नियोक्ता लाभार्थियों का अपूर्ण विवरण प्रस्तुत कर रहे थे।

विनियम के नियम 46(1) व (2) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता, इन नियमों के लागू होने के 15 दिनों के भीतर व प्रत्येक माह की 15 तारीख से पूर्व बोर्ड के सचिव, को फार्म IX व X में पंजीकरण योग्य कर्मकारों का विवरण, जिसमें वेतन, भत्ते, मुफ्त भोजन आपूर्ति पर खर्च राशि, यदि है, व कर्मकारों का विवरण जिन्होंने पिछले माह कार्य छोड़ दिया, एक समेकित विवरणी में प्रस्तुत करेगा।

भारत सरकार के अधिनियम 1996 की धारा 50 के अनुसार प्रत्येक विफलता पर ₹ 1000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है व लगातार विफलता पर ₹ 100 प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा। जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ) यह जुर्माना लगा सकेंगे।

वर्ष 2009-12 की लेखा परीक्षा के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि किसी भी नियोक्ता ने निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत नहीं की। बोर्ड ने अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु नोटिस जारी एवं नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की। इसका परिणाम श्रमिकों के आंकड़ों की अनुपलब्धता तथा लाभार्थियों का पंजीकरण व उपकर/फीस का भुगतान न होना रहा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर/नवम्बर 2012) एवं बताया कि नियोक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया कि

लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु नियोक्ताओं के कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है।

### प्रपत्र-1 में उपलब्ध करायी गई सूचना के मूल्यांकन का अभाव

नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाना।

उपकर नियम 1998 के नियम 6, के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता कार्य शुरू करने या उपकर के भुगतान, जो भी मामला हो, के 30 दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में, कार्य की अनुमानित लागत व उपकर की जमा राशि सहित सूचना प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त का नियम 7, निर्धारण अधिकारी को उक्त सूचना का आंकलन करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।

यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2010-12 में पांच निर्धारण अधिकारियों<sup>37</sup> ने 39 निर्धारित प्रपत्र प्राप्त किये। तथापि, सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त जयपुर व कोटा ने इनमें से चार प्रपत्रों का मूल्यांकन किया एवं कम जमा की गयी उपकर राशि ₹ 32.41 लाख को निर्दिष्ट किया। जयपुर संभाग द्वारा मूल्यांकन की राशि (₹ 3.57 लाख) वसूली जा चुकी है जबकि कोटा संभाग की वसूली (₹ 28.84 लाख) किया जाना बाकी (सितम्बर 2012) है।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार कर सूचित किया (अक्टूबर/नवम्बर 2012) गया कि इस संबंध में आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं और उपकर नियम 1998 के प्रावधानों को लागू करने हेतु निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।

### परिसर का निरीक्षण

नियोक्ताओं के परिसर का निरीक्षण नहीं किया गया।

प्रमुख शासन सचिव, श्रम विभाग ने श्रम निरीक्षकों को निर्देश जारी किये (सितम्बर 2011) कि वे जमा उपकर/निर्माण कार्य/लाभार्थियों व नियोक्ताओं के पंजीकरण का रिकॉर्ड इत्यादि की जांच करने हेतु प्रत्येक माह नियोक्ताओं के परिसर के 20 निरीक्षण करेंगे। समीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुआ कि श्रम निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2011-12 में सभी जिलों (सिवाय झालावाड़, उदयपुर व चित्तौड़गढ़) में किये गये निरीक्षणों की संख्या शून्य से 18 के मध्य थी। निरीक्षणों से प्राप्त परिणाम व की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला श्रम अधिकारियों के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर सूचित किया कि (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कम निरीक्षणों का कारण श्रम निरीक्षकों का अभाव रहा तथापि, अधीनस्थ कार्यालयों को नियमानुसार निरीक्षण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

37. भीलवाड़ा: 16, बारां: 1, झालावाड़: 3, जयपुर: 3 और कोटा: 16

**पंजीकरण शुल्क राशि व अंशदान की राशि का कल्याण कोष में जमा नहीं कराया जाना**

प्राप्त पंजीकरण शुल्क राशि एवं अंशदान राशि का कल्याण कोष में जमा नहीं कराया जाना।

अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत बोर्ड को 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण कोष' का गठन करना होगा जिसमें, बोर्ड को प्राप्त अनुदान और ऋण, लाभार्थियों का अंशदान व अन्य स्रोतों से प्राप्तियों को जमा करना होगा। इस कोष का उपयोग बोर्ड द्वारा, अधिनियम 1996 की धारा 22<sup>38</sup> के अन्तर्गत किये गये कार्यों एवं सदस्यों अधिकारियों व बोर्ड के अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों व अन्य प्रतिफल पर करना होगा। निर्माण श्रमिकों को बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में पंजीकरण हेतु ₹ 25 जमा करवाने होंगे एवं जैसाकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (जून 2010) किया गया है, प्रतिमाह ₹ 5 की दर से (₹ 60 प्रतिवर्ष), सदस्यता बनाये रखने हेतु, कल्याण कोष में जमा करवाना होगा।

तदनुसार, जनवरी 2010 में श्रमिक कल्याण कोष का गठन किया गया व इसके लिए बैंक में एक खाता खोला गया।

मण्डल के सचिव ने सभी जिला श्रम अधिकारियों को विलम्ब से (जून 2011) निर्देश जारी किये कि लाभार्थियों से प्राप्त अंशदान की राशि ₹ 60 प्रति लाभार्थी, प्रति वर्ष, बोर्ड के बैंक खाते में जमा कराई जाये। तथापि, पंजीकरण की राशि को बोर्ड के खाते में जमा कराने के कोई निर्देश नहीं दिये गये।

यह दृष्टिगत हुआ कि जिला श्रम अधिकारियों ने वर्ष 2010-12 में, लाभार्थियों के पंजीकरण शुल्क, नियोक्ताओं के पंजीकरण शुल्क एवं लाभार्थियों का वार्षिक अंशदान (जून 2011 तक) राशि ₹ 3.62 करोड़<sup>39</sup> प्राप्त किये। तथापि, प्राप्तियों को कल्याण कोष में जमा कराने के बजाय, चालान द्वारा अनियमित रूप से राज्य की समेकित निधि में जमा कराया गया।

राज्य सरकार ने (अक्टूबर/नवम्बर 2012) सूचित किया कि नीतिगत निर्णय के अनुसार पंजीकरण शुल्क राज्य की समेकित निधि (मद 0230-800-05) में व लाभार्थियों के अंशदान को बोर्ड के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। तथापि, लाभार्थियों का अंशदान जो जून 2011 से पहले समेकित निधि में जमा था, के स्थानान्तरण हेतु की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया।

38. दुर्घटना में सहायता, पेंशन, ऋण व अग्रिम, समूह बीमा, बच्चों की शिक्षा के लिये सहायता, चिकित्सा व्यय, प्रसूति लाभ और अन्य कल्याणकारी उपाय जैसाकि निर्धारित किया गया हो ।

39. वर्ष 2010-11 (₹ 1.59 करोड़) एवं 2011-12 (₹ 2.03 करोड़) में नियोक्ताओं एवं लाभार्थियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क एवं लाभार्थियों का अंशदान बजट शीर्ष 0230-800-05 के अन्तर्गत दिखाया गया ।

3.4.3.7 कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

योजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति।

विनियमों के नियम 57 व 58 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में बोर्ड ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु 10 योजनाओं<sup>40</sup> की घोषणा (2010-12) की।

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार, अधिनियम की धारा 11 व 12 के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी द्वारा, इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, जिला श्रम अधिकारी के माध्यम से या सीधे बोर्ड को, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है। जिला श्रम अधिकारी या बोर्ड द्वारा आवेदन की जांच कर लाभार्थी को बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- अभिलेखों की जांच के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि बोर्ड ने वर्ष 2010-12 में योजनाओं के अन्तर्गत की जाने वाली सहायता पर मात्र ₹ 0.89 करोड़ व्यय किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

तालिका 3: योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	संगृहित उपकर राशि	बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त राशि	योजनाओं पर किया गया वास्तविक व्यय	
				योजना का नाम	व्यय
1.	2010-11	85.52	0.50	दुर्घटना	*
				समूह बीमा (जनश्री)	0.02
				कुल	0.02
2.	2011-12	154.01	10.00	(i) प्रसूति	0.09
				(ii) शिक्षा	0.08
				(iii) विवाह	0.05
				(iv) मृत्यु/अनुग्रह	0.01
				(v) दुर्घटना	0.02
				(vi) समूह दुर्घटना (जनश्री)	0.62
				कुल	0.87
कुल		239.53	10.50		0.89

\* ₹ 0.16 लाख मात्र

स्रोत: संयुक्त सचिव, बोर्ड द्वारा प्रेषित सूचना।

40. सितम्बर 2010(2): जनश्री बीमा योजना (समूह बीमा), दुर्घटना होने पर तुरन्त सहायता; अप्रैल 2011 (2): प्रसूति सहायता योजना (मातृत्व), शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति); अगस्त 2011 (2): विवाह सहायता, दाह संस्कार व मृत्यु मामलों में सहायता और दिसम्बर 2011(4): गंभीर बीमारी में चिकित्सा पुनर्भरण, मकान निर्माण के लिये वित्तीय सहायता/अनुदान, मेधावी छात्रों को नकद इनाम एवं रैन बसेरा योजना।

इस प्रकार दी गई सहायता राज्य सरकार से प्राप्त राशि का 8.48 प्रतिशत व उपकर की संग्रहित राशि का 0.37 प्रतिशत रही।

शेष राशि ₹ 235.53 करोड़, बोर्ड के पास (₹ 6.50 करोड़) एवं राज्य की समेकित निधि (₹ 229.03 करोड़) में रही।

बोर्ड ने स्वीकार किया (जून 2012) कि व्यापक प्रचार-प्रसार के अभाव में ज्यादा लाभार्थियों को लाभ नहीं दिया जा सका यद्यपि किसी लाभार्थी, जिसने आवेदन किया था, को वित्तीय सहायता से वंचित नहीं रखा गया।

राज्य सरकार ने (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कहा कि वर्ष 2011-12 व 2012-13 में व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण 2012-13 में लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथापि, प्राप्त हुए आवेदन की संख्या एवं उन पर की गयी कार्यवाही उपलब्ध नहीं करवायी गयी।

### *निधियों का अवरोधन*

₹ 16.50 लाख की निधि कलेक्टरों और जिला श्रम अधिकारियों के पास अवरूद्ध रही।

बोर्ड ने दुर्घटना होने पर तत्काल सहायता योजना (योजना) के दिशा-निर्देश अधिसूचित (सितम्बर 2010) किये जिसके अन्तर्गत, अन्य बातों के अतिरिक्त, निर्माण श्रमिकों की प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु/घायल होने पर तत्काल सहायता<sup>41</sup> एक सप्ताह के अन्दर जारी कर दी जायेगी। दिशा-निर्देशों की शर्त संख्या-घ (1) व (2) के अनुसार शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड, जिला कलेक्टरों, जोकि सहायता को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, को अग्रिम राशि स्थानान्तरित करेगा।

यह दृष्टिगत हुआ कि बोर्ड ने वर्ष 2010-11 के दौरान योजना को लागू करने हेतु राशि ₹ 16.50 लाख, 33 जिला कलेक्टरों (₹ 0.50 लाख प्रत्येक) को अग्रिम दिये (दिसम्बर 2010)। बोर्ड द्वारा सूचित किया गया (जून 2012) कि जिला कलेक्टरों द्वारा प्रभावित लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई इसलिए इस राशि को वापिस प्राप्त किया गया (सितम्बर 2011)। बाद में (सितम्बर/अक्टूबर 2011) बोर्ड ने यह राशि जिला श्रम अधिकारियों (डीएलओ) को स्थानान्तरित कर दी। लेखापरीक्षा को दृष्टिगत हुआ कि मात्र 14 जिला श्रम अधिकारियों ने वर्ष 2011-12 में राशि ₹ 2.25 लाख की सहायता स्वीकृत की व शेष राशि ₹ 14.25 लाख (86 प्रतिशत) जुलाई 2012 तक बिना उपयोग के पड़ी थी जोकि कल्याणकारी योजना को लागू करने वाली एजेंसियों की अरुचि प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जिला श्रम अधिकारियों को, योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किये बिना राशि अनियमित रूप से स्थानान्तरित की गई थी क्योंकि सहायता स्वीकृत करने के लिए जिला कलेक्टर ही सक्षम थे।

41. मृत्यु के मामलों में (₹ 10,000), गम्भीर चोट में (₹ 5,000) और साधारण चोट में (₹ 500 से 1,000)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2012) कि जिला कलेक्टरों के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयों के कारण एवं लाभार्थियों को लाभ देने में देरी से बचने के लिए जिला श्रम अधिकारियों को सहायता देने के लिए अधिकृत किया गया। तथापि, लाभार्थियों में रूचि जागृत करने के लिए किये गये प्रयासों से अवगत नहीं कराया गया था।

#### 3.4.3.8 वित्तीय प्रबन्धन

##### अधिशेष निधियों के निवेश का अभाव

अधिशेष निधियों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश नहीं किया जाना।

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन 2009 के नियम 50 के अन्तर्गत कोष से संबंधित सभी निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या सरकारी अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करना था। यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-12 में बोर्ड को हस्तान्तरित की गई राशि ₹ 10.50 करोड़ में से 31 मार्च 2012 को, ₹ 6.50 करोड़ ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में, ₹ 87.37 लाख बोर्ड के बैंक बचत खाते में और ₹ 32.08 लाख बोर्ड के चालू खाते में शेष थे। तथापि, बोर्ड ने अधिशेष निधियों को निवेश करने हेतु कोई नीति तैयार नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई जो अधिशेष निधि के निवेश पर प्राप्त की जा सकती थी।

राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कि प्रशासनिक कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय के कारण बैंक और प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिये समुचित निधियां शेष नहीं थी तथापि, अब अधिशेष राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश कर दिया है। उत्तर में निवेश नीति तैयार करने हेतु कोई टिप्पणी नहीं थी।

#### 3.4.3.9 आन्तरिक नियन्त्रण

##### बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकों में कमी।

विनियमों के नियम 30 व 35 के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक साधारणतया दो माह में एक बार होगी। इन बैठकों में लिये गये निर्णय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से बोर्ड की कार्य वृत्तान्त पुस्तिका में उसी बैठक में दर्ज होंगे।

बोर्ड के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि बोर्ड द्वारा दस बैठकें (2009-10: एक, 2010-11: चार, 2011-12: पाँच) आयोजित की गईं। इस प्रकार 2009-10 में तीन, 2010-11 में दो व 2011-12 में एक बैठक की कमी थी। यह भी देखा गया कि बोर्ड ने बैठकों में नियोक्ताओं/लाभार्थियों के पंजीकरण की धीमी प्रगति को उजागर किया व कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। यह पाया गया कि यद्यपि इसकी सूचना आयुक्त श्रम विभाग (जून 2011) व प्रमुख शासन सचिव

(सितम्बर 2011) ने सभी जिला श्रम अधिकारियों को दी थी परन्तु इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दिया।

सरकार ने (अक्टूबर/नवम्बर 2012) में बैठकों की कमी के तथ्य को स्वीकार कर आश्वासन दिया कि वर्ष 2012-13 में लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

### *अभिलेखों की आन्तरिक लेखापरीक्षा*

बोर्ड में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित नहीं की गयी।

यह देखा गया कि कोई 2009-12 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर कहा (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कि बोर्ड की आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु कोई प्रणाली/व्यवस्था नहीं हैं और न ही बोर्ड में आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा स्थापित की गई है क्योंकि अधिनियम और विनियमों में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय अनुशासन के प्रवर्तन हेतु प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण के साथ-साथ आन्तरिक लेखापरीक्षा स्थापित की जानी चाहिये।

### *बोर्ड के लेखे एवं लेखापरीक्षा*

बोर्ड के नियम व विनियमनों के अन्तर्गत बोर्ड के सचिव, वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देंगे एवं प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इस समय सीमा के बावजूद वर्ष 2010-11 के लेखे 2 नवम्बर, 2011 को प्रस्तुत किये गये व वर्ष 2011-12 के प्रतीक्षित रहे (दिसम्बर 2012)।

### *अनुश्रवण*

सतर्कता चल प्रकोष्ठ द्वारा इसके गठन के पश्चात से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया।

• राज्य सरकार, श्रम विभाग ने अधीनस्थ कार्यालयों की उपकर के निर्धारण और वसूली से संबंधित गतिविधियों की मौके पर निरीक्षण/निगरानी हेतु एक चल सतर्कता प्रकोष्ठ (पांच सदस्य) का, श्रम आयुक्त, दो अतिरिक्त श्रम आयुक्त, एक उप श्रम आयुक्त और एक श्रम निरीक्षक के साथ, गठन (नवम्बर 2010) किया। प्रकोष्ठ को अपनी रिपोर्ट श्रम आयुक्त को पेश करनी थी। विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि चल प्रकोष्ठ ने गठन के बाद से किसी कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया।

• बोर्ड के प्रभावी कामकाज व कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्णायक कार्यवाही के लिए निर्धारित रिटर्न/रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी। लेखापरीक्षा को दृष्टिगत हुआ कि नियम/अधिनियम के अन्तर्गत कोई रिटर्न/एमआईएस निर्धारित नहीं की गयी।

• जिला श्रम अधिकारी किसी प्रकार की एमआईएस/रिटर्न न तो तैयार कर रहे थे एवं न ही बोर्ड को भेज रहे थे। इस प्रकार जिला श्रम अधिकारियों द्वारा

उपकर के निर्धारण और वसूली का कार्य नहीं किया गया जिससे निगरानी और निरीक्षण हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन का उद्देश्य निष्फल रहा।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कर कहा कि श्रम आयुक्त को सतर्कता प्रकोष्ठ को गतिशील बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

#### 3.4.3.10 निष्कर्ष

यद्यपि राज्य सरकार ने 'राजस्थान भवन एवं संनिर्माण कर्मकार नियम 2009' बनाये व निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 'राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को गठित किया तथापि, राज्य सरकार ने नियमों को बनाने और बोर्ड के गठन में तेरह वर्ष का समय लिया। राज्य सरकार ने बोर्ड के समुचित कार्य चालन हेतु मानव शक्ति और निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की, नतीजन बोर्ड अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा क्योंकि सभी नियोक्ताओं और भवन निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। बोर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों एवं वास्तविक निर्माण कार्यों की संख्या में काफी अन्तर पाया गया। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में शामिल लाभार्थियों की संख्या भी नगण्य थी।

#### 3.4.3.11 अनुशंषारें

- बोर्ड को, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक मानव शक्ति व वित्तीय संसाधन प्रदान किये जाने चाहिये।
- बोर्ड द्वारा सभी पात्र नियोक्ताओं को इस अधिनियम के दायरे में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये व इसके लिए निर्माण स्वीकृत करने वाली एजेन्सियों व बोर्ड के बीच उपयुक्त तन्त्र विकसित किया जाना चाहिये।
- बोर्ड द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों को, प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से श्रमिकों के पंजीकरण एवं निष्पादित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से अवगत कराकर इस अधिनियम के दायरे में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये।
- बोर्ड द्वारा अधिनियम/नियमों को लागू करने के लिए प्रभावी और उचित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली और एमआईएस लागू करना चाहिये।



## चिकित्सा शिक्षा विभाग

### 3.4.4 केन्द्रीय निधि का अनुपयोगी रहना

भारत सरकार/राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी से कैंसर रोगियों के इलाज के लिए परिष्कृत उपकरणों की खरीद हेतु प्राप्त की गई राशि ₹ 3.51 करोड़, उनके परिचालन की उचित योजना के अभाव में एक/दो से अधिक वर्षों तक अनुपयोगी रही।

परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि), भारत सरकार ने, सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर से सम्बद्ध अस्पताल, आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार एवं अनुसंधान संस्थान (एटीआरसीटीआरआई), बीकानेर को, उनके अनुरोध (जनवरी 2010) पर कैंसर रोगियों के उपचार हेतु, एक कोबाल्ट टेलीथेरेपी मशीन-भाभाट्रोन-II (सीटी मशीन) के क्रय हेतु, राशि ₹ 1.63 करोड़<sup>42</sup> की वित्तीय सहायता स्वीकृत की (मार्च 2010)।

एटीआरसीटीआरआई, बीकानेर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2012) से प्रकट हुआ कि एटीआरसीटीआरआई बीकानेर ने मैसर्स पैनेसिया मेडिकल टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर से जुलाई 2010 में, राशि ₹ 1.81 करोड़ की लागत पर, एक सीटी मशीन क्रय की। मशीन की वारंटी अवधि स्थापन से 18 माह की थी। हालांकि मशीन उपयुक्त स्थान के अभाव में, एक वर्ष बाद जुलाई 2011 में प्रतिष्ठापित हो सकी तथापि 200 आरएमएम के कोबाल्ट विकिरण स्रोत के अभाव में मशीन अभी तक उपयोग में नहीं लायी जा सकी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभागाध्यक्ष, रेडियोथेरेपी विभाग, एटीआरसीटीआरआई, बीकानेर ने सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर को विकिरण स्रोत के क्रय हेतु राशि ₹ एक करोड़ की मांग अक्टूबर 2011 में भेजी जो अभी भी प्रतीक्षित है।

यह ध्यान में लाने पर एटीआरसीटीआरआई ने स्वीकार किया (मार्च 2012) कि विकिरण स्रोत के लिए बजट की कमी के कारण सीटी मशीन उपयोग में नहीं लाई जा सकी।

इसी प्रकार, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मान सिंह (एसएमएस), चिकित्सा महाविद्यालय (प्रनि चिमवि), जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर, 2011) में यह प्रकट हुआ कि पऊवि ने रेडियोथेरेपी विभाग, एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के अनुरोध (अगस्त 2010) पर कैंसर रोगियों के उपचार के लिए, सीटी मशीन क्रय करने हेतु राशि ₹ 1.34 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत (फरवरी 2011) की तथा राजस्थान मेडिकल रिलीफ

42. उत्पाद शुल्क एवं केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान के लिए ₹ 18 लाख की अतिरिक्त अनुदान भी स्वीकृत (फरवरी 2012) किया गया।

सोसायटी (आरएमआरएस) एसएमएस, जयपुर के पक्ष में निधि जारी की (मार्च 2011)। चूँकि सीटी मशीन की वास्तविक लागत ₹ 1.70 करोड़ थी, अतः विभागाध्यक्ष, रेडियोथेरेपी ने पऊवि व प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से क्रमशः सितम्बर 2011 एवं नवम्बर 2011 में, अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध किया। तदनुसार, राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, एसएमएस, अस्पताल, जयपुर ने राशि ₹ 0.36 करोड़ स्वीकृत किये (मई 2012)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मशीन अब तक क्रय नहीं की गई तथा राशि अनुपयोगी पड़ी हुई है क्योंकि प्रनि चिमवि ने कोबाल्ट इकाई को संचालित करने के लिए आवश्यक 200 आरएमएम कोबाल्ट विकिरण स्रोत क्रय करने (₹ 0.90 करोड़) तथा पुरानी कोबाल्ट मशीन को हटाने (₹ 0.15 करोड़) के लिए अतिरिक्त राशि ₹ 1.05 करोड़ की पुनः मांग की है (जुलाई 2012)।

प्रनि, चिमवि ने बताया (मई, 2012) कि अस्पताल और चिमवि प्रशासन द्वारा, सीटी मशीन क्रय हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की मांग नहीं की गई थी। यह राशि विभागाध्यक्ष, रेडियोथेरेपी के अनुशंसा/अनुरोध पर आरएमआरएस द्वारा प्राप्त की गई थी। प्रनि, चिमवि ने यह भी बताया कि वर्तमान में अस्पताल में एक सीटी मशीन, एक ब्रेकी थैरेपी मशीन एवं एक लीनियर एक्सलरेटर विद्यमान है जो कैंसर रोगियों को समुचित उपचार सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हालांकि, अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल ने सूचित (सितम्बर 2012) किया कि पुरानी सीटी मशीन को बदलने और विद्यमान मशीन पर अधिक कार्यभार होने, जिसकी जीवन अवधि समाप्ति के निकट है के कारण नई सीटी मशीन की आवश्यकता है।

उपर्युक्त स्थिति के बावजूद, पऊवि/आरएमआरएस से प्राप्त की गई राशि ₹ 3.51 करोड़<sup>43</sup>, जो कैंसर पीडित मरीजों के इलाज के लिए परिष्कृत उपकरण क्रय हेतु थी, उनके परिचालन की उपयुक्त योजना के अभाव में, दो वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय/अनुपयोगी पड़ी है। साथ ही अभिलेखों से यह भी विदित हुआ कि चूँकि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, सामान्यतया अग्रिम जमा करने के उपरान्त विकिरण स्रोत उपलब्ध करवाने में, दो वर्ष का समय लेता है, अतः प्राप्त उपकरण/राशि की अगले दो वर्षों में भी उपयोग में आने की संभावना नहीं है जो कि मरीजों के कल्याण की दृष्टि से घातक है।

प्रकरण सरकार को अगस्त 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2012)।

43. केन्द्रीय सहायता: ₹ 3.15 करोड़: आरएमआरएस एसएमएस अस्पताल, जयपुर ₹ 0.36 करोड़।

## चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

### 3.4.5 निधियों का अनुपयोगी पड़े रहना

कमजोर अनुश्रवण के कारण, प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को, केन्द्रीय सहायता राशि ₹ 3.18 करोड़, जो लोक निर्माण विभाग के पास जनवरी 2001 से अनुपयोगी पड़ी रही, की उपलब्धता के बावजूद सुदृढ नहीं बनाया गया।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) राजस्थान सरकार के अनुच्छेद 3.2.6.6(सी) में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 'परिवार कल्याण कार्यक्रम' के तहत भौगोलिक रूप से कमजोर जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना को सुदृढ करने हेतु, 1994-96 के दौरान प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि ₹ 17.10 करोड़, के अनुपयोगी रहने तथा राशि का मार्च 1998 से अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) के निजी निक्षेप खातों में पड़े रहने का उल्लेख किया गया था। जन लेखा समिति (जलेस), 2002-03 ने 432 निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा बकाया 54 निर्माण कार्यों<sup>44</sup> को प्रारम्भ करने की सिफारिश (मार्च 2003) की थी। विभाग द्वारा जलेस को प्रदत्त सूचना के अनुसार 486 निर्माण कार्यों में से 51 कार्य (फेज-III: 30 तथा फेज-IV: 21) प्रारम्भ नहीं हो सके थे। जलेस ने 2005-06 में, विभाग पर शेष निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी डालते हुए सिफारिश की (मार्च 2006), कि निर्माण कार्यों के पूर्णता की नवीनतम प्रगति की सूचना समय-समय पर प्रधान महालेखाकार (प्रमले) को दी जाए।

निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर (विभाग) के अभिलेखों की जाँच (जून 2011) में प्रकट हुआ कि 171 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत (जुलाई एवं सितम्बर, 2000) 486 कार्यों में से, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) द्वारा केवल 446 कार्य ₹ 13.02 करोड़ की लागत (जनवरी 2001 में हस्तान्तरित राशि ₹ 17.10 करोड़ के विरुद्ध) से पूर्ण कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किए गए। शेष 40 कार्यों में से 21 कार्य<sup>45</sup> 'पहले से विद्यमान' दर्शाये गए थे। हालांकि विभाग इन 21 कार्यों के बारे में सजग नहीं था तथा लेखापरीक्षा के पूछने पर विभाग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से, उन योजनाओं की जानकारी मांगी (मई, 2012) जिनमें ये कार्य पूर्ण किए गए थे। सात जिलों के आठ प्राथमिक

44. मार्च 2003 एवं मार्च 2006 के मध्य तीन कार्यों को पूर्ण किया गया।

45. ऑपरेशन थियेटर (छः) आब्जरवेशन वाई (दो), लेबर रूम (छः), चिकित्सको (तीन) एवं एनएम (चार) हेतु क्वार्टर्स।

स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रास्वाके) में 19 कार्य<sup>46</sup> भूमि की अनुपलब्धता/भूमि विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं किए गये। लोनिवि अधिकारी, निदेशालय, जयपुर को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि रिपोर्ट (सार) में कार्यों की केवल समग्र स्थिति है तथा कार्य आदेश तिथि, कार्य की पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तथा कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि इत्यादि का विवरण नहीं है। अव्यतीत रही राशि ₹ 4.08 करोड़ में से लोनिवि द्वारा केवल ₹ 0.90 करोड़ ही वापस लौटाई गई (दिसम्बर, 2009) तथा राशि ₹ 3.18 करोड़ लोनिवि के पास लगातार मई 2012 तक अनुपयोगी पड़ी रही।

आगे, विभाग इस बात से अनभिज्ञ था कि क्या इन प्रास्वाके को किसी अन्य योजना के तहत निर्धारित सुविधाएँ<sup>46</sup> उपलब्ध करवाई गई थी। निदेशक, (आरसीएच) मुचिस्वाअ, जयपुर ने बताया कि सूचना सम्बन्धित मुख्य चिस्वाअ से मांगी जा रही है (अगस्त, 2012)। फलस्वरूप लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या ये प्रास्वाके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अभीष्ट स्वास्थ्य देखभाल तथा चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवा पा रहे हैं।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2012) कि अव्यतीत रही राशि ₹ 3.18 करोड़ को लोनिवि से वसूल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

तथ्य यह रहा कि जलेस के समक्ष मार्च 2006 में प्रतिबद्धता व्यक्त करने के बावजूद विभाग ने 1994-96 से लम्बित कार्यों को पूर्ण करवाने तथा केन्द्रीय सहायता को उपयोग में लाने का अनुश्रवण नहीं किया। इसके फलस्वरूप सात जिलों<sup>47</sup> के आठ प्रास्वाके के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी तथा राशि ₹ 3.18 करोड़, लोनिवि के पास जनवरी 2001 से अनुपयोगी पड़ी रही।

### 3.4.6 अनियमित/अधिक भुगतान

प्रस्ताव के लिए निवेदन के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही न कर विभाग ने जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड, मुम्बई को अदेय सहायता एवं लाभ पहुँचाया। आगे, विभाग, जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड, मुम्बई द्वारा दी जा रही सेवा को मापने के लिए, उचित नियामक ढांचा स्थापित करने में असफल रहा जिसके कारण आपात सेवा प्रदाता के असत्यापित दावों का भुगतान हुआ।

राज्य सरकार (चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग) ने चिकित्सीय तथा स्वास्थ्य देखभाल, विशेषकर गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा बच्चों से सम्बन्धित आपातकालीन परिस्थितियों में उपलब्ध करवाने, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी करने तथा साधारण आमजन की अन्य सभी आपात

46. ऑपरेशन थियेटर (पाँच), आब्सरवेशन वार्ड (दो), लेबर रूम (पाँच), चिकित्सकों (दो) एवं एएनएम (पाँच) हेतु क्वाटर्स।

47. बूंदी: 1, बाड़मेर: 1 बॉसवाड़ा: 2 दौसा: 1 झालावाड़: 1 सवाईमाधोपुर: 1 एवं उदयपुर: 1

स्थितियों में अरक्षितता में कमी लाने के लिये 'इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज', जो '108 एम्बुलेन्स सेवा योजना' (योजना) के नाम से लोकप्रिय है, प्रारम्भ (सितम्बर 2008) की। ये सेवाएँ जून 2010 तक इमरजेन्सी मैनेजमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद द्वारा संचालित की गयी थी। इस बीच, राज्य सरकार ने मैसर्स जिक्लिजा हैल्थ केयर लिमिटेड तथा इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर इमरजेन्सी तकनीक, मुम्बई (जेडएचएल) के समूह को इन सेवाओं के संचालन का कार्य प्रदान (मार्च 2010) किया।

राज्य सरकार (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) ने जेडएचएल के साथ एक अनुबन्ध निष्पादित (अप्रैल 2010) किया। अनुबन्ध के साथ जुड़े प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी) के अनुसार, अनुबन्ध अवधि, अनुबंध हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष<sup>48</sup> थी तथा इस अवधि के दौरान जेडएचएल को ₹ 94,899 प्रति एम्बुलेन्स, प्रति माह देय था। योजना के पूर्ण अधिग्रहण के बाद, संचालन के प्रथम तीन माह में प्रतिदिन प्रति एम्बुलेन्स चार चक्कर अपेक्षित थे, जिसे तत्पश्चात, औसतन कम से कम पांच चक्कर कायम किया जाना था। यदि इस स्तर की सेवा बनाये नहीं रखी गई तो जेडएचएल के दावों से आनुपातिक कटौती की जानी थी। चूक के दूसरे प्रकरणों में कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दावों में से जुर्माना भी वसूलनीय था।

राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी (आरएसएचएस) ने, वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान जेडएचएल द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवा पर, क्रमशः ₹ 40.96 करोड़ तथा ₹ 34.25 करोड़ व्यय किए। आरएसएचएस, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2011 से फरवरी 2012) में प्रकट हुआ कि:

(i) विभाग द्वारा निम्नांकित विवरण अनुसार, आरएफपी के विभिन्न प्रावधानों/निर्देशों का पालन नहीं किया गया:

क्र. सं.	प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी) की प्रावधान संख्या एवं विवरण	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	पार्ट ए(3)के पैरा 2 के अनुसार जेडएचएल द्वारा प्रत्येक एम्बुलेन्स में जीपीआरएस प्रणाली स्थापित करनी थी।	386 एम्बुलेन्सों में से नवम्बर 2011 तक केवल 197 में जीपीआरएस प्रणाली स्थापित हुई थी। जीपीआरएस के अभाव में एम्बुलेन्स की स्थिति तथा जरूरतमन्द जनता तक समय पर पहुँचने (कॉल सेन्टर में कॉल प्राप्त होने के 30 मिनट के भीतर) का अनुश्रवण नहीं हो सका। साथ ही प्रति दिन प्रति एम्बुलेन्स द्वारा औसत चक्करों का सत्यापन न होने से जेडएचएल को अधिक भुगतान की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता।

48. दोनों पक्षों की आपसी सहमति से दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।

क्र. सं.	प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी) की प्रावधान संख्या एवं विवरण	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
2.	पार्ट ए(3) के पैरा 6(4) के अनुसार रागा स्वामि/राजस्थान सरकार एम्बूलेन्स सेवाओं के लिए दिशानिर्देश तथा संचालन प्रक्रिया बनाने के उत्तरदायी थे।	रागास्वामि/राजस्थान सरकार द्वारा संचालन प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश अभी तक (अप्रैल 2012) बनाये जाने शेष हैं। पूर्ण रूप से लैस एम्बूलेन्स के रखरखाव तथा संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी संचालन प्रक्रिया तथा दिशा-निर्देशों का निरूपण आवश्यक था, तथापि संचालन प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों के अभाव में सेवा प्रदाता पर प्रभावी नियंत्रण तथा अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं हो सका।
3.	पार्ट ए(3) के पैरा 9 के अनुसार बैंक गारन्टी के विरुद्ध वित्तीयन का प्रावधान था जिसकी सीमा ₹ दो करोड़ थी। यह अग्रिम पश्चातवर्ती दावों से आवश्यक रूप से समायोजित किया जाना था।	मिनि, रागास्वामि द्वारा पश्चातवर्ती मासिक दावों से अग्रिम समायोजित न कर, 36 मासिक किश्तों में समायोजित करने की अनुमति देकर विभाग ने फर्म को लाभ पहुँचाया जिससे ₹ 0.20 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
4.	पार्ट ए(3) के पैरा 11 के अनुसार योजना के पूर्ण अधिग्रहण के बाद प्रथम तीन माह तक प्रतिदिन प्रति एम्बूलेन्स चार चक्कर किये जाने थे। इस स्तर की सेवा नहीं बनाये रखने पर दावों से आनुपातिक कटौती की जानी थी।	मिनि, रागास्वामि ने जेडएचएल द्वारा जुलाई 2010 में योजना के पूर्ण अधिग्रहण के तीन माह बाद भी शामिल <sup>49</sup> प्रत्येक नई एम्बूलेन्स को प्रतिदिन चार चक्कर की अनुमति दे दी गई। अतः जेडएचएल को अदेय लाभ दिया गया तथा अधिक भुगतान किया गया।
5.	पार्ट ए(3) के पैरा 12(अ)के अनुसार परियोजना के निष्पादन की, निदेशक तथा विभाग के सचिव द्वारा, क्रमशः मासिक व त्रैमासिक समीक्षा की जानी थी।	यह नहीं हो रहा था, परियोजना निदेशक (पीडी), रागास्वामि ने निर्णय (जुलाई 2010) लिया कि जेडएचएल द्वारा प्रदत्त मासिक सेवाएँ, सम्बन्धित मुचिस्वाअ द्वारा सत्यापित की जाएगी तथा वे इसकी एक प्रति पीडी, रागास्वामि को प्रेषित करेंगे और जेडएचएल इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर अपने दावे प्रस्तुत करेगी। तथापि, जेडएचएल के दावों का भुगतान बिना सम्बन्धित मुचिस्वाअ से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किए ही, किया गया।
6.	पार्ट ए(3) के पैरा 12(द) के अनुसार किसी बाहरी संस्था द्वारा परियोजना के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा।	निष्पादन का मूल्यांकन किसी भी बाहरी संस्था द्वारा नहीं किया (अप्रैल 2012) गया।

49. नवम्बर 2010: 25; जनवरी 2011: 25; मार्च 2011: 40; अप्रैल 2011: 11; मई 2011: 16; जून 2011: 64; जुलाई 2011: 21 एवं नवम्बर 2011: 20 ।

आगे, जुलाई 2010 से जेडएचएल द्वारा प्रस्तुत दावों का 50 से 80 प्रतिशत तक 'ऑन एकाउन्ट पेमेन्ट' किया जा रहा था जिसका जून 2012 तक निपटान नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आरएसएचएस ने जेडएचएल को, सितम्बर 2010 से अगस्त 2011 के दौरान उसके दावों में दर्शाये गुणज चक्करों<sup>50</sup> के कारण, ₹ 4.75 करोड़ का अधिक भुगतान किया। हालांकि, मिनि, राग्रास्वामि ने इस अधिक भुगतान को नवम्बर 2011 से 10 किशतों में समायोजित करने के आदेश (दिसम्बर 2011 तथा जनवरी 2012) दिये। जेडएचएल को इस अदेय लाभ से राज्य सरकार को ₹ 0.34 करोड़ के ब्याज की हानि हुई (जून 2012)।

(ii) आरएफपी के अनुसार प्रतिदिन प्रति एम्बुलेन्स पांच चक्कर की न्यूनतम औसत बनाए रखनी थी। हालांकि, चक्कर परिभाषित नहीं किये गये थे। आरएफपी के अनुसार गठित विवाद निपटान कमेटी ने महसूस किया कि मरीज/घायल व्यक्ति को लेने के स्थान से निकटतम अस्पताल पहुँचाकर वापस मूल स्थान पर आना ही एक चक्कर को इंगित करता है तथा चक्कर की परिभाषा को 'मूल स्थान से 30 किमी की दूरी एक चक्कर, 31 से 45 किमी की दूरी 1.5 चक्कर, 46 से 60 किमी की दूरी 2 चक्कर और इसी प्रकार' से संशोधित (नवम्बर 2011) किया। मरीजों को चिकित्सीय सहायता/निकटतम अस्पताल पहुँचाने हेतु की गई यात्रा को किमी के रूप में संशोधन, आरएफपी के पार्ट ए-3 के पैरा 14 के विरुद्ध है, जिसके अनुसार 'अनुबन्ध के मूल नियमों व शर्तों को संशोधित नहीं किया जा सकता'। उपरोक्त मापदण्डों का कोई आधार नहीं था, फिर भी राग्रास्वामि ने इसके लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया तथा दिसम्बर 2011 से लगातार इसी आधार पर दावे स्वीकार करना जारी रखा। लेखापरीक्षा ने पाया कि चक्करों की गणना के लिए इन दूरियों को अपनाने का आधार, आरएफपी के सादृश्य न्यायोचित नहीं था।

(iii) जेडएचएल द्वारा बिना सरकार को सूचित किए, सॉफ्टवेयर तथा प्रतिवेदनों के प्रारूपों में परिवर्तन किये जाने की जानकारी के बावजूद भी मिनि, राग्रास्वामि ने सरकार के वित्तीय हित को सुरक्षित रखने के लिए कोई नियामक तन्त्र लागू नहीं किया।

(iv) आरएफपी के पार्ट ए(3) के पैरा 4 के अनुसार सरकार को केवल एम्बुलेन्स के तौर पर तैयार वाहन ही उपलब्ध करवाने थे तथा अन्य खर्च, (मेडिकल/नॉन मेडिकल उपभोगीय वस्तुओं को छोड़कर) जो परियोजना को चलाने के लिए आवश्यक हों, जेडएचएल द्वारा वहन किये जाने थे। इसके विपरीत, राज्य सरकार ने सरकार द्वारा प्रदत्त स्टॉफ के वेतन पर जुलाई 2010 (₹ 0.56 करोड़) तथा अक्टूबर 2010 (₹ 0.09 करोड़) में, राशि ₹ 0.65 करोड़ का भुगतान वहन किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि मिनि,

50. जेडएचएल द्वारा एम्बुलेन्स में ले जाये गये रोगियों की संख्या को उसके दावों के लिए दिखाई गई टिपों की संख्या के बराबर बढ़ाया गया।

रागास्वामि ने इस राशि का एक वर्ष बाद (नवम्बर 2011) एकमुश्त वसूली के बजाय किशतों<sup>51</sup> में वसूलने का निर्णय लिया, जो जेडएचएल को अदेय वित्तीय लाभ पहुँचाने वाला था।

मिनि, रागास्वामि ने बताया (अप्रैल, 2012) कि सभी एम्बूलेन्सों पर जीपीआरएस प्रणाली स्थापित कर दी गई है, स्थायी संचालन प्रक्रिया स्वीकृति के अन्तिम चरण में है, विवाद निपटान कमेटी ने चक्कर की गणना सम्बन्धी प्रकरण पर अन्तिम निर्णय ले लिया है (नवम्बर, 2011) तथा मुचिस्वाअ को मासिक अनुश्रवण प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दे दिये गये है। तथ्य यह है कि विभाग ने आरएफपी के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं की तथा जेडएचएल को किए अधिक भुगतान को एकमुश्त वसूल नहीं कर उसे अदेय सहयोग तथा लाभ पहुंचाया। आगे, विभाग जेडएचएल द्वारा प्रदत्त सेवाओं को मापने के लिए उचित नियामक ढांचा स्थापित करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप आपात सेवाएँ प्रदाता के असत्यापित दावों का भुगतान हुआ।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2012) किया गया, उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2012)।

### 3.4.7 निधियों का अनुपयोगी रहना

राज्य सरकार ₹ सात करोड़ की केन्द्रीय सहायता राशि चार वर्षों से अधिक समय तक उपयोग लेने में विफल रही जिससे वन्धीकरण लक्ष्यों की कम प्राप्ति हुई।

भारत सरकार (भास), राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गर्भनिरोधक सामान (लेप्रोस्कोप सहित)<sup>52</sup>, क्रय करती है तथा राज्य सरकारों को जिला अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों को उनकी मांग के अनुसार वितरण के लिए उपलब्ध कराती है। क्योंकि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर वर्ष 2006-07 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वापकमं), भास के निर्णीत मापदण्डों के अनुसार, 100 लेप्रोस्कोप खरीद की अपनी तत्परता दिखायी अतः भारत सरकार ने एफडब्ल्यूपी के अन्तर्गत राज्य सरकार को दिसम्बर 2006 में राशि ₹ सात करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया।

निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई-जून 2011) में प्रकट हुआ कि लेप्रोस्कोप खरीद

51. दिसम्बर 2010 : ₹ 0.01 करोड़ ; दिसम्बर 2011 : ₹ 0.08 करोड़ एवं नवम्बर 2011 से ₹ 5.56 करोड़ की 10 किशते।

52. जन्म नियंत्रण प्रोत्साहन के लिए महिलाओं के लेप्रोस्कोपिक बन्धीकरण में काम लिया जाने वाला एक उपकरण ।



के लिए, भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अनुदान, राज्य सरकार की समेकित निधि में, दिसम्बर 2006 में जमा किया गया। तथापि, विभाग ने न तो राज्य सरकार से केन्द्रीय निधि जारी करने का अनुरोध किया और न ही 2006-08 के दौरान केन्द्रीय अनुदान को उपयोग में लेने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार कर लेप्रोस्कोप क्रय करने की पहल की। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने स्वीकृति को इस शर्त के साथ पुनः विधि मान्य किया (अप्रैल 2008) कि 2008-09 के दौरान अर्जित किया गया ब्याज भी लेप्रोस्कोप की खरीद के काम में लिया जाए तथा अनुपयोगी रही राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ लौटाई जाए।

चूँकि विभाग ने 2008-09 के दौरान केन्द्रीय अनुदान का उपयोग नहीं किया, भारत सरकार ने पुनः (फरवरी 2009 से अक्टूबर 2009 के मध्य) लेप्रोस्कोप क्रय करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने तथा शेष अनुपयोजित राशि लौटाने पर जोर दिया। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर ने एफडब्ल्यूपी के अन्तर्गत जिला अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में बांटने के उद्देश्य से उपकरणों एवं संयंत्रों (लेप्रोस्कोप सहित) की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित (अक्टूबर 2009) की तथा मैसर्स कार्ल स्टॉरज एंडोस्कोपी इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली से लेप्रोस्कोप खरीद हेतु एक दर संविदा तय (जून 2010) की। हालांकि, राज्य सरकार के पास निधि उपलब्ध थी फिर भी निदेशक (आरसीएच) ने निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भास से निधियों को पुनः विधिमान्य कर राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी को स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया (जून 2009 एवं फरवरी और दिसम्बर 2010 के मध्य ) ताकि इसका वर्ष 2010-11 में उपयोग किया जा सके, क्योंकि राज्य में उपलब्ध लेप्रोस्कोप काफी पुराने थे एवं बदलने की आवश्यकता थी जिससे रापकका पर विपरीत प्रभाव पड रहा था। खरीद में देरी पर भारत सरकार की विशेष टिप्पणी (जनवरी 2011) पर राज्य सरकार ने बताया (जनवरी, 2011) कि गत वर्ष राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर कोई दर संविदा न होने के कारण खरीद में विलम्ब हुआ। इस पर भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 के लिए एफडब्ल्यूपी के अन्तर्गत, राज्य को आधारभूत संरचना के रखरखाव के लिए जारी ₹ 17.96 करोड़ के अनुदान में (मार्च 2011) एफडब्ल्यूपी क्रियान्वयन हेतु लगाये गये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतन भुगतान के लिए ₹ सात करोड़ समायोजित कर दिए तथा लेप्रोस्कोप खरीद के अनुदान (₹ सात करोड़) को पुनः विधिमान्य नहीं किया।

राज्य सरकार ने बताया (अगस्त, 2012) कि दर संविदा कार्यान्वित नहीं होने, बजट शीर्ष संचालित न होने तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण लेप्रोस्कोप नहीं खरीदे जा सके। उत्तर यह पुष्ट करता कि राज्य सरकार में, चार वर्ष से भी अधिक समय तक केन्द्रीय अनुदान का उपयोग करने में, तत्परता की कमी रही।

इस प्रकार यद्यपि राज्य सरकार ने लेप्रोस्कोप खरीद के लिए स्वयं सहमति देते हुए ₹ सात करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त की थी तथापि वह उसके उपयोग के लिए कार्ययोजना बनाने में असफल रहा। परिणामस्वरूप, एक ओर जहाँ केन्द्रीय सहायता चार वर्ष से भी अधिक समय तक अनुपयोगी रही वहीं दूसरी ओर अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र नए लेप्रोस्कोपों से वंचित रहे, जिससे 2006-11 के दौरान वन्धीकरण लक्ष्य प्राप्ति में 37 से 30 प्रतिशत<sup>53</sup> की कमी रही। साथ ही राज्य सरकार, 2010-11 के दौरान आधारभूत संरचना अनुरक्षण के लिए इस सीमा तक केन्द्रीय सहायता से वंचित रही।

### चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग

#### 3.4.8 स्वास्थ्य उप केन्द्रों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण न होना/अपूर्ण रह जाना

उपस्वास्थ्य/आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय पर निर्माण तथा सुपुर्दगी के प्रभावी अनुश्रवण में विभाग की विफलता के कारण स्वीकृत राशि ₹ 13.85 करोड़ जारी होने के बावजूद लाभार्थियों को अभीष्ट लाभ नहीं मिल सका

• राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (विभाग) ने, आमजन स्तर पर समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए, देवनारायण योजना<sup>54</sup> के अन्तर्गत पांच जिलों<sup>55</sup> में 152 उप स्वास्थ्य केन्द्रों (उस्वाके) के निर्माण के लिए ₹ 13.68 करोड़ (₹ नौ लाख प्रति उस्वाके) स्वीकृत किए (सितम्बर 2008)। स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट किया गया कि उस्वाके के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेन्सियों का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा तथा निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किया जायेगा। तदनुसार, राज्य सरकार, वित्त विभाग ने कार्यों के निष्पादन के लिए 2009-10 से 2011-12 के दौरान सम्बन्धित जिला परिषदों (जिप), (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ (ग्राविप्र)) के निजी निक्षेप खातों में राशि ₹ 9.54 करोड़<sup>56</sup> हस्तान्तरित किये।

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2012) तथा जिला परिषदों (ग्राविप्र) से एकत्रित सूचनाओं (मई 2012)

53. विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई (जनवरी 2012) सूचना के अनुसार ।

54. दूरस्थ क्षेत्रों जैसे नदी घाटियों, वन घाटी इत्यादि में रहने वाले विशेष पिछड़े गूर्जर समुदाय के उत्तरोत्तर विकास के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

55. अलवर: 31 ; धौलपुर : 28 ; झालावाड़ : 38; करौली : 29; सवाईमाधोपुर : 26

56. 2009-10 : ₹ 2.70 करोड़ (मार्च 2010) ; 2010-11 ₹ 2.70 करोड़ (दिसम्बर 2010) एवं 2011-12 : ₹ 4.14 करोड़ (दिसम्बर 2011)

में यह प्रकट हुआ कि 152 उस्वाके के निर्माण हेतु, वर्ष 2009-12 के दौरान हस्तान्तरित ₹ 9.54 करोड़ के विरुद्ध, अप्रैल 2012 तक केवल ₹ 1.95 करोड़ व्यय कर, सात उस्वाके<sup>57</sup> पूर्ण किए गए (सुपुर्दगी की सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई) तथा 69 उस्वाके<sup>58</sup> के निर्माण का कार्य प्रगति पर था। सम्बन्धित जिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (मुकाअ) ने बताया कि शेष 76 उस्वाके के कार्य जमीनी विवाद (नौ), मुचिस्वाअ से पट्टा प्राप्त न होने (49) तथा कार्य प्रारम्भ न होने (18) के कारण प्रारम्भ नहीं किए जा सके। राशि ₹ 7.59 करोड़<sup>59</sup> जिला परिषदों (ग्राविप्र) के निजी निक्षेप खातों में अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

• आंगनबाडी केन्द्र (आबाके), समेकित बाल विकास सेवाएँ (सबाविसे) योजना के तहत पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भ (रेफरल) सेवाएँ, शाला पूर्व शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के, प्रमुख स्थल हैं। राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग ने देवनारायण योजना के अन्तर्गत (2009-10 से 2010-11) तीन जिलों<sup>60</sup> में 139 आबाके के निर्माण के लिए जिला परिषदों (ग्राविप्र) को राशि ₹ 4.31 करोड़<sup>61</sup> स्वीकृत कर हस्तान्तरित किए। स्वीकृति आदेश के नियम व शर्तों के अनुसार आबाके का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के तीन माह में, पूर्ण किया जाना था।

उपनिदेशक, सबाविसे, अलवर के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2011) तथा निदेशक, सबाविसे, सवाईमाधोपुर, करौली व जयपुर से एकत्रित सूचना (मई 2012 एवं सितम्बर 2012) से प्रकट हुआ कि 2009-11 के दौरान स्वीकृत 139 आबाके में से सितम्बर, 2012 तक, राशि ₹ 1.30 करोड़<sup>62</sup> व्यय करने के पश्चात, केवल छः आबाके<sup>63</sup> ही सुपुर्द किए गए, 14 पूर्ण आबाके<sup>64</sup> सुपुर्द नहीं किए गए तथा 48 आबाके<sup>65</sup> प्रगतिरत (सितम्बर 2012) थे। 71 आबाके<sup>66</sup> के निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने एवं 14 पूर्ण आबाके के सुपुर्दगी में विलम्ब के कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

57. अलवर : एक एवं झालावाड़ : छः ।

58. अलवर : 10 ; धौलपुर : आठ ; झालावाड़ : 28 ; करौली : 16 एवं सवाईमाधोपुर : सात

59. अलवर : ₹ 1.41 करोड़ ; धौलपुर : ₹ 1.68 करोड़ ; झालावाड़ : ₹ 1.45 करोड़ ; करौली : ₹ 1.49 करोड़ एवं सवाईमाधोपुर : ₹ 1.56 करोड़

60. अलवर : 91; करौली : 26 एवं सवाईमाधोपुर : 22

61. 2009-10 : 69 आबाके (₹ 2.00 करोड़) : 2010-11 : 70 आबाके (₹ 1.99 करोड़) एवं 2010-11 : ₹ 0.32 करोड़ (मार्च 2012 में अतिरिक्त स्वीकृति)

62. 2009-10 : ₹ 0.88 करोड़ एवं 2010-11 : ₹ 0.42 करोड़

63. अलवर : पाँच (2009-10 में स्वीकृत) एवं सवाईमाधोपुर : एक (2010-11 में स्वीकृत)

64. अलवर : चार (2009-10 में स्वीकृत) एवं सवाईमाधोपुर : 10 (2010-11 में स्वीकृत)

65. अलवर : 38, करौली : सात एवं सवाईमाधोपुर : तीन

66. अलवर : 44; करौली : 19 एवं सवाईमाधोपुर : आठ

दोनों विभागों ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मई 2012) कि विलम्ब के कारणों को जिला परिषदों से संग्रहित करने के बाद, सूचित कर दिया जावेगा। यद्यपि, यह प्रतीक्षित (नवम्बर 2012) रहा।

राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में बताया (दिसम्बर 2012) कि शेष कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए सम्बन्धित जिला कलेक्टरों एवं मुचिस्वाअ को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के मामले में यह बताया गया (सितम्बर 2012) कि शेष निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों की है तथा विभाग आवश्यक सहायता तथा कार्यों का अनुश्रवण ही उपलब्ध कराता है।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि दोनों विभाग निर्माण कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण में असफल रहे जिससे राशि ₹ 13.85 करोड़ उपलब्ध होने के बावजूद लाभार्थियों को उस्वाके/आबाके का अभिष्ट लाभ नहीं मिल सका।

### जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

#### 3.4.9 जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने में देरी

विभाग के अपर्याप्त आयोजन एवं क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप न केवल शहरी जल प्रदाय योजना में ढाई वर्षों की देरी हुई बल्कि ₹ 19.15 करोड़ व्यय करने के बाद भी जल आपूर्ति पूर्व स्तर, 24 से 48 घंटों में 61 एलपीसीडी के विरुद्ध घटकर 72 से 96 घंटों में 56 एलपीसीडी रह गई। इसके अतिरिक्त, पैकेज 01 तथा 03 के कार्य देरी से आवंटित करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ की लागत बढ़ी।

राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल की तकनीकी समिति (तस) ने 'शहरी जल प्रदाय योजना (शजप्रयो) मकराना के पुनर्गठन' योजना का, ₹ 47.28 करोड़ (तीन पैकेज<sup>67</sup>: (01)- 14 नलकूपों का निर्माण); पैकेज (02)- 10 नलकूपों आदि का निर्माण); पैकेज (03)-10 नलकूपों आदि का निर्माण),

67. पैकेज (01): आपस में जोड़ने सहित 14 नलकूपों का निर्माण; 12 किमी राईजिंग पाईपलाइन (300 एमएम डक्ट आइरन); एक पम्प हाऊस; दो उच्च जलाशय जोन 2 एवं 7 के लिए ; एक स्वच्छ जलाशय ; मकराना कस्बे के जोन 1 से 5 और 7 में वितरण पाईपलाइन : (₹ 11.65 करोड़) ; पैकेज (02): दस नलकूपों का निर्माण ; दो स्वच्छ जलाशय ; दो पम्प हाऊस ; 30 किमी राईजिंग पाईप लाइन (500 एमएम डीआई के-7); दो उच्च जलाशय ; जोन 8 एवं 9 के लिए वितरण पाईपलाइन : (₹ 31.24 करोड़) और पैकेज (03) : दस नलकूपों का निर्माण ; एक उच्च जलाशय एवं जोन 6 के लिए वितरण पाईप लाइन : (₹ 4.39 करोड़)।

का तकनीकी अनुमोदन किया (अगस्त 2008)। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, शजप्रयो को मकराना कस्बे के नौ संभागों के लिए, वर्ष 2041 के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की क्षमता वाले 34 नये नलकूपों के निर्माण हेतु डिजाईन किया गया। क्योंकि शजप्रयो, मकराना में मौजूदा आपूर्ति स्तर के अनुसार, 27 नलकूपों (20 घण्टे पम्पिंग) से 7290 किलो लीटर प्रतिदिन (किलोप्र) के हिसाब से 61 एलपीसीडी, पानी उपलब्ध था जबकि मकराना कस्बे के कुछ हिस्सों में 24 से 48 घण्टों में एक बार पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। शजप्रयो को दिसम्बर 2010 में पूर्ण किया जाना तय था। केन्द्र एवं राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय को, 80:20 के अनुपात में, निधियों की हिस्सेदारी वहन करनी थी।

अधिशायी अभियन्ता (अअ), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (जस्वाअवि), मकराना खण्ड ने 14 में से चार नलकूपों का (पैकेज 01) विभागीय स्तर पर निर्माण शुरू किया (जून 2009) लेकिन पानी की अपर्याप्त आवक के कारण तीन नलकूप असफल हो गये इसलिए शेष 10 नलकूपों का स्थल आनन्दपुरा (पैकेज 02) में बदल दिया गया और पैकेज 02 को ₹ 28.33 करोड़<sup>68</sup> संशोधित कर लिया गया (जुलाई 2009)। निविदा दिसम्बर 2009 में आमन्त्रित की गई, जो जून 2010 तक बार-बार संशोधित की जाती रही और अगस्त 2010 में खोली गई। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (अमुअ), जस्वाअवि, सम्भाग अजमेर ने एक वर्ष से अधिक समय बाद (अक्टूबर 2010), ₹ 7.90 करोड़ (नलकूपों का विभागीय निर्माण एवं विभाग द्वारा पाईप की आपूर्ति) का, जनवरी 2012 तक कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि सहित, कार्य आदेश संवेदक 'अ' के पक्ष में जारी किया। संवेदक 'अ' ने नवम्बर 2011 में ₹ 6.27 करोड़ की लागत का कार्य (1000 मीटर वितरण, पाईप लाईन को छोड़कर) पूर्ण कर दिया। शजप्रयो (पैकेज 02) पर, विभाग द्वारा पाईप खरीद एवं नलकूपों का विभागीय निर्माण कराने पर, ₹ 19.15 करोड़<sup>69</sup> व्यय किया गया।

अधिशायी अभियन्ता (अअ) जस्वाअवि, खण्ड, मकराना के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (अप्रैल 2012) कि भू-जल विभाग (भूजवि) की इस सिफारिश (दिसम्बर 2008) के बावजूद कि सम्भाग का पहले से ही अधिक जल दोहन हो जाने के कारण यह लम्बी अवधि की आयोजना के लिए उपयुक्त नहीं है, अअ जस्वाअवि, मकराना ने पैकेज 01 के 14 नलकूपों में से चार की खुदाई, भूजवि से करवाई जिसमें तीन नलकूप, पानी की अपर्याप्त आवक के कारण असफल रहे। इसलिए, शेष 13 नलकूपों को पैकेज 02 (दस) एवं पैकेज 03 (तीन) में स्थानान्तरित कर दिया गया। इसके कारण पैकेज 02 (अक्टूबर 2011) एवं पैकेज 01 तथा 03 (जनवरी 2012) की तकनीकी

68. अग्रेतर अक्टूबर 2011 में ₹ 26.71 करोड़ से संशोधित किया गया।

69. पैकेज 02: 20 नलकूपों का निर्माण, दो पम्प हाऊस, दो सी डब्ल्यूआर, दो ओएचएसआर, 30,400 मीटर राईजिंग पाईपलाईन और 1,933 मीटर वितरण पाईपलाईन जोड़ना-बिछाना (₹ 6.27 करोड़), पाईप की लागत, 20 नलकूपों आदि का निर्माण (₹ 12.88 करोड़)।

स्वीकृतियाँ संशोधित करनी पड़ीं जो जस्वाअवि की अनुपयुक्त आयोजना को प्रतिबिम्बित करता है। आगे, पैकेज 02 के अन्तर्गत 1000 मीटर टुकड़े में वितरण पाईप लाईन, रेलवे एवं भारत दूर संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्वीकृतियों के अभाव में, नहीं बिछाई गई क्योंकि इसका संरेखण रेलवे लाईन एवं टेलीफोन लाईन से होकर गुजर रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि योजना का अनुमोदन अगस्त 2008 में किया गया, विभाग ने अनुमति प्राप्त करने का प्रकरण रेलवे से दिसम्बर 2009 एवं बीएसएनएल से सितम्बर 2011 में उठाया। आगे, प्रभावी कार्यवाही के अभाव में अनुमति अगस्त 2012 तक भी प्रतीक्षित थी। पैकेज 02 के अन्तर्गत, विकसित तन्त्र को पुराने/मौजूदा तन्त्र के साथ जोड़कर उपयोग में लिया जा रहा था एवं जनता को 72 से 96 घण्टों में एक बार जल आपूर्ति कर 56 एलपीसीडी का ही जल आपूर्ति स्तर बनाया जा रहा था जो पुराने तन्त्र द्वारा 24 से 48 घण्टों में की जा रही आपूर्ति (61 एलपीसीडी) से भी कम था।

आगे, विभाग ने पैकेज 01 तथा पैकेज 03 के शेष कार्यों को पैकेज 02 के साथ शुरू करने की कार्यवाही नहीं की। फलस्वरूप इन पैकेजों की लागत क्रमशः ₹ 10.49 करोड़<sup>70</sup> एवं ₹ 10.71 करोड़ संशोधित (₹ 11.65 करोड़ एवं ₹ 4.39 करोड़) की गई (जनवरी 2012)। अमुअ, जस्वाअवि, सम्भाग अजमेर ने इन पैकेजों के लिए दो संवेदकों 'ब' एवं 'स' को ₹ 11.85 करोड़ तथा ₹ 12.45 करोड़ के कार्य आदेश, जुलाई 2013 तक कार्य पूर्ण करने की तय सीमा सहित जारी किये (जुलाई 2012)। पैकेज 01 एवं 03 के कार्य लागत ₹ 21.20 करोड़ के तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध, ₹ 24.30 करोड़ में आवंटित (जुलाई 2012) किये जाने से चार वर्षों की देरी के कारण, राजकोष पर ₹ 3.10 करोड़ की लागत वृद्धि का अतिरिक्त भार पड़ा।

राज्य सरकार ने नलकूपों के स्थल परिवर्तन में देरी तथा निविदा प्रक्रिया में समय लगना स्वीकार किया (नवम्बर 2012) एवं बताया कि परियोजना पूर्ण होने पर पर्याप्त लाभ प्रदान करेगी। तथ्य यह रहा कि दिसम्बर 2010 में पूर्ण की जाने वाली योजना अभी भी अपूर्ण थी।

इस प्रकार, विभाग की अपर्याप्त आयोजन एवं क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप न केवल शजप्रयो में ढाई वर्षों की देरी हुई बल्कि ₹ 19.15 करोड़ व्यय करने के बाद भी जनता को जल आपूर्ति 72 से 96 घण्टों में एक बार कर, जल आपूर्ति का स्तर 56 एलपीसीडी तक घटा जो कि पुराने तन्त्र द्वारा 24 से 48 घण्टों में की जा रही आपूर्ति (61 एलपीसीडी) से भी कम है। इसके अतिरिक्त, पैकेज 01 तथा 03 का कार्य देरी से आवंटन करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ की लागत बढ़ी।

70. पैकेज 02 में स्थानान्तरित 10 नलकूपों को छोड़कर।

### 3.4.10 निष्फल व्यय

बांसवाड़ा मल निकास योजना के निष्पादन में विभागीय आयोजना के अभाव के कारण इसे चालू नहीं किये जाने से पिछले 25 वर्षों से लाभार्थियों को मल निकास सुविधा से वंचित रहना पड़ा तथा ₹ 4.81 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (जस्वाअवि) के राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल (राजप्रसीप्रम) की नीति निर्धारण समिति (नीनिस) ने बांसवाड़ा मल निकास योजना (योजना) हेतु ₹ 1.02 करोड़<sup>71</sup> की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (सितम्बर 1987)। प्रशासनिक व वित्तीय (प्रववि) स्वीकृति देते समय चूँकि प्रस्ताव में मल उपचार संयंत्र (मउसं) को शामिल नहीं किया गया था अतः नीनिस ने बताया कि मउसं योजना का अभिन्न अंग होना चाहिए जिससे कि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं हो, अतः विभाग को मउसं के प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के कारण नीनिस ने ₹ 2.34 करोड़ की संशोधित प्रववि स्वीकृति जारी की (फरवरी 1995) और दोहराया कि मउसं निर्माण कराने के प्रस्ताव चार माह की अवधि के अन्दर अलग से विचार के लिए प्रस्तुत किये जायें। प्रववि स्वीकृति को पुनः ₹ 2.69 करोड़ संशोधित किया गया (जनवरी 2002)।

मल निकास पाईपलाइन डालने के लिए स्वीकृत ₹ 2.69 करोड़ के विरुद्ध 18661 मीटर पाईप लाईन ₹ 2.62 करोड़ की लागत से डाली गई। इसमें से 2872.50 मीटर मल निकास पाईप लाइन अप्रैल 2000 में तथा अन्य 10922.24 मीटर मल निकास पाईप लाईन, मई 2005 में नगर पालिका, बांसवाड़ा को सुपुर्द की गई। शेष 4866.26 मीटर पाईप लाईन यद्यपि डाल दी गई थी, भूमि विवाद एवं अन्य विभिन्न कारणों से मई 2012 तक सुपुर्द/स्थानान्तरित नहीं की गई। आगे, जैसाकि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बांसवाड़ा ने सूचित किया (जनवरी 2012), नगर पालिका, बांसवाड़ा को अप्रैल 2000/मई 2005 में सुपुर्द की गई पाईप लाईन क्षतिग्रस्त अवस्था में थी, तथा योजना को पाईप लाईन की मरम्मत किये बिना चालू नहीं किया जा सकता था। पाईपलाइन का कब्जा लेते समय (मई 2005) अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बांसवाड़ा ने मउसं के बिना इसे संधारित करने में भी असमर्थता जाहिर की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2011) कि नीनिस द्वारा मउसं के प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु, सितम्बर 1987 एवं फरवरी 1995 में निर्देश दोहराने के बावजूद,

71. पाईप लाईन की आपूर्ति जोड़ने एवं बिछाने के लिए : ₹ 0.78 करोड़, भूमि अधिग्रहण : ₹ 0.05 करोड़, औजार व संयंत्र तथा सफाई खण्ड : ₹ 0.05, आकस्मिकताएँ एवं प्रोरेटा-प्रभार: ₹ 0.14 करोड़।

विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। राजप्रसिप्रम की वित्तीय समिति (विस) ने बांसवाड़ा में 6.34 मिलियन लीटर प्रतिदिन (मिलिप्र) के मउसं के निर्माण हेतु ₹ 1.37 करोड़ की अलग से प्रववि स्वीकृति जारी की (अगस्त 2006)। इसके विरुद्ध विभाग ने बिना संशोधित प्रववि प्राप्त किये, ₹ 2.44 करोड़ का कार्य आदेश जारी कर दिया (जुलाई 2007) इसलिए विस ने निष्पादित कार्य होने के कारण, जून 2010 में ₹ 2.85 करोड़ की संशोधित प्रववि स्वीकृति जारी की (जून 2010) एवं मुअ (मु.) जनस्वाअवि जयपुर को उन अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारण करने के निर्देश दिये जिन्होंने संशोधित प्रववि स्वीकृति प्राप्ति से पहले ही सिफारिश एवं कार्य आदेश जारी किये। इस प्रकार मउसं, जिसे जून 2008 में पूर्ण करना निर्धारित किया गया था, नगरपालिका को अगस्त 2012<sup>72</sup> तक सुपुर्द नहीं किया गया। मउसं को निर्धारित समय में पूर्ण नहीं करने के कारणों का उल्लेख अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। अअ ने इसके लिए संवेदक द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, बजट बाध्यता एवं ₹ 2.85 करोड़ की संशोधित स्वीकृति जारी करने में देरी को उत्तरदायी बताया (जुलाई 2012)।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया (अगस्त 2012) कि मउसं का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और आऊट फाल को मल निकास पाईपलाईन से जोड़ दिया गया है तथा शीघ्र ही नगरपालिका को सुपुर्द कर दिया जायेगा। यह भी सूचित किया कि अमुअ, जस्वाअवि सम्भाग, उदयपुर को, योजना के पूर्ण करने में एवं इसे नगरपालिका को सुपुर्द करने में देरी की जाँच करने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु, जाँच अधिकारी (जुलाई 2012) नियुक्त कर दिया गया है। तथ्य यह रहा कि विभाग ने नीनिस के बार-बार निर्देशों के बावजूद भी मल निकास पाईपलाईन डालने के साथ-साथ मउसं के निर्माण हेतु प्रस्ताव शामिल नहीं किये तथा आयोजना बनाते समय योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न घटकों का समक्रमित नहीं किया। आगे, चूँकि मउसं के निर्माण में असमान्य देरी हुई अतः योजना, मल निकास पाईपलाईन डालने के सात वर्ष बाद भी चालू नहीं हो सकी, 4866.26 मीटर मल निकास पाईप लाईन की सुपुर्दगी के अभाव एवं क्षतिग्रस्त पर्डी रहने की दशा में किया गया व्यय ₹ 4.81 करोड़<sup>73</sup> निष्फल हो गया था।

72. मार्च 2012 में पूर्ण, संवेदक को ₹ 2.19 करोड़ का भुगतान किया गया एवं समयावृद्धि के अभाव में अन्तिम बिल बकाया था जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया।

73. मल निकासी पाईपलाईन डालने एवं मउसं के लिये भूमि की लागत हेतु ₹ 2.62 करोड़ ; मउसं के निर्माण के लिए संवेदक को भुगतान ₹ 2.19 करोड़।



## तकनीकी शिक्षा विभाग

### 3.4.11 सम्बद्ध महाविद्यालयों से विकास शुल्क की वसूली का अभाव

रातवि द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों से बकाया विकास शुल्क के संग्रहण सम्बन्धी आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण का अभाव रहा जिसके परिणामस्वरूप 157 सम्बद्ध महाविद्यालयों से वर्ष 2006-07 से 2009-10 के विकास शुल्क ₹ 4.24 करोड़ की वसूली नहीं करने/विलम्ब से करने से उन्हें अदेय लाभ दिया गया।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (रातवि) अप्रैल 2006 में स्थापित हुआ। रातवि की वित्त समिति ने अभियान्त्रिकी<sup>74</sup> एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों<sup>75</sup> में प्रवेश लेने वाले, प्रत्येक छात्र से आधारभूत सुविधाओं की स्थापना एवं विकास हेतु विकास शुल्क क्रमशः ₹ 1000 एवं ₹ 500 प्रति वर्ष, वसूल करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2007)। रातवि के प्रबन्ध मण्डल (प्रम) ने उपलिखित निर्णय को इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया (जून 2007) कि अभियान्त्रिकी पाठ्यक्रमों के लिए विकास शुल्क, उत्तरवर्ती वर्षों हेतु ₹ 500 वसूल किया जाये। सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा एकत्रित की गयी विकास शुल्क की राशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा की जानी थी। विश्वविद्यालय की अधिसूचना (जनवरी 2009) द्वारा यह निर्देशित किया गया कि विकास शुल्क (सत्र 2006-07 से 2007-08) 14 मार्च 2009 तक जमा कर दिया जाये एवं भविष्य में प्रत्येक वर्ष, विकास शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर होगी जिसमें चूक होने पर सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा विलम्ब शुल्क ₹ 5000 प्रति पाठ्यक्रम देय होगा। प्रम ने विद्यमान विकास शुल्क संरचना को वर्ष 2010-11 एवं आगे के लिये जारी रखने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2011)।

कुल सचिव, रातवि, कोटा के वर्ष 2008-09 से 2011-12 के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल-मई 2012) में प्रकट हुआ कि 153 सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा, वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान छात्रों से वसूल की गयी विकास शुल्क राशि ₹ 7.60 करोड़, रातवि में जमा नहीं करायी गयी। सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के आँकड़े रातवि के पास उपलब्ध नहीं थे। कुल सचिव, रातवि ने सूचित किया (अगस्त 2012) कि विकास शुल्क की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में सम्बद्ध महाविद्यालयों से मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। आगे यह भी पाया गया कि रातवि द्वारा, छात्रों की कुल संख्या की महाविद्यालयवार एवं वर्षवार स्थिति, छात्रों द्वारा देय शुल्क, की गयी वसूली एवं

74. बीई, बीटेक, बीएचएमसीटी एवं बीआर्क

75. एम बीए, एमई, एमटेक एवं एमसीए

बकाया सम्बन्धी अभिलेख/रजिस्टर्स संधारित नहीं किये जा रहे थे। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ने भी रातवि के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान विकास शुल्क की वसूली न किये जाने का आक्षेप नहीं लिया। यह सम्बद्ध महाविद्यालयों से विकास शुल्क की वसूली के अनुश्रवण में आन्तरिक नियन्त्रण के अभाव को दर्शाता है। विस्तृत विवरण के अभाव में बकाया की शुद्धता को लेखापरीक्षा सत्यापित नहीं कर सका।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए, बताया (सितम्बर एवं दिसम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा को बकाया विकास शुल्क ₹ 7.60 करोड़ की, उपलब्ध करायी गयी सूचना अन्तरिम थी एवं इसके विरुद्ध राशि ₹ 3.60 करोड़ वसूल/समायोजित कर लिये गये हैं तथा बकाया विकास शुल्क की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

इस प्रकार, सम्बद्ध महाविद्यालयों से रातवि द्वारा बकाया विकास शुल्क के संग्रहण सम्बन्धी अभिलेखों के पूर्ण न किये जाने के परिणामस्वरूप आन्तरिक नियन्त्रण एवं अनुश्रवण के अभाव में 157 सम्बद्ध महाविद्यालयों<sup>76</sup> से वर्ष 2006-07 से 2009-10 के विकास शुल्क ₹ 4.24 करोड़<sup>77</sup> (दिसम्बर 2012 तक) (विलम्ब शुल्क ₹ 0.24 करोड़ सहित) की वसूली नहीं करने/विलम्ब से करने से उन्हें अदेय लाभ दिया गया।

#### सामान्य

#### 3.4.12 लेखापरीक्षा प्रेक्षकों का उत्तर देने का अभाव

लेखापरीक्षा, सुशासन के लिए प्रबंधन की सहायक है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की असफलता, अपर्याप्त अनुपालना तंत्र को इंगित करती है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 327 (1) के अनुसार लेखा अभिलेखों के प्रतिधारण की अवधि लेखा परीक्षा के पश्चात एक से तीन वर्ष तक होती है। विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना, निर्धारित प्रतिधारण अवधि में नहीं करवा पाने से, भविष्य में उनके निस्तारण की सम्भावना, अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण, क्षीण हो जाती है।

76. चार महाविद्यालयों से केवल शास्ति वसूलनीय थी।

77. (₹. 7.60 करोड़ + 0.24 करोड़ विलम्ब शुल्क) - 3.60 करोड़ = 4.24 करोड़।

31 मार्च, 2012 को, वर्ष 1992-93 से 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) की अवधि के दौरान जारी 6056 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 20523 अनुच्छेद निपटारे हेतु बकाया थे। वर्षवार बकायों की संख्या निम्न है:

वर्ष	बकाया	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
2005-06 तक	1127	3099
2006-07	576	1582
2007-08	673	2203
2008-09	794	2314
2009-10	1068	3740
2010-11	1222	4765
2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	596	2820
<b>योग</b>	<b>6056</b>	<b>20523</b>

- बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के निपटारे के लिए राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह में तथा लेखापरीक्षा के आगे के प्रेक्षणों के उत्तर एक पखवाडे में भेजने के अनुदेश जारी किए थे (अगस्त, 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च, 2002 में जारी किए गए अनुदेशों में लेखापरीक्षा से सम्बन्धित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेरित था। नवीनतम अनुदेश जनवरी, 2010 में जारी किए गए।

- पुलिस विभाग (220) एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग (138) के अन्तर्गत विभिन्न ईकाईयों को जारी 358 निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि 31 मार्च, 2012 को 1245 अनुच्छेद बकाया थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अनियमितताओं का श्रेणीवार ब्यौरा परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है। आगे, यह भी दृष्टिगत हुआ कि पुलिस विभाग की चार निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना 10 माह से 16 माह तक लम्बित थी।

वित्त विभाग ने प्रत्येक वर्ष में लेखापरीक्षा समितियों की चार बैठकें आयोजित करने के अनुदेश जारी किए (नवम्बर, 2004), किन्तु किसी भी विभाग ने वित्त विभाग के अनुदेशों की अनुपालना नहीं की एवं वर्ष 2011-12 के दौरान 11 विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समितियों की केवल 18 बैठकें आयोजित की गई।

लेखापरीक्षा, सुशासन के लिए प्रबन्धन की सहायक है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की असफलता, अपर्याप्त अनुपालना तंत्र को इंगित करती है। सरकार को मामले पर गौर करना चाहिये एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का शीघ्र एवं उचित उत्तर देने, चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूलियों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु, प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है।

जयपुर,

(सुनील बाहरी)  
प्रधान महालेखाकार  
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,

(विनोद राय)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 2.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3; पृष्ठ )

नमूना जांच किये गये मण्डलों में मार्च 2012 को अतिक्रमण के बकाया प्रकरणों की स्थिति

क्र.सं.	मण्डल का नाम	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	बकाया की अवधि		
				1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक
1.	उवसं, बा.परि. सरिस्का	97	164.63	शून्य	40	57
2.	मंवअ, बांसवाड़ा	27	17.133	शून्य	शून्य	27
3.	उवसं, भीलवाड़ा	12	23.15	शून्य	3	9
4.	उवसं, जयपुर (मध्य)	166	62.85	16	119	31
5.	उवसं, जयपुर (उत्तर)	2	3.84	शून्य	1	1
6.	मंवअ, जोधपुर	56	सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई	शून्य	56	शून्य
7.	उवसं, झुन्झुनू	60	33.85	59	शून्य	1
8.	उवसं, नागौर	15	1.18	शून्य	15	शून्य
9.	उवसं, श्रीगंगानगर	8	75.87	8	शून्य	शून्य
10.	उवसं, रबापरि, सवाईमाधोपुर	34	156.25	12	शून्य	22
11.	उवसं, उदयपुर (दक्षिण)	3039	6093.85	शून्य	शून्य	3039
12.	उमुवजीप्र, उदयपुर	2001	1938.62	शून्य	शून्य	2001
13.	मंवअ, झालावाड़	397	219.91	392	5	शून्य
	<b>योग</b>	<b>5,914</b>	<b>8,791.13</b>	<b>487</b>	<b>239</b>	<b>5,188</b>

(उप वन संरक्षक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन्यजीव चित्तौड़गढ़, वन्यजीव कोटा एवं राष्ट्रीय मरू उद्यान, जैसलमेर में कोई प्रकरण बकाया नहीं थे।)

(स्रोत: मण्डलों से प्राप्त सूचना के अनुसार)

**परिशिष्ट 2.2**

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3; पृष्ठ )

**नमूना जांच किये गये मण्डलों में अवैध खनन प्रकरणों की मार्च 2012 को स्थिति**

क्र. सं.	मण्डल का नाम	1.4.09 को बकाया	2009-10				2010-11			2011-12			मार्च 2012 को बकाया प्रकरण				
			योग	दर्ज	निपटान	शेष	दर्ज	निपटान	शेष	दर्ज	निपटान	शेष	बकाया		विभाग में बकाया की अवधि		
													न्यायालय में	विभाग में	1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक
1.	उवसं, रबा परियोजना, सवाईमाधोपुर	6	25	20	11	21	20	12	30	30	12	3	9	5	3	1	
2.	उवसं, बा घ परियोजना, सरिस्का	20	4	3	21	28	34	15	25	25	15	1	14	1	10	3	
3..	उवसं, वजी, कोटा	153	6	4	155	19	17	157	13	13	157	60	97	2	12	83	
4.	उवसं, जयपुर (मध्य)	161	110	109	162	81	79	164	42	41	165	11	154	10	36	108	
5.	उवसं, जयपुर (उत्तर)	15	194	190	19	182	172	29	167	156	40	11	29	16	13	शून्य	
6.	उवसं, उदयपुर (दक्षिण)	शून्य	9	6	3	25	25	3	शून्य	शून्य	3	1	2	शून्य	2	शून्य	
7.	मंवअ, बांसवाड़ा	10	33	36	7	5	6	6	19	18	7	शून्य	7	शून्य	4	3	
8.	मंवअ, जोधपुर	86	14	57	43	26	25	44	12	23	33	शून्य	33	14	19	शून्य	
9.	उवसं, श्रीगंगानगर	1	2	1	2	5	5	2	2	3	1	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	
10.	मंवअ, झालावाड़	50	324	308	66	179	165	80	152	110	122	29	93	80	8	5	
11.	उवसं, भीलवाड़ा	6	23	20	9	37	38	8	25	23	10	4	6	शून्य	5	1	
12.	उवसं, नागौर	शून्य	7	6	1	27	27	1	7	6	2	शून्य	2	2	शून्य	शून्य	
	<b>योग</b>	<b>508</b>	<b>751</b>	<b>760</b>	<b>499</b>	<b>635</b>	<b>613</b>	<b>521</b>	<b>494</b>	<b>448</b>	<b>567</b>	<b>120</b>	<b>447</b>	<b>131</b>	<b>112</b>	<b>204</b>	

(उवसं, वजी, चित्तौड़गढ़ एवं उवसं, झुन्झुनू द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई)

वर्ष 2009-12 के दौरान उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, उपनिदेशक, राष्ट्रीय मरू उद्यान, जैसलमेर एवं उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उदयपुर ने अवैध खनन के शून्य प्रकरण सूचित किये।

(स्रोत: मण्डलों से प्राप्त सूचना के अनुसार)

## परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3; पृष्ठ )

## नमूना जांच मण्डलों में अवैध चराई की मार्च 2012 को स्थिति

क्र.सं.	मण्डल	1.4.09 को बकाया	2009-10			2010-11			2011-12			मार्च 2012 को बकाया प्रकरण					
			योग	दर्ज	निपटान	शेष	दर्ज	निपटान	शेष	दर्ज	निपटान	शेष	बकाया		विभाग में बकाया की अवधि		
													न्यायालय में	विभाग में	1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक
1.	उवसं, रबा परि., सवाईमाधोपुर	30	179	176	33	129	128	34	99	102	31	12	19	11	1	7	
2.	उवसं, बा परि., सरिस्का	280	307	319	268	233	447	54	340	343	51	20	31	1	30	शून्य	
3.	उमुवजीप्र, केराठ, भरतपुर	27	80	80	27	29	31	25	10	10	25	शून्य	25	शून्य	6	19	
4.	उनि, रामठ, जैसलमेर	शून्य	27	27	शून्य	19	19	शून्य	64	64	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	उमुवजीप्र, उदयपुर	1	417	415	3	786	787	2	862	860	4	शून्य	4	4	शून्य	शून्य	
6.	उवसं, व.जी, कोटा	101	30	22	109	36	39	106	18	16	108	12	96	2	41	53	
7.	उवसं, जयपुर (मध्य)	44	108	111	41	105	101	45	120	127	38	2	36	1	शून्य	35	
8.	उवसं, जयपुर (उत्तर)	6	64	61	9	22	30	1	11	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
9.	उवसं, उदयपुर (दक्षिण)	शून्य	92	91	1	105	104	2	33	33	2	शून्य	2	2	शून्य	शून्य	
10.	मवअ, बांसवाडा	14	116	115	15	71	78	8	83	79	12	शून्य	12	7	5	शून्य	
11.	मवअ, जोधपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	उवसं, श्रीगंगानगर	शून्य	2	2	शून्य	9	9	शून्य	7	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
13.	मवअ, झालावाड़	12	39	30	21	11	17	15	15	24	6	3	3	3	शून्य	शून्य	
14.	उवसं, भीलवाडा	4	359	349	14	296	301	9	288	293	4	2	2	1	शून्य	1	
15.	उवसं, नागौर	शून्य	55	54	1	32	32	1	25	26	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	योग	519	1875	1852	542	1884	2124	302	1975	1996	281	51	230	32	83	115	

(उवसंवजी, चित्तौडगढ़ एवं उवसं, झुन्झुनू द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।)

(स्रोत: मण्डलों से प्राप्त सूचना के अनुसार)

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3; पृष्ठ )

मार्च 2012 तक वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मण्डल का नाम	प्रत्यावर्तन प्रकरण का नाम/प्रयोक्ता अभिकरण	क्षेत्रफल है० में	भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति	सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार जमा कराई जाने वाली राशि	प्राप्त की गई राशि	शेष राशि	भारत सरकार की अंतिम स्वीकृति	अभ्युक्तियाँ
1.	मंवा, जोधपुर	वनखण्ड-व्यास जी की बावडी झालामण्ड वाटर स्टोरेज टैंक के लिये फिल्टर प्लांट जन.स्वा.अभि.वि.	17.00	8बी/राज./08/22/2010/ एफ.सी. दिनांक 25.05.2011	एन.पी.वी. 1.06 सी.ए. 0.15 पेनल सी.ए. 0.25 योग 1.46	शून्य	1.46	प्राप्त नहीं हुई	मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर के पत्र क्रमांक 18847/ 20.10.81 के द्वारा विश्व बैंक की राशि के उपयोग एवं कार्य की महत्ता के कारण कार्य की स्वीकृति दी गई। कार्य 2005 में पूर्ण हो गया।
2.	मवा, झालावाड़	छापी सिंचाई परियोजना, झालावाड़ के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग	766.00	8-63/93एफ.सी. दिनांक 07.01.1998	सी.ए. 0.82 पेनल सी.ए. 21.93 एन.पी.वी. 61.51 योग 84.26	0.82 1.71 2.53	81.73	प्राप्त नहीं हुई	कार्य 1980 से 1999 के मध्य पूर्ण किया गया परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की पालना में मार्च 2012 तक पेनल सी.ए. एवं एन.पी.वी. की राशि जमा नहीं करवाई गयी। अन्तिम स्वीकृति अपेक्षित थी।
3.	उवसं, जयपुर (उत्तर)	शिखरगढ़टा सिंचाई परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग	4.00	8-99/99-एफ.सी. दिनांक 25.04.2000 एवं संशोधित 8बी/राज./02/13/ 2001/ एफसी दिनांक 21.03.2002	सी.ए. 0.02 संशोधित सी.ए. एवं एन.पी.वी. 0.29 योग 0.31	0.02 0.29 0.31	शून्य	प्राप्त नहीं हुई	परियोजना कार्य बिना अन्तिम स्वीकृत प्राप्त किये ही वर्ष 1998-99 से 2003-04 के मध्य पूर्ण किया गया।
4.	उवसं. भीलवाड़ा	कोटा-चित्तौड़गढ़ रेल्वे लाइन के लिए रेलवे	60.64	अपेक्षित	सैद्धान्तिक स्वीकृति के अभाव में गणना नहीं की जा सकी।	शून्य	शून्य	शून्य	स्वीकृति की प्रत्याशा एवं कार्य की महत्ता के कारण 1984 और 1989 के मध्य कार्य पूर्ण किया गया।
	योग		847.64		86.03	2.84	83.19		

(स्रोत: मण्डल के अभिलेखों के अनुसार)



## परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7;6; पृष्ठ 34)

## फ्रन्टलाईन स्टाॅफ के रिक्त पदों की स्थिति वर्ष 2009-12

वर्ष	स्वीकृत/कार्यरत	रेन्जर ग्रेड-प्रथम	रेन्जर ग्रेड-द्वितीय	वनपाल	सहायक वनपाल	वनरक्षक/गेम वाचर्स
2009-10	स्वीकृत	264	185	1000	919	4002
	कार्यरत	245	173	953	883	3040
	रिक्तियां	19 (7 प्रतिशत)	12 (6 प्रतिशत)	47 (5 प्रतिशत)	36 (4 प्रतिशत)	962 (24 प्रतिशत)
2010-11	कार्यरत	238	153	904	799	2735
	रिक्तियां	26 (9 प्रतिशत)	32 (17 प्रतिशत)	96 (9 प्रतिशत)	120 (13 प्रतिशत)	1267 (32 प्रतिशत)
2011-12	कार्यरत	176	137	857	805	3480
	रिक्तियां	88 (33 प्रतिशत)	48 (26 प्रतिशत)	143 (14 प्रतिशत)	114 (12 प्रतिशत)	522 (13 प्रतिशत)

स्त्रोत: वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.3; पृष्ठ 63)

संवेदकों के बिलों से रायल्टी की वसूली का अभाव/कम वसूली का विवरण

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	कार्य आदेश संख्या एवं दिनांक के साथ पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	लघु अवधि अनुज्ञा प्राप्ति सं. एवं दिनांक	संवेदकों को किया गया भुगतान	देय रायल्टी (0.5 प्रतिशत)	कटौती की गई रायल्टी	कम कटौती की गई रायल्टी	डिपोजिट-V में रोकी गई रायल्टी	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अअ, जस्वाअवि राईजेप खण्ड, बाडमेर	(1) क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना, उमेद सागर धावा-समदडी खण्डप भाग-III (पैकेज-3)	मै. नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कं. लिमिटेड, हैदराबाद	मुअ (परियोजना) जोधपुर 5564-84/ 17.7.2008 26.11.2009	318/28.7.2011	22721.45	113.61	13.22	100.39	26.57	कार्य प्रगति में
		(2) क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना, उमेद सागर- धावा-समदडी खण्डप भाग- III (पैकेज-2)	मै. देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कं., जोधपुर	मुअ (परियोजना)जोधपुर 21551-67/18.3.2010 27.3.2011	499/8.9.2011	598.94	2.99	0.09	2.90	0.78	कार्य प्रगति में
2	अअ, जस्वाअवि खण्ड द्वितीय, जोधपुर	(1) क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना-रागालिन आरडी-159.50 खुडीयाला-जीयाबारी आगोदिया- सिन्ध-वालेसर	मै. तापी प्रेस्ट्रेड (अ)	मुअ (परियोजना) जोधपुर 14677/8.2.2011 17.2.2013	51/18.1.2012	2921.49	14.61	0.57	14.04	-	कार्य प्रगति में

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	कार्य आदेश संख्या एवं दिनांक के साथ पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	लघु अवधि अनुज्ञा प्राप्ति सं. एवं दिनांक	संवेदकों को किया गया भुगतान	देय रायल्टी (0.5 प्रतिशत)	कटौती की गई रायल्टी	कम कटौती की गई रायल्टी	डिपोजिट-V में रोकी गई रायल्टी	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(2) क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना, रागालिन आरडी-134 देवानिया-मकडऊ-कानोडिया शेरगढ-चाबा परियोजना भाग-II	मैं देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कं. (ब)	मुअ (परियोजना) जोधपुर 8448/8.10.2008 11.10.2009	107/4.2.09	776.12	3.88	0.64	3.24	-	पूर्ण
		(3) डोली उप-खण्ड के अधीन एनआरडी डब्ल्यूपी योजना, डोली उप-खण्ड में पाईप लाईन एवं टांका कार्य अजा/अजजा ढाणी में पाईप लाईन एवं जीएलआर का निर्माण	मैं. जालाराम (स)	अअ, जोधपुर 8037/ 25.1.2011, 3.5.2011	प्राप्त नहीं	55.78	0.28	0.17	0.11	-	पूर्ण
		(4) भारत निर्माण में चयनित ढाणी में पाईप लाईन एवं जीएलआर का निर्माण	मैं. ए.के. कन्स्ट्रक्शन (द)	अअ जोधपुर 8043/25.1.2011 3.5.2011	221/ 22.3.2011	64.46	0.32	0.04	0.28	0.08	पूर्ण
		(5) सरकारी विद्यालय में पाईप लाईन एवं जीएलआर का निर्माण	मैं. विष्णु कन्स्ट्रक्शन (य)	अअ, जोधपुर 8049/ 25.1.2011, 3.5.2011	प्राप्त नहीं	43.46	0.22	0.11	0.11	-	कार्य प्रगति में
		(6) आंगनवाडी में पाईप लाईन एवं जीएलआर का निर्माण	मैं. क्वालीटेक कन्स्ट्रक्शन (र)	अअ, जोधपुर 8007/25.1.2011, 3.5.2011	प्राप्त नहीं	31.23	0.16	0.13	0.03	-	पूर्ण

31 मार्च 2012 को समाप्त हुये वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	कार्य आदेश संख्या एवं दिनांक के साथ पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	लघु अवधि अनुज्ञा प्राप्ति सं. एवं दिनांक	संवेदकों को किया गया भुगतान	देय रायल्टी (0.5 प्रतिशत)	कटौती की गई रायल्टी	कम कटौती की गई रायल्टी	डिपोजिट-V में रोकी गई रायल्टी	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	अअ, जस्वाअवि जिला खण्ड तृतीय, जोधपुर	क्षेत्रीय जलापूर्ति रागालिन आरडी 177.5 तिवाडी मथानिया-ओसिया बावडी-भोपालगढ	मै. नागार्जुन कन्ट्रक्शन	मुअ (परियोजना) जोधपुर 9287/13.10.2010 20.10.2012	392/14.7.11	5152.18	25.76	7.03	18.73	-	कार्य प्रगति में
4	अअ, जस्वाअवि बिसलपुर-दूद परियोजना खण्ड द्वितीय, दूद	(1) बीसलपुर-दूद परियोजना 105 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	मै. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	अमुअ, (बीसलपुर) जयपुर 1247/7.12.2007, 16.6.2009	प्राप्त नहीं	5317.77	26.59	19.40	7.19	6.00	कार्य प्रगति में
		(2) बीसलपुर-दूद परियोजना, 160 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	मै. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	अमुअ. उदयपुर 1259/ 7.12.2007	प्राप्त नहीं	5426.73	27.13	21.78	5.35	-	कार्य प्रगति में
5	अअ, जस्वाअवि, इंगरपुर	(1) सोम कमला अम्बा के अन्तर्गत पांचलासा का उन्नयन	मै. धारा कन्ट्रक्शन	अधीअ, उदयपुर 8793/ 25.2.2010 7.9.2010	प्राप्त नहीं	161.62	0.81	0.81	₹ 0.56 लाख की दो वर्ष की देरी से वसूली	-	पूर्ण
		क्षेत्रीय जलापूर्ति थाकरडा	मै. अम्बीका पॉलूशन कन्ट्रोल	अधीअ उदयपुर, 4037-41/25.7.2008 3.2.2009	प्राप्त नहीं	132.99	0.66	0.66	₹. 0.56 लाख की दो वर्ष की देरी से वसूली	-	पूर्ण
		योग				43404.22	217.02	64.65	152.37	33.43	

## परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.1; पृष्ठ )

## भास द्वारा पुनर्भरित की गई निधियाँ एवं उनके किये गये व्यय का विवरण

(₹ लाखों में)

वर्ष	भास द्वारा पुनर्भरित राशि	प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम पर किये जाने वाले व्यय की राशि	प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम पर किया गया व्यय				
			अनुसंधान एवं विकास	प्रयोगशाला	विज्ञापन एवं प्रकाशन	योग	कमी
2005-06	424.47	318.35	125.36	10.26	1.71	137.33	181.02
2006-07	357.54	268.14	104.55	3.97	7.37	115.89	152.25
2007-08	322.24	241.68	37.05	5.38	17.22	59.65	182.03
2008-09	790.79	593.08	97.91	7.84	27.45	133.20	459.88
2009-10	966.77	725.08	61.67	2.91	29.44	94.02	631.06
2010-11	2010-11 का विवरण हटाया गया है क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण की गतिविधियों पर 50 प्रतिशत को सीमा तक लक्षित व्यय प्राप्त कर लिया गया था						
2011-12	1655.37	827.68 (50% संशोधित)	68.12	3.89	119.33	191.34	636.34
<b>योग</b>	<b>4517.18</b>	<b>2974.01</b>	<b>494.66</b>	<b>34.25</b>	<b>202.52</b>	<b>731.43</b>	<b>2242.58</b>

अर्थात् ₹ 45.17 करोड़

₹ 29.74 करोड़

₹ 7.31 करोड़

₹ 22.43 करोड़

परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ )

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल में पंजीकृत नियोक्ताओं की सूची

क्र. सं.	जिला	वर्ष	कुल पंजीकृत नियोक्ता	पंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही
				सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	
1	उदयपुर	2010-11	51	12	34	5		4	3	9		नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	7		5	2		4	1	4		
		<b>योग</b>	<b>58</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	
2	प्रतापगढ़	2010-11	10				10					
		2011-12	1				1					
		<b>योग</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	इंगरपुर	2010-11										
		2011-12	3		3							
		<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	चित्तौड़गढ़	2010-11	88	2	45	41						
		2011-12	41	1	35	5						
		<b>योग</b>	<b>129</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	राजसमन्द	2010-11	14		14			3	3	8		नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	24		24			3	3	8		नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	
6	कोटा	2010-11	5		5			1	8	5	2	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	38	2	36			2	2	9	2	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	
7	बूंदी	2010-11	19	12	5	2		4	2	2	8	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	4		4			2	4		6	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	

क्र. सं.	जिला	वर्ष	कुल पंजीकृत नियोक्ता	पंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही
				सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	
8	जालौर	2010-11	8	2	6							
		2011-12	1		1							
		<b>योग</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	पाली	2010-11	10		10							
		2011-12	4	1	3							
		<b>योग</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	सिरोही	2010-11	16		16							
		2011-12	3		3							
		<b>योग</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	जयपुर	2010-11	74		70	4						
		2011-12	59		56	3			64			
		<b>योग</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	भरतपुर	2010-11	24	1	7	15	1	8	6	25	5	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12									2	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	
13	धौलपुर	2010-11	13	9	4			4	9			नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12										नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	करौली	2010-11	21		21				21			नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	2		2				2			नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	सवाईमाधोपुर	2010-11	6	1	5							नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12										
		<b>योग</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	बांसवाड़ा	2010-11										
		2011-12										
		<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	दौसा	2010-11	14		14							
		2011-12	9		9							
		<b>योग</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

31 मार्च 2012 को समाप्त हुये वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)

क्र. सं.	जिला	वर्ष	कुल पंजीकृत नियोक्ता	पंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही
				सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	
18	जैसलमेर	2010-11	14		14							
		2011-12	48		48							
		<b>योग</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	बालोतरा (बाड़मेर)	2010-11	15	8	7							
		2011-12	3		2	1						
		<b>योग</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	जोधपुर	2010-11	10	1	8	1						
		2011-12	24		24							
		<b>योग</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	बीकानेर	2010-11	15	3	7		5					
		2011-12	30	1	5		24					
		<b>योग</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	हनुमानगढ़	2010-11	22	4	14	4						
		2011-12	15	3	12							
		<b>योग</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	श्रीगंगानगर	2010-11										
		2011-12	5				5					
		<b>योग</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	भीलवाड़ा	2010-11	77	1	50	26				6		नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	45	2	31	12			6			नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>122</b>	<b>3</b>	<b>81</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	
25	अलवर	2010-11	54		53	1			53	1		
		2011-12	21		20		1		20		1	
		<b>योग</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
26	बारंग	2010-11	2		2				18	10		
		2011-12	21		19	2			15	7		
		<b>योग</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	
27	झालावाड़	2010-11	7			7		17	19	12		
		2011-12	28	3		25						
		<b>योग</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	



क्र. सं.	जिला	वर्ष	कुल पंजीकृत नियोक्ता	पंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही
				सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	
28	अजमेर	2010-11	17		17							नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12										
		<b>योग</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	सीकर	2010-11	5		5							
		2011-12	8		8							
		<b>योग</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	नागौर	2010-11	28	1	25	2						
		2011-12	16		16							
		<b>योग</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	टोंक	2010-11	14		14							नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	18		18							नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	झुन्झुनू	2010-11										
		2011-12	3	2	1							
		<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	चूरू	2010-11	34		34							
		2011-12	24		24							
		<b>योग</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>महायोग</b>	<b>1192</b>	<b>72</b>	<b>915</b>	<b>158</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>259</b>	<b>106</b>	<b>26</b>	

(स्रोत: सूचना विभिन्न जिला श्रम कार्यालयों से एकत्रित की गई)

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ अनुच्छेद 3.4.12; पृष्ठ )

निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमितताएँ जो कि मार्च, 2012 तक लम्बित थी, श्रेणीवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनियमितता की श्रेणी	पुलिस विभाग		आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग		योग	
		अनुच्छेदों की संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	योग
1.	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियाँ/नकद एवं भण्डार की चोरी	02	1.28	27	6.03	29	7.31
2.	लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियों एवं अधिक भुगतान	97	62.60	41	17.92	138	80.52
3.	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	02	1.79	48	5.62	50	7.41
4.	परिहार्य/अधिक व्यय	28	10.66	47	14.81	75	25.47
5.	निरर्थक /निष्फल व्यय	13	224.93	46	38.36	59	263.29
6.	विनियामक प्रकरण	54	149.89	370	363.55	424	513.44
7.	निष्क्रिय निवेश/संस्थापन/भंडार उपकरण/निधियों का अवरोधन	23	10.48	19	10.68	42	21.16
8.	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब	01	0.15	-	-	01	0.15
9.	उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना	10	1.39	04	5.15	14	5.54
10.	विविध	322	3016.83	91	239.17	413	3256.00
	योग	552	3480.00	693	701.29	1245	4180.29

परिशिष्ट 2.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3; पृष्ठ )

नमूना जांच किये गये मण्डलों में मार्च 2012 को अतिक्रमण के बकाया प्रकरणों की स्थिति

क्र.सं.	मण्डल का नाम	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	बकाया की अवधि		
				1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक
1.	उवसं, बा.परि. सरिस्का	97	164.63	शून्य	40	57
2.	मंवअ, बांसवाड़ा	27	17.133	शून्य	शून्य	27
3.	उवसं, भीलवाड़ा	12	23.15	शून्य	3	9
4.	उवसं, जयपुर (मध्य)	166	62.85	16	119	31
5.	उवसं, जयपुर (उत्तर)	2	3.84	शून्य	1	1
6.	मंवअ, जोधपुर	56	सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई	शून्य	56	शून्य
7.	उवसं, झुन्झुनू	60	33.85	59	शून्य	1
8.	उवसं, नागौर	15	1.18	शून्य	15	शून्य
9.	उवसं, श्रीगंगानगर	8	75.87	8	शून्य	शून्य
10.	उवसं, रबापरि, सवाईमाधोपुर	34	156.25	12	शून्य	22
11.	उवसं, उदयपुर (दक्षिण)	3039	6093.85	शून्य	शून्य	3039
12.	उमुवजीप्र, उदयपुर	2001	1938.62	शून्य	शून्य	2001
13.	मंवअ, झालावाड़	397	219.91	392	5	शून्य
	<b>योग</b>	<b>5,914</b>	<b>8,791.13</b>	<b>487</b>	<b>239</b>	<b>5,188</b>

(उप वन संरक्षक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन्यजीव चित्तौड़गढ़, वन्यजीव कोटा एवं राष्ट्रीय मरू उद्यान, जैसलमेर में कोई प्रकरण बकाया नहीं थे।)

(स्रोत: मण्डलों से प्राप्त सूचना के अनुसार)

**परिशिष्ट 2.2**

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3; पृष्ठ )

**नमूना जांच किये गये मण्डलों में अवैध खनन प्रकरणों की मार्च 2012 को स्थिति**

क्र. सं.	मण्डल का नाम	1.4.09 को बकाया	2009-10				2010-11			2011-12			मार्च 2012 को बकाया प्रकरण				
			योग	दर्ज	निपटान	शेष	दर्ज	निपटान	शेष	दर्ज	निपटान	शेष	बकाया		विभाग में बकाया की अवधि		
													न्यायालय में	विभाग में	1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक
1.	उवसं, रबा परियोजना, सवाईमाधोपुर	6	25	20	11	21	20	12	30	30	12	3	9	5	3	1	
2.	उवसं, बा घ परियोजना, सरिस्का	20	4	3	21	28	34	15	25	25	15	1	14	1	10	3	
3..	उवसं, वजी, कोटा	153	6	4	155	19	17	157	13	13	157	60	97	2	12	83	
4.	उवसं, जयपुर (मध्य)	161	110	109	162	81	79	164	42	41	165	11	154	10	36	108	
5.	उवसं, जयपुर (उत्तर)	15	194	190	19	182	172	29	167	156	40	11	29	16	13	शून्य	
6.	उवसं, उदयपुर (दक्षिण)	शून्य	9	6	3	25	25	3	शून्य	शून्य	3	1	2	शून्य	2	शून्य	
7.	मंवअ, बांसवाड़ा	10	33	36	7	5	6	6	19	18	7	शून्य	7	शून्य	4	3	
8.	मंवअ, जोधपुर	86	14	57	43	26	25	44	12	23	33	शून्य	33	14	19	शून्य	
9.	उवसं, श्रीगंगानगर	1	2	1	2	5	5	2	2	3	1	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	
10.	मंवअ, झालावाड़	50	324	308	66	179	165	80	152	110	122	29	93	80	8	5	
11.	उवसं, भीलवाड़ा	6	23	20	9	37	38	8	25	23	10	4	6	शून्य	5	1	
12.	उवसं, नागौर	शून्य	7	6	1	27	27	1	7	6	2	शून्य	2	2	शून्य	शून्य	
	<b>योग</b>	<b>508</b>	<b>751</b>	<b>760</b>	<b>499</b>	<b>635</b>	<b>613</b>	<b>521</b>	<b>494</b>	<b>448</b>	<b>567</b>	<b>120</b>	<b>447</b>	<b>131</b>	<b>112</b>	<b>204</b>	

(उवसं, वजी, चित्तौड़गढ़ एवं उवसं, झुन्झुनू द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई)

वर्ष 2009-12 के दौरान उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, उपनिदेशक, राष्ट्रीय मरू उद्यान, जैसलमेर एवं उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उदयपुर ने अवैध खनन के शून्य प्रकरण सूचित किये।

(स्रोत: मण्डलों से प्राप्त सूचना के अनुसार)

## परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3; पृष्ठ )

## नमूना जांच मण्डलों में अवैध चराई की मार्च 2012 को स्थिति

क्र.सं.	मण्डल	1.4.09 को बकाया	2009-10			2010-11			2011-12			मार्च 2012 को बकाया प्रकरण					
			योग	दर्ज	निपटान	शेष	दर्ज	निपटान	शेष	दर्ज	निपटान	शेष	बकाया		विभाग में बकाया की अवधि		
													न्यायालय में	विभाग में	1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक
1.	उवसं, रबा परि., सवाईमाधोपुर	30	179	176	33	129	128	34	99	102	31	12	19	11	1	7	
2.	उवसं, बा परि., सरिस्का	280	307	319	268	233	447	54	340	343	51	20	31	1	30	शून्य	
3.	उमुवजीप्र, केराठ, भरतपुर	27	80	80	27	29	31	25	10	10	25	शून्य	25	शून्य	6	19	
4.	उनि, रामठ, जैसलमेर	शून्य	27	27	शून्य	19	19	शून्य	64	64	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	उमुवजीप्र, उदयपुर	1	417	415	3	786	787	2	862	860	4	शून्य	4	4	शून्य	शून्य	
6.	उवसं, व.जी, कोटा	101	30	22	109	36	39	106	18	16	108	12	96	2	41	53	
7.	उवसं, जयपुर (मध्य)	44	108	111	41	105	101	45	120	127	38	2	36	1	शून्य	35	
8.	उवसं, जयपुर (उत्तर)	6	64	61	9	22	30	1	11	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
9.	उवसं, उदयपुर (दक्षिण)	शून्य	92	91	1	105	104	2	33	33	2	शून्य	2	2	शून्य	शून्य	
10.	मवअ, बांसवाडा	14	116	115	15	71	78	8	83	79	12	शून्य	12	7	5	शून्य	
11.	मवअ, जोधपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	उवसं, श्रीगंगानगर	शून्य	2	2	शून्य	9	9	शून्य	7	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
13.	मवअ, झालावाड़	12	39	30	21	11	17	15	15	24	6	3	3	3	शून्य	शून्य	
14.	उवसं, भीलवाडा	4	359	349	14	296	301	9	288	293	4	2	2	1	शून्य	1	
15.	उवसं, नागौर	शून्य	55	54	1	32	32	1	25	26	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	योग	519	1875	1852	542	1884	2124	302	1975	1996	281	51	230	32	83	115	

(उवसंवजी, चित्तौडगढ़ एवं उवसं, झुन्झुनू द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।)

(स्रोत: मण्डलों से प्राप्त सूचना के अनुसार)

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3; पृष्ठ )

मार्च 2012 तक वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मण्डल का नाम	प्रत्यावर्तन प्रकरण का नाम/प्रयोक्ता अभिकरण	क्षेत्रफल है० में	भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति	सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार जमा कराई जाने वाली राशि	प्राप्त की गई राशि	शेष राशि	भारत सरकार की अंतिम स्वीकृति	अभ्युक्तियाँ
1.	मंवा, जोधपुर	वनखण्ड-व्यास जी की बावडी झालामण्ड वाटर स्टोरेज टैंक के लिये फिल्टर प्लांट जन.स्वा.अभि.वि.	17.00	8बी/राज./08/22/2010/ एफ.सी. दिनांक 25.05.2011	एन.पी.वी. 1.06 सी.ए. 0.15 पेनल सी.ए. 0.25 योग 1.46	शून्य	1.46	प्राप्त नहीं हुई	मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर के पत्र क्रमांक 18847/ 20.10.81 के द्वारा विश्व बैंक की राशि के उपयोग एवं कार्य की महत्ता के कारण कार्य की स्वीकृति दी गई। कार्य 2005 में पूर्ण हो गया।
2.	मवा, झालावाड़	छापी सिंचाई परियोजना, झालावाड़ के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग	766.00	8-63/93एफ.सी. दिनांक 07.01.1998	सी.ए. 0.82 पेनल सी.ए. 21.93 एन.पी.वी. 61.51 योग 84.26	0.82 1.71 2.53	81.73	प्राप्त नहीं हुई	कार्य 1980 से 1999 के मध्य पूर्ण किया गया परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की पालना में मार्च 2012 तक पेनल सी.ए. एवं एन.पी.वी. की राशि जमा नहीं करवाई गयी। अन्तिम स्वीकृति अपेक्षित थी।
3.	उवसं, जयपुर (उत्तर)	शिखरगढ़टा सिंचाई परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग	4.00	8-99/99-एफ.सी. दिनांक 25.04.2000 एवं संशोधित 8बी/राज./02/13/ 2001/ एफसी दिनांक 21.03.2002	सी.ए. 0.02 संशोधित सी.ए. एवं एन.पी.वी. 0.29 योग 0.31	0.02 0.29 0.31	शून्य	प्राप्त नहीं हुई	परियोजना कार्य बिना अन्तिम स्वीकृत प्राप्त किये ही वर्ष 1998-99 से 2003-04 के मध्य पूर्ण किया गया।
4.	उवसं. भीलवाड़ा	कोटा-चित्तौड़गढ़ रेल्वे लाइन के लिए रेलवे	60.64	अपेक्षित	सैद्धान्तिक स्वीकृति के अभाव में गणना नहीं की जा सकी।	शून्य	शून्य	शून्य	स्वीकृति की प्रत्याशा एवं कार्य की महत्ता के कारण 1984 और 1989 के मध्य कार्य पूर्ण किया गया।
	योग		847.64		86.03	2.84	83.19		

(स्रोत: मण्डल के अभिलेखों के अनुसार)

## परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7;6; पृष्ठ 34)

## फ्रन्टलाईन स्टाॅफ के रिक्त पदों की स्थिति वर्ष 2009-12

वर्ष	स्वीकृत/कार्यरत	रेन्जर ग्रेड-प्रथम	रेन्जर ग्रेड-द्वितीय	वनपाल	सहायक वनपाल	वनरक्षक/गेम वाचर्स
2009-10	स्वीकृत	264	185	1000	919	4002
	कार्यरत	245	173	953	883	3040
	रिक्तियां	19 (7 प्रतिशत)	12 (6 प्रतिशत)	47 (5 प्रतिशत)	36 (4 प्रतिशत)	962 (24 प्रतिशत)
2010-11	कार्यरत	238	153	904	799	2735
	रिक्तियां	26 (9 प्रतिशत)	32 (17 प्रतिशत)	96 (9 प्रतिशत)	120 (13 प्रतिशत)	1267 (32 प्रतिशत)
2011-12	कार्यरत	176	137	857	805	3480
	रिक्तियां	88 (33 प्रतिशत)	48 (26 प्रतिशत)	143 (14 प्रतिशत)	114 (12 प्रतिशत)	522 (13 प्रतिशत)

स्त्रोत: वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.3; पृष्ठ 63)

संवेदकों के बिलों से रायल्टी की वसूली का अभाव/कम वसूली का विवरण

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	कार्य आदेश संख्या एवं दिनांक के साथ पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	लघु अवधि अनुज्ञा प्राप्ति सं. एवं दिनांक	संवेदकों को किया गया भुगतान	देय रायल्टी (0.5 प्रतिशत)	कटौती की गई रायल्टी	कम कटौती की गई रायल्टी	डिपोजिट-V में रोकी गई रायल्टी	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अअ, जस्वाअवि राईजेप खण्ड, बाडमेर	(1) क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना, उमेद सागर धावा-समदडी खण्डप भाग-III (पैकेज-3)	मै. नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कं. लिमिटेड, हैदराबाद	मुअ (परियोजना) जोधपुर 5564-84/ 17.7.2008 26.11.2009	318/28.7.2011	22721.45	113.61	13.22	100.39	26.57	कार्य प्रगति में
		(2) क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना, उमेद सागर- धावा-समदडी खण्डप भाग- III (पैकेज-2)	मै. देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कं., जोधपुर	मुअ (परियोजना)जोधपुर 21551-67/18.3.2010 27.3.2011	499/8.9.2011	598.94	2.99	0.09	2.90	0.78	कार्य प्रगति में
2	अअ, जस्वाअवि खण्ड द्वितीय, जोधपुर	(1) क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना-रागालिन आरडी-159.50 खुडीयाला-जीयाबारी आगोदिया- सिन्ध- बालेसर	मै. तापी प्रेस्ट्रेड (अ)	मुअ (परियोजना) जोधपुर 14677/8.2.2011 17.2.2013	51/18.1.2012	2921.49	14.61	0.57	14.04	-	कार्य प्रगति में



क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	कार्य आदेश संख्या एवं दिनांक के साथ पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	लघु अवधि अनुज्ञा प्राप्ति सं. एवं दिनांक	संवेदकों को किया गया भुगतान	देय रायल्टी (0.5 प्रतिशत)	कटौती की गई रायल्टी	कम कटौती की गई रायल्टी	डिपोजिट-V में रोकी गई रायल्टी	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(2) क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना, रागालिन आरडी-134 देवानिया-मकडऊ-कानोडिया शेरगढ-चाबा परियोजना भाग-II	मैं देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कं. (ब)	मुअ (परियोजना) जोधपुर 8448/8.10.2008 11.10.2009	107/4.2.09	776.12	3.88	0.64	3.24	-	पूर्ण
		(3) डोली उप-खण्ड के अधीन एनआरडी डब्ल्यूपी योजना, डोली उप-खण्ड में पाईप लाईन एवं टांका कार्य अजा/अजजा ढाणी में पाईप लाईन एवं जीएलआर का निर्माण	मैं. जालाराम (स)	अअ, जोधपुर 8037/ 25.1.2011, 3.5.2011	प्राप्त नहीं	55.78	0.28	0.17	0.11	-	पूर्ण
		(4) भारत निर्माण में चयनित ढाणी में पाईप लाईन एवं जीएलआर का निर्माण	मैं. ए.के. कन्स्ट्रक्शन (द)	अअ जोधपुर 8043/25.1.2011 3.5.2011	221/ 22.3.2011	64.46	0.32	0.04	0.28	0.08	पूर्ण
		(5) सरकारी विद्यालय में पाईप लाईन एवं जीएलआर का निर्माण	मैं. विष्णु कन्स्ट्रक्शन (य)	अअ, जोधपुर 8049/ 25.1.2011, 3.5.2011	प्राप्त नहीं	43.46	0.22	0.11	0.11	-	कार्य प्रगति में
		(6) आंगनवाडी में पाईप लाईन एवं जीएलआर का निर्माण	मैं. क्वालीटेक कन्स्ट्रक्शन (र)	अअ, जोधपुर 8007/25.1.2011, 3.5.2011	प्राप्त नहीं	31.23	0.16	0.13	0.03	-	पूर्ण

31 मार्च 2012 को समाप्त हुये वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	कार्य आदेश संख्या एवं दिनांक के साथ पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	लघु अवधि अनुज्ञा प्राप्ति सं. एवं दिनांक	संवेदकों को किया गया भुगतान	देय रायल्टी (0.5 प्रतिशत)	कटौती की गई रायल्टी	कम कटौती की गई रायल्टी	डिपोजिट-V में रोकी गई रायल्टी	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	अअ, जस्वाअवि जिला खण्ड तृतीय, जोधपुर	क्षेत्रीय जलापूर्ति रागालिन आरडी 177.5 तिवाडी मथानिया-ओसिया बावडी-भोपालगढ	मै. नागार्जुन कन्ट्रक्शन	मुअ (परियोजना) जोधपुर 9287/13.10.2010 20.10.2012	392/14.7.11	5152.18	25.76	7.03	18.73	-	कार्य प्रगति में
4	अअ, जस्वाअवि बिसलपुर-दूद परियोजना खण्ड द्वितीय, दूद	(1) बीसलपुर-दूद परियोजना 105 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	मै. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	अमुअ, (बीसलपुर) जयपुर 1247/7.12.2007, 16.6.2009	प्राप्त नहीं	5317.77	26.59	19.40	7.19	6.00	कार्य प्रगति में
		(2) बीसलपुर-दूद परियोजना, 160 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	मै. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	अमुअ. उदयपुर 1259/ 7.12.2007	प्राप्त नहीं	5426.73	27.13	21.78	5.35	-	कार्य प्रगति में
5	अअ, जस्वाअवि, इंगरपुर	(1) सोम कमला अम्बा के अन्तर्गत पांचलासा का उन्नयन	मै. धारा कन्ट्रक्शन	अधीअ, उदयपुर 8793/ 25.2.2010 7.9.2010	प्राप्त नहीं	161.62	0.81	0.81	₹ 0.56 लाख की दो वर्ष की देरी से वसूली	-	पूर्ण
		क्षेत्रीय जलापूर्ति थाकरडा	मै. अम्बीका पॉलूशन कन्ट्रोल	अधीअ उदयपुर, 4037-41/25.7.2008 3.2.2009	प्राप्त नहीं	132.99	0.66	0.66	₹. 0.56 लाख की दो वर्ष की देरी से वसूली	-	पूर्ण
		योग				43404.22	217.02	64.65	152.37	33.43	

## परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.1; पृष्ठ )

## भास द्वारा पुनर्भरित की गई निधियाँ एवं उनके किये गये व्यय का विवरण

(₹ लाखों में)

वर्ष	भास द्वारा पुनर्भरित राशि	प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम पर किये जाने वाले व्यय की राशि	प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम पर किया गया व्यय				
			अनुसंधान एवं विकास	प्रयोगशाला	विज्ञापन एवं प्रकाशन	योग	कमी
2005-06	424.47	318.35	125.36	10.26	1.71	137.33	181.02
2006-07	357.54	268.14	104.55	3.97	7.37	115.89	152.25
2007-08	322.24	241.68	37.05	5.38	17.22	59.65	182.03
2008-09	790.79	593.08	97.91	7.84	27.45	133.20	459.88
2009-10	966.77	725.08	61.67	2.91	29.44	94.02	631.06
2010-11	2010-11 का विवरण हटाया गया है क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण की गतिविधियों पर 50 प्रतिशत को सीमा तक लक्षित व्यय प्राप्त कर लिया गया था						
2011-12	1655.37	827.68 (50% संशोधित)	68.12	3.89	119.33	191.34	636.34
<b>योग</b>	<b>4517.18</b>	<b>2974.01</b>	<b>494.66</b>	<b>34.25</b>	<b>202.52</b>	<b>731.43</b>	<b>2242.58</b>

अर्थात् ₹ 45.17 करोड़

₹ 29.74 करोड़

₹ 7.31 करोड़

₹ 22.43 करोड़

परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ )

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल में पंजीकृत नियोक्ताओं की सूची

क्र. सं.	जिला	वर्ष	कुल पंजीकृत नियोक्ता	पंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही
				सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	
1	उदयपुर	2010-11	51	12	34	5		4	3	9		नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	7		5	2		4	1	4		
		<b>योग</b>	<b>58</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	
2	प्रतापगढ़	2010-11	10				10					
		2011-12	1				1					
		<b>योग</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	झुंजरपुर	2010-11										
		2011-12	3		3							
		<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	चित्तौड़गढ़	2010-11	88	2	45	41						
		2011-12	41	1	35	5						
		<b>योग</b>	<b>129</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	राजसमन्द	2010-11	14		14			3	3	8		नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	24		24			3	3	8		नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	
6	कोटा	2010-11	5		5			1	8	5	2	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	38	2	36			2	2	9	2	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	
7	बूंदी	2010-11	19	12	5	2		4	2	2	8	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	4		4			2	4		6	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	

क्र. सं.	जिला	वर्ष	कुल पंजीकृत नियोक्ता	पंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही
				सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	
8	जालौर	2010-11	8	2	6							
		2011-12	1		1							
		<b>योग</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	पाली	2010-11	10		10							
		2011-12	4	1	3							
		<b>योग</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	सिरोही	2010-11	16		16							
		2011-12	3		3							
		<b>योग</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	जयपुर	2010-11	74		70	4						
		2011-12	59		56	3			64			
		<b>योग</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	भरतपुर	2010-11	24	1	7	15	1	8	6	25	5	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12									2	नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	
13	धौलपुर	2010-11	13	9	4			4	9			नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12										नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	करौली	2010-11	21		21				21			नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	2		2				2			नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	सवाईमाधोपुर	2010-11	6	1	5							नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12										
		<b>योग</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	बांसवाड़ा	2010-11										
		2011-12										
		<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	दौसा	2010-11	14		14							
		2011-12	9		9							
		<b>योग</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

31 मार्च 2012 को समाप्त हुये वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)

क्र. सं.	जिला	वर्ष	कुल पंजीकृत नियोक्ता	पंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही
				सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	
18	जैसलमेर	2010-11	14		14							
		2011-12	48		48							
		<b>योग</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	बालोतरा (बाड़मेर)	2010-11	15	8	7							
		2011-12	3		2	1						
		<b>योग</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	जोधपुर	2010-11	10	1	8	1						
		2011-12	24		24							
		<b>योग</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	बीकानेर	2010-11	15	3	7		5					
		2011-12	30	1	5		24					
		<b>योग</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	हनुमानगढ़	2010-11	22	4	14	4						
		2011-12	15	3	12							
		<b>योग</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	श्रीगंगानगर	2010-11										
		2011-12	5				5					
		<b>योग</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	भीलवाड़ा	2010-11	77	1	50	26				6		नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	45	2	31	12			6			नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>122</b>	<b>3</b>	<b>81</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	
25	अलवर	2010-11	54		53	1			53	1		
		2011-12	21		20		1		20		1	
		<b>योग</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
26	बारंग	2010-11	2		2				18	10		
		2011-12	21		19	2			15	7		
		<b>योग</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	
27	झालावाड़	2010-11	7			7		17	19	12		
		2011-12	28	3		25						
		<b>योग</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	

क्र. सं.	जिला	वर्ष	कुल पंजीकृत नियोक्ता	पंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ता				अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही
				सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	सरकारी	निजी	अर्द्ध सरकारी	अन्य	
28	अजमेर	2010-11	17		17							नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12										
		<b>योग</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	सीकर	2010-11	5		5							
		2011-12	8		8							
		<b>योग</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	नागौर	2010-11	28	1	25	2						
		2011-12	16		16							
		<b>योग</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	टोंक	2010-11	14		14							नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		2011-12	18		18							नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
		<b>योग</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	झुन्झुनू	2010-11										
		2011-12	3	2	1							
		<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	चूरू	2010-11	34		34							
		2011-12	24		24							
		<b>योग</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>महायोग</b>	<b>1192</b>	<b>72</b>	<b>915</b>	<b>158</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>259</b>	<b>106</b>	<b>26</b>	

(स्रोत: सूचना विभिन्न जिला श्रम कार्यालयों से एकत्रित की गई)

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ अनुच्छेद 3.4.12; पृष्ठ )

निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमितताएँ जो कि मार्च, 2012 तक लम्बित थी, श्रेणीवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनियमितता की श्रेणी	पुलिस विभाग		आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग		योग	
		अनुच्छेदों की संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	योग
1.	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियाँ/नकद एवं भण्डार की चोरी	02	1.28	27	6.03	29	7.31
2.	लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियों एवं अधिक भुगतान	97	62.60	41	17.92	138	80.52
3.	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	02	1.79	48	5.62	50	7.41
4.	परिहार्य/अधिक व्यय	28	10.66	47	14.81	75	25.47
5.	निरर्थक /निष्फल व्यय	13	224.93	46	38.36	59	263.29
6.	विनियामक प्रकरण	54	149.89	370	363.55	424	513.44
7.	निष्क्रिय निवेश/संस्थापन/भंडार उपकरण/निधियों का अवरोधन	23	10.48	19	10.68	42	21.16
8.	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब	01	0.15	-	-	01	0.15
9.	उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना	10	1.39	04	5.15	14	5.54
10.	विविध	322	3016.83	91	239.17	413	3256.00
	योग	552	3480.00	693	701.29	1245	4180.29